


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
निष्पादन मूल्यांकन
2003 की संख्या-3



विषय सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	iii
विहंगावलोकन	v
अध्याय-I: सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	1
अध्याय-II: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास विभाग)	43
अध्याय-III: ग्रामीण आवास (ग्रामीण विकास विभाग)	101



प्राक्कथन


मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए संघ वित्त लेखाओं तथा संघ विनियोग लेखाओं (रिलवे को छोड़कर) पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ तथा संघ मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2003 के प्रतिवेदन संख्या 1 तथा 2 में शामिल किये गये हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में निम्न लिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित/निधिबद्ध योजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन से उद्भूत मामले शामिल किये गये हैं। इन अखिल भारतीय पुनरीक्षणों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ संघ सरकार के नियंत्रण मंत्रालयों में नमूना जांच किए गए दस्तावेजों का परिणाम भी शामिल हैं।

1. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास मंत्रालय

संघ सरकार के लिए पृथक प्रतिवेदन भी जारी किए जाते हैं : स्वायत्त निकाय (सं.4) वैज्ञानिक विभाग (सं.5) रक्षा-सेना तथा आयुध कारखाने (सं.6) वायु सेना तथा नौसेना (सं.7) रेलवे (सं.8 तथा 9) अप्रत्यक्ष कर- सीमाशुल्क (सं.10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सं. 11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12 और 13) ।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन केन्द्रीय प्रायोजित/निधिबद्ध कार्यक्रमों (i) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना; (ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और (iii) ग्रामीण आवास, का निष्पादन मूल्यांकन शामिल हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

योजना का उद्देश्य आठवीं योजना अवधि (1992-97) के अन्त तक सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वैकल्पिक, सम्मानजनक तथा व्यवहार्य व्यवसाय प्रदान करके हाथ से सफाई करने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना था। तथापि, इसके क्रियान्वयन के एक दशक के पश्चात (1992-2000) भी योजना अपना सामाजिक दिव्यदर्शन प्रदान करने में असफल रही तथा 40 प्रतिशत से अधिक अनुमानित लाभ-भोगी अपुनर्वासित रहे।

- हाथ से सफाई का काम करने वालों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध अधिनियम), 1993 द्वारा प्रदत्त कानूनी ढांचे के अपने पैरामीटरों से सम्बन्ध रखने के लिए योजना का अंशांकन नहीं किया गया था।
- राज्यों में किए गए आधार रेखा सर्वेक्षणों का अभिप्राय लाभभोगियों का पता लगाना, उल्लेख करना तथा उनके ब्यौरे देना था तथा उनके प्रशिक्षण और पुनर्वास की आवश्यकताओं के लिए विभिन्न कमजोरियों को सहना पड़ा। यह कार्यक्रम में सबसे कमजोर कड़ी थी क्योंकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के दस वर्ष के पश्चात भी (जून 1992) मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास संसाधन आवश्यकता और कार्यवाही योजना के निर्माण के लिए आवश्यक लक्षित लाभभोगियों के विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे।
- योजना के अनुबन्धों के विपरीत, सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए तथा कम निपुणता वाले क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक रूप से स्थानान्तरण के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम विकसित नहीं किया गया था। 1992 से 1997 के दौरान प्रशिक्षण के लिए लक्षित 3.50 लाख पात्र सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के विरुद्ध मार्च 2002 तक केवल 2.02 लाख सफाई कर्मचारियों को ही प्रशिक्षित किया जा सका। नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान प्रशिक्षण में कमी 77 प्रतिशत तक अधिक थी।
- आठवीं योजना अवधि (1992-97) तक लक्षित 4.00 लाख सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों में से 1997 तक केवल 2.68 लाख लाभभोगी ही पुनर्वासित किए जा सके। नौवीं योजना अवधि में किए गए प्रयासों से भी परिणामात्मक रूप से आठवीं योजना अवधि की अपेक्षा सफलता (2.02 लाख) दृष्टिगोचर हुई। व्यावसायिक पुनर्वास की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि

संसाधनों का दुरुपयोग, अव्यवहार्य कम कीमत वाली परियोजनाओं की प्रधानता, अप्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास जब कि प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी अपुनर्वासित रहे, प्राप्त निपुणता और प्रदत्त व्यवसाय में कोई मेल न होना आदि।

- कार्यान्वयन एजेसियां परियोजनाओं के निर्माण तथा इसकी व्यवहार्यता के अनुमान में असावधान थी जैसा कि बैंकों द्वारा अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकार किए जाने से स्पष्ट है।
- 1992-2000 के दौरान, भारत सरकार ने सेनीटरी मार्ट परियोजना के रूप में एक नए दबाव वाले क्षेत्र को अपनाया और उसके लिए 130.05 करोड़ रु. जारी किए। तथापि, कार्यान्वयन एजेसियां 1,15,150 सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए, 4606 मार्ट के लक्ष्य के विरुद्ध 4107 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित करते हुए केवल 636 मार्ट ही स्थापित कर सकी।
- योजना ने कार्यान्वयन एजेसियों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई करने की शुष्क शौचालयों को गीले शौचालयों में परिवर्तित करके आवश्यकता को मिटाने के लक्ष्य वाली “मुक्ति” की योजना का संचालन करने वाले मंत्रालय के मध्य आवश्यक संयोजन प्रदान नहीं किया। “मुक्ति” और “पुनर्वास” के बीच अन्तःसीमा की कमी इस बात से प्रतिबिम्बित होती थी कि 1992-2002 के दौरान 4.71 लाख सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की तुलना में केवल 0.37 लाख शहरी सफाई कर्मचारी ही मुक्त किए गए। यह जताने के लिए कि क्या मुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों का वास्तव में पुनर्वास किया गया था, कोई प्रमाण नहीं है।

कार्यक्रम का वितरण करने के लिए उत्तरदायी एजेसियों द्वारा अनुश्रवण किए जाने का मुश्किल से कोई प्रमाण था। जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु मुख्यतया गायब था।

**ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग**

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में पहले के संघटित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूरक स्वरोजगार योजनाओं के स्थान पर शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को सामाजिक जागरूकता द्वारा स्वरोजगार के सभी पहलुओं को आवृत करते हुए एवं विभिन्न अभिकरणों, डी आर डी ए, बैंक लाइन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थानों तथा अन्य अर्धसरकारी संगठनों इत्यादि को संगठित करते हुए लघु उद्यमों का विकास अपेक्षित था। इस कार्यक्रम की सफलता अधिकांशतः योजना मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दर्शायी गयी जटिल रूपरेखा के उचित कार्यान्वयन तथा नैट-वर्किंग पर आधारित थी। मध्यवर्ती लेखापरीक्षा समीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभिन्न अवधारणायें, विशेष रूप से विभिन्न भागी अभिकरणों में

समन्वयन, को सार्थक रूप नहीं दिया जा सका। कुछ क्रान्तिक क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमी थी।

- 30 प्रतिशत बी पी एल परिवारों को 5 वर्ष की निर्धारित अवधि में आवृत्त करने का लक्ष्य कठिन प्रतीत होता है क्योंकि केवल 4.59 प्रतिशत जनसंख्या ही तीन प्रारम्भिक वर्षों में आवृत्त की जा सकी थी।
- व्यक्तिगत लाभभोगियों से स्वयं-सहायता संघों (एस एच जी) में नाभिकरण क्षेत्रीय स्तर पर सुस्पष्ट नहीं था। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एस एच जी का उद्भव भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि स्थापित एस एच जी में से केवल 32.21 प्रतिशत ही आय सृजन की अवस्था तक पहुंच सके थे।
- अधिकतर राज्यों में उचित योजना तथा सर्वेक्षण का कोई भी प्रमाण नहीं था। मुख्य कार्यकलापों की पहचान, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, संरचनात्मक ढांचे की पहचान तथा तकनीकी व विपणन सहायता जो स्वरोजगारियों द्वारा दीर्घकालीन आय-सृजन हेतु आवश्यक थे, का अनुसरण योजनानुसार तथा प्रभावी ढंग से नहीं हो सका।
- वित्तीय संसाधनों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग तथा निधियों के सावधि जमा में रखे जाने के मामले थे, जिससे कार्यक्रम हेतु संसाधनों की उपलब्धता बाधित हुई।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्तर्ग्रस्त बहुदेशीय एंजेसियों में आपसी तालमेल की कमी थी जिस कारण इनके संचालन स्तर पर अग्रणी तथा पश्चगामी कड़ियां स्थापित नहीं हो सकी थी।
- बैंकों द्वारा ऋण तथा आर्थिक सहायता के वितरण में विलम्ब तथा वित्तीय सहायता में कमी के उदाहरण पूर्व कार्यक्रम की तरह ही विद्यमान थे।
- विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी अपर्याप्त था। 8 राज्यों में 1999-2000 के दौरान 15 विशेष परियोजनायें स्वीकृत की गई थी, जो मार्च 2002 तक पूर्ण होनी थी, वे जून 2002 तक भी अपूर्ण थी।
- पिछले कार्यक्रम के सुधार के रूप में पुर्नगठित कार्यक्रम का अभी तक उद्गमन नहीं हुआ था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण आवास

राष्ट्रीय आवास नीति का उद्देश्य सभी के लिए आवास मुहैया कराना था इसके तहत एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई। जिसके अर्न्तगत नौवीं पंचवर्षीय योजना तक संपूर्ण आश्रयहीनता को समाप्त करने का लक्ष्य था। इस समीक्षा के अर्न्तगत, इंदिरा आवास


योजना पर विशेष जोर देते हुए, ग्रामीण आवास योजनाओं के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां, निहित है।

- विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अर्न्तगत 109.53 लाख यूनिटों का निर्माण/पुनःनिर्माण किए जाने का लक्ष्य था, किन्तु केवल 50.34 लाख आवासों का ही निर्माण/पुनःनिर्माण किया जा सका।
- योजनाओं की बहुलता ने, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को काफी हद तक अप्रभावी बनाया। मंत्रालय ने, परस्पर व्यापकता को रोकने तथा प्रभावी समन्वयन हासिल करने के लिए, विभिन्न योजनाओं के एकीकरण के लिए प्रयास नहीं किये थे।
- 34,542 आयोग्य लाभार्थियों का चयन, सर्वेक्षण और चयन प्रक्रिया की कमियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 58.56 करोड़ रुपये सहायता की राशि से योग्य लाभार्थि वंचित रहे।
- लाभार्थियों को फंड हस्तांतरण करने की प्रणाली में एक रूपता नहीं थी और 7.38 करोड़ रुपये का निर्धारित मापदंडों से अधिक भुगतान किया।
- ठेकेदारों के माध्यम से आवास निर्माण करवाने की प्रवृत्ति का काफी प्रचलन था और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को आवासों की निर्माण प्रक्रिया में शामिल न करके, 198.55 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- आवास एक से 12 वर्षों की अवधि तक अनिर्मित रहे या बीच में ही छोड़ दिए गए जिससे 22.78 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।
- 24 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में धुँआरहित चूल्हों और सेनेटरी शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान नहीं था।
- 17 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 37.75 प्रतिशत आवासों का आबंटन पुरुषों के नाम किया गया जिससे ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने का उद्देश्य असफल रहा।
- लगभग सभी राज्यों में आवासों की सूची न बनाए जाने के कारण, आवासों की स्थिति, लाभार्थियों द्वारा उनमें रहना और आवासों के वास्तव रूप से होने का सत्यापन करना मुश्किल था।
- 1162 करोड़ रुपये हाँलाकि जारी किए गए थे, किन्तु व्यय नहीं किए गए। लेखा परीक्षा के दौरान, फंड को अप्रधीकृत क्रियाकलापों में लगाना, अनअनुमोदित कार्यों का निष्पादन, विभिन्न जमा शीर्षों में गलत तरीके से फंड रखना, फंड का दुरुपयोग, व्यय को अधिक बताना और अग्रिमों को अन्तिम व्यय मान लेने जैसी वित्तीय कमियाँ पाई गईं।

मंत्रालय और राज्य दोनों स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी अप्रभावी और अपर्याप्त थी। राज्यों में उचित मूल्यांकन नहीं कराया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति
एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना



अध्याय-II सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

1992 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 600 करोड़ रु. से अधिक निवेश वाली सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना दस वर्षों के कार्यान्वयन के पश्चात भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। योजना के उद्देश्य निस्सन्देह अच्छे थे परन्तु उसके बारे में धारणा गलत थी क्योंकि यह व्यवसायिक सुधारों का विरोध करने वाले स्तरीकृत समाज की जटिल संरचना के परिचालन पैरामीटरों को काम में लगाने में असफल रही। लक्ष्य की श्रेष्ठता काफी नहीं थी, क्योंकि योजना दस वर्षों के सतत परन्तु शोचनीय रूप से बेमन से किए गए प्रयासों के पश्चात सामाजिक दिव्य दर्शन प्रदान करने में असफल रही। यह योजना सूत्रपातों के लिए सशक्त योजना कार्यान्वित करने में असफल रही क्योंकि यह सफाई कर्मचारियों के नियोजन को रोकने वाले वर्तमान कानून का लाभ नहीं उठा सकी। मुक्ति को पुनर्वास से अलग रखना एक निर्णय त्रुटि थी जिसने योजना की नींव को कमजोर किया और जिस कारण केन्द्र बिन्दु के बिना असमन्वित प्रयास हुए। यह व्यवसाय के परिवर्तन में आवश्यक लाभभोगियों की योग्यता के स्तर को बढ़ाने अथवा पुनः स्थापना करने में असफल रही। इसी कारण, यह वंशानुगत प्रथा को योग्यता-आधारित पसन्द में बदलने के अपने उद्देश्य में असफल रही। आधार रेखा सर्वेक्षण की अनुपस्थिति, जिला विकास प्राधिकरणों का अन्तर्ग्रस्त न होना, सहायता पैटर्न का वाणिज्यिकरण तथा अनुश्रवण आरूप में फूट के कारण स्थान में कुछ हानि हुई। भविष्य की दिशा को उत्प्रेरित करने के लिए अपेक्षित क्षमता के बिना अब तक प्राप्त की गई सफलता को विकीर्ण, असमन्वित तथा सामान्यतः अपर्याप्त कहा जा सकता है। योजना के पैरामीटरों को मिलाने के उद्देश्य में कमी तथा इसे कार्यान्वित करने में संकल्प की कमी के कारण योजना स्वयं के अपेक्षाओं पर लडखड़ा गई।

विशिष्टताएं

अप्रैल 2002 तक हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 सोलह राज्यों द्वारा अपनाया गया था परन्तु किसी भी राज्य में इसे लागू करने के प्रमाण नहीं थे। योजना में कानून के अस्तित्व के विषय में भी कोई उल्लेख नहीं था।

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति (अर्थात् शुष्क शौचालयों का जल वाहित शौचालयों में परिवर्तन) के द्वारा योजना की पार्श्विक सहायता का पुनर्वास के उपायों की प्रगति के साथ मिलान नहीं किया गया था।

लाभभोगियों और उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने, उल्लेख करने तथा ब्यौरे देने के लिए सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान करने के लिए किए गए सर्वेक्षण कार्यप्रणाली के रूप में सही नहीं थे और परिणाम भी पर्याप्त मात्रा में भिन्न थे। यहां तक कि राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा “सफाई कर्मचारियों की” परिभाषा भी निर्धारित आधार पर नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्ति भी लाभभोगियों की सूची में शामिल हो गए। योजना के क्रियान्वयन के दस वर्षों के पश्चात भी विश्वसनीय आधार रेखा आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्य राज्यों को सूचित नहीं किए गए थे जिस कारण राज्यों द्वारा या तो लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए अथवा लक्ष्य तदर्थ आधार पर निर्धारित किए गए थे। परिणामतः दिए गए प्रशिक्षण में कमी 68 प्रतिशत तक अधिक थी तथा आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य नौवीं योजना के अन्त तक भी प्राप्त नहीं हुए थे। सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम विकसित नहीं किया गया था हालांकि यह माना गया था कि कम योग्यता वाले क्षेत्रों में व्यवसायिक परिवर्तन के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होगी।

नौवीं योजना में किए गए प्रयासों से पता चला कि संख्या की दृष्टि से आठवीं योजना की अवधि से सफाई कर्मचारियों का कम पुनर्वास किया गया। लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयास भी मुख्यतया काल्पनिक थे क्योंकि इसमें वर्षवार प्रगति को हिसाब में नहीं लिया गया था यद्यपि पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में 61 प्रतिशत की कमी थी। संसाधनों का दुरुपयोग, आय प्राप्ति के बिना नकद लाभों का प्राप्त करने के लिए कम लागत वाली परियोजनाओं पर जोर देना तथा योग्यता और व्यवसाय में बेमेल होना, इन सब बातों से पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों के विषय में पता चला है।

1999-2000 के दौरान, सैनीटरी मार्ट के रूप में एक नए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान की गई तथा इस उद्देश्य के लिए 130.05 करोड़ रु. जारी किए। तथापि, यह योजना असफल हो गई क्योंकि इस अवधि के दौरान लक्षित मार्टों के केवल 14 प्रतिशत ही स्थापित किए जा सके।

प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं और कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करने वाले राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जिलाधीशों को मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना था। तथापि, उनका कार्य मुख्यतया सर्वेक्षण और लाभभोगियों की पहचान करने तक सीमित था। योजना का उत्तरदायित्व अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगमों, जो कि सामान्य अवधि में अपने कार्यों के लिए जिलाधीशों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, को हस्तांतरित कर दिया गया। इस संगठनात्मक बेमेल ने योजना के क्रियान्वयन को बुरी तरह से प्रभावित किया।

नौवीं योजना की अवधि के दौरान 41 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हुए 421.50 करोड़ रु. की प्रारम्भिक बजट बचनबद्धता को कम करके 249.15 करोड़ रु. कर दिया गया।

पर्याप्त अव्ययित बकायों के बावजूद योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियां अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगमों को जारी की जाती रही। निधियों की प्रचुर मात्रा वित्तीय वर्ष के विलकुल अन्त में जारी की गई जिस कारण निधियां या तो जल्दी में खर्च की गई अथवा लेखाओं में सन्तुलन बनाए रखने के लिए काल्पनिक रूप से खर्च की गई। राज्य सरकारों की वांछित वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय, राज्य और जिला स्तरों पर मुश्किल से कोई व्यावहारिक अनुश्रवण मशीनरी थी। अनुश्रवण समितियां या तो बनाई ही नहीं गई थी या वे उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए तत्काल मूल्यांकन से समस्त क्रान्तिक पैरामीटरों अर्थात्, सफाई कर्मचारियों की पहचान, लाभभोगियों का प्रशिक्षण, पुनर्वास, योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में अपर्याप्त अनुपालन का पता चला।

1. योजना

1.1 पृष्ठभूमि

‘सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना’ 1992 में इसके आरम्भ होने से पहले चार दशकों की अवधि में सार्वजनिक रूप से की गई अनेक पहल शक्तियों की ओर अभिमुख होने का संकेत देती है। भूतपूर्व बम्बई राज्य द्वारा की गई प्रथम पहल शक्ति का यह परिणाम निकला कि ‘सफाई कर्मचारियों’* की जीवन दशा पर एक रिपोर्ट 1952 में प्रस्तुत की गई। भारत सरकार ने 1955 में रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को व्यापक उपयोग के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने, 1955 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी सफाई कर्मचारियों की अमानवीय जीवन दशा के निवारण के लिए उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को पुनः 1956 में राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया। भारत सरकार ने 1956 में भी केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया था जिसने देश में सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थिति तथा जीवन दशा की समीक्षा की थी तथा सरकार को उन की दशा में निवारण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को आरम्भ करने की सिफारिश की थी। तदनुसार विभिन्न सिफारिशों के अनुसरण में तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरम्भ की गई। यद्यपि, यह योजना आरम्भ में ही असफल हो गई क्योंकि इसने केवल मल को सिर से एक पहिया ठेले पर ढोने की पद्धति में परिवर्तन करने का उल्लेख किया था तथा पहिया ठेले का संचालन अव्यवहार्य साबित हुआ था। योजना पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इस अनुभव के साथ बन्द कर दी गई थी कि सफाई करने की प्रथा का जटिल रूप से स्तरित सामाजिक ढांचे के साथ सम्बन्ध है।

भारत सरकार द्वारा तब सफाई कर्मचारियों के प्रथागत अधिकार के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए 1965 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, प्रथागत अधिकारों के ढांचे, जिसके अन्तर्गत नगरपालिका के अन्तर्गत न आने वाले निजी शौचालयों की सफाई का कार्य सफाई कर्मचारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत अधिकार के रूप में स्थानान्तरित किया गया था, को गिराने की सिफारिश की थी। यद्यपि समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था परन्तु उसके कुछ परिणाम नहीं निकले।

उसके पश्चात् राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1968-69 में सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थिति, सेवा की शर्तें तथा जीवन दशा का नियमन करने के लिए व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की। गान्धी शताब्दी वर्ष (1969) के दौरान, शुष्क शौचालयों को जलवाहित स्वक्षालन शौचालयों में परिवर्तन करने का विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। उसी उद्देश्य की एक मार्गदर्शी परियोजना पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थी। परिवर्तन की योजना मुख्यता असफल रही क्योंकि इसमें आर्थिक सहायता का

* अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों के प्रलेखों में ‘झारूकश’ शब्द का प्रयोग किया गया है।

कोई प्रावधान नहीं था तथा राज्य सरकारें आन्तरिक स्रोत उत्पन्न करने में असफल रही। अतः योजना को छठी पंच वर्षीय योजना से निकाल दिया गया था।

शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने तथा चयनित कस्बों तथा सम्मानित व्यवसायों में मुक्त सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए योजना आरम्भ करने का एक ठोस प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास 1980 में आया था, जो संघटित करने तथा नेतृत्व करने की दिशा में प्रथम मुख्य प्रयास था। छुआछूत को मिटाने के उपायों में एक उपाय के रूप में योजना “सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन” की वर्तमान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में अन्तर्ग्रन्थित हो गई। यह शहरी दबाव था और केन्द्रीय अनुदान, राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली समरूप अनुदान पर निर्भर थी।

योजना को प्रारम्भ में बिहार के दो कस्बों में आरम्भ किया गया तथा तदन्तर उसका आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में विस्तार किया गया था। छठी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति की अवधि तक योजना सोलह राज्यों में लागू थी। योजना लगभग 70 कस्बों में एक लाख शुष्क शौचालयों को जलवाहित स्वक्षालन शौचालयों में परिवर्तित करने तथा 5000 सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियों में पुनर्वासित करने में सफल रही। तत्पश्चात् योजना 1985 में गृह मंत्रालय से कल्याण मंत्रालय को अन्तरित कर दी गई। 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल द्वारा देश में 76 लाख शुष्क शौचालयों का अनुमान लगाया गया। 1991 तक 490 कस्बों में योजना के कार्यान्वयन के लिए 82 करोड़ रु. केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किए गए थे। इन प्रयासों का यह परिणाम निकला कि 10 लाख शुष्क शौचालय जलवाहित स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किए गए तथा लगभग 17000 बेरोजगार सफाई कर्मचारी वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वासित किए गए थे। योजना आयोग ने 1991 में योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के बाद योजना के बटवारे का निर्णय लिया: शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों को शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बनाया गया तथा कल्याण मंत्रालय को सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी बनाया गया। हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 में लागू किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत, कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य योजनाएं बना सकते थे, परन्तु राष्ट्रीय योजना के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

वर्तमान पुनरीक्षण के अन्तर्गत योजना “सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की एक राष्ट्रीय योजना” है जिसे द्विशाखन के पश्चात् परन्तु कानून बनने से पहले कल्याण मंत्रालय ने 22 मार्च, 1992 को लागू किया। मई 1999 में, कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय रख दिया गया।

1.2 योजना के मुख्य घटक

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के निम्नलिखित मुख्य घटक है :

- सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की पहचान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना तथा सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी वैकल्पिक व्यवसाय में प्रवृत्ति।
- राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा अर्धसरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के विभिन्न विभागों की समीपतम स्थानीय प्रशिक्षण संस्थाओं में पहचान किए गए व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- आर्थिक सहायता, न्यूनतम नकद ऋण तथा बैंक ऋण प्रदान करके विभिन्न व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास।


इससे यह देखने में आएगा कि योजना में मुक्ति घटक, का शीर्षक के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यथा चर्चित मुक्ति जो बाद में हाथ से सफाई का काम करने वालों के नियोजन में सहायक शर्त को हटाकर प्रदान किया गया पार्श्विक अविलम्ब बना।

1.3 योजना के उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पांच वर्षों (1992-97) के समय से वैकल्पिक, सम्मानजनक तथा व्यवहार्य व्यवसाय प्रदान करना था। योजना में आठवीं योजना अवधि के दौरान समस्त पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की कल्पना की गई थी।

1.4 योजना का संगठन

संलग्न शीर्षक में संगठनात्मक ढांचे तथा अनुबन्ध का विहंगावलोकनी विवरण दिया गया है।



2. पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

2.1 विस्तार

1992-93 से 2001-02 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा में समीक्षा 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान क्रियान्वयन के विशेष संदर्भ में की गई है।

2.2 नमूना आकार

मंत्रालय में आठवीं व नौवीं योजना अवधि (1992-93 से 2001-02) से सम्बन्धित अभिलेखों, आंकड़ों तथा सूचना की साधारणतया जांच की गई थी। 1997-98 से 2001-02 की अवधि में 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 128 जिलों को आवृत्त करते हुए नमूना जांच की गई थी। सम्बन्धित विवरण अनुबन्ध -I में दिए गए हैं।

2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना बहुत से अर्थों में अति संवेदनशील तथा दोषपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक परिवर्तन अथवा सामाजिक सुधारों से अप्रशम्य वंशानुगत प्रणाली के दूषित चक्र की दलदल में फंसी हुई लघुतम व्यावसायिक जाति का उल्लेख करती है। यह वंशानुगत प्रणाली जो कि सफाई कर्मचारियों को घृणित व्यवसाय में डालती है, यह निपुणता और अवसरों की कमी के साथ-साथ गरीबी है जोकि उन्हें इसमें बने रहने के लिए विवश करती है। लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले पुनर्वास प्रयासों तथा वास्तव में किए गए प्रयासों, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और किस सीमा तक वे प्राप्त किए गए के बीच 'वियोजित' क्षेत्रों का पता लगाना रहा है। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण को अधिक सम्बन्धित कारणों की जांच पड़ताल करना है जोकि हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन को रोकने वाले कानून को लागू करना, मुक्ति उपायों की पर्याप्तता, प्रशिक्षण प्रयास, विशेष लक्षित अभ्यासों की सफलता, अग्रणी एजेन्सियों द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव, स्व-रोजगार परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा अनुश्रवण मानकों की गुणवत्ता जैसी योजना के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक रूप से अतिक्रमण कर सके।

3. पुनरीक्षण के परिणाम

पुनरीक्षण के परिणाम आगामी पांच उप-अनुच्छेदों में निर्दिष्ट हैं। यहां यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए नमूना इकाईयों में की गई नमूना - जांच के लेखापरीक्षा परिणामों का योजना पैरामीटरों के साथ अंशांकन किया गया है जो कि व्यापक प्रवृत्तियों का सूचक है तथा निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन उपायों को उजागर किया गया है। यहां यह उल्लेख करना

प्रासंगिक होगा कि उप-अनुच्छेद 3.1 और 3.2 अर्थात् हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम को लागू करके शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करके, जल वाहित स्व-क्षालन शौचालयों तथा सामूहिक शौचालयों का निर्माण करके सफाई कर्मचारियों की मुक्ति संरचनात्मक रूप से योजना की परिधि में नहीं आती है। ये मामले यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि किस प्रकार योजना जो कि अधिक क्षमता तथा धारणशीलता में अपना योगदान दे सकती थी, अत्यावश्यक समकक्षों तथा संरचनाओं को बल प्रदान करने में असफल रही। पुनरीक्षण में "पुनर्वास" विषय जो कि योजना का प्रमुख केन्द्रबिन्दु भी है, के विवेचन में पुनर्वास के सभी प्रासंगिक मामले शामिल हैं।

3.1 कानून

हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 और अधिक उपयुक्त समय पर कानून नहीं बनाया जा सकता था। योजना आरम्भ ही हुई थी तथा योजना को वंशानुगत व्यासायिक ढांचे, जहाँ बुराई को करने वाला सेवा का प्रयोक्ता है, के विरुद्ध निशाना बनाना था। यद्यपि सेवा प्रदान करने वाले को बिना किसी वैकल्पिक व्यवसाय के बुरी तरह से सन्निहित प्रथागत व्यासाय, से उखाड़ा नहीं जा सका, प्रयोक्ता को अपने परिसर में सेवा का प्रयोग करने से रोका जा सकता था जिससे व्यवसाय से स्वयं छुटकारा मिल जाता। कानून जो हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन पर रोक लगाता था, इस प्रकार उसे योजना का क्रियान्वयन करने वालो को प्रभावशाली साधन भी प्रदान करना चाहिए था। इस केन्द्रीय कानून को अपनाने तथा इसे उचित गम्भीरता से लागू करने के पश्चात् राज्यों को योजना के लिए रास्ता निकालना चाहिए था तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के कार्य में पुनर्वास उपायों के साथ आगे पीछे उन्नति होती तथापि, अप्रैल 2002 तक, केवल सोलह राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) ने अधिनियम को अपना लिया था। राजस्थान और दिल्ली ने अभी तक अधिनियम को अपनाया जाना था। राजस्थान में मामला फिलहाल कानून बनाए जाने की प्रक्रिया में है तथा दिल्ली में यह मंत्रीमंडल के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है। अधिनियम की धाराओं की बड़े समीप की संवीक्षा से पता चला कि अधिनियम को लागू करने से निम्नलिखित क्षेत्रों में योजना पर प्रभाव पड़ सकता था।

अप्रैल 2002 तक 16 राज्यों द्वारा हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 अपनाया गया था तथापि किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया।

- कानून को लागू करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करके, जिसमें इसके अन्तर्गत सृजित योजनाओं का संचालन भी शामिल है, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन के लिए कानूनी अधिकारियों के तन्त्र का सृजन करना चाहिए था।

- अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य/संघ शासित क्षेत्र केन्द्रीय योजना के अनुपूरक के रूप में अपनी स्वयं की योजनाओं का प्रतिपादन कर सकती थी ।
- योजना के क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करके राज्य/संघ शासित क्षेत्र पर्यवेक्षण के लिए प्रभावशाली प्रशासनिक मशीनरी का सृजन कर सकते थे।
- केन्द्रीय सरकार स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत परियोजना समिति तथा अनुश्रवण समिति का गठन कर सकती थी जिससे योजना क्रियान्वयन को अपेक्षित प्रोत्साहन मिलता ।
- राज्य सरकार अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के लिए समन्वय समिति का गठन कर सकती थी जो कि योजना के क्रियान्वयन को सरल बना देता ।
- अगर अधिनियम का सख्ती से पालन किया गया होता, तो हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का पंजीकरण तथा उनका पुनर्वास योजना के अन्तर्गत पहल शक्तियों पर छोड़ने की बजाए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय हो जाता ।
- अगर शास्ति धाराओं को लागू किया जाता तो सफाई कर्मचारियों के नियोजन के समस्त अनुलम्बित मामलों का स्पष्टीकरण मांगा जा सकता था इस प्रकार योजना को उसके पुनर्वास प्रयास में सहायता मिलती ।

कानून के साथ संयोजन न होने के कारण योजना को हानि हुई।

योजना, कानून से अपना सम्बन्ध जोड़ने में असफल रहने के कारण बिना किसी कानूनी साधनों के उल्लंघनों को सजा देने के लिए आकर्षक तरीके से लागू होती रही । सिद्धान्त के तौर पर, अधिनियम के लागू होने के पश्चात योजना के पैरामीटरों से कानूनी ढांचे का सहसम्बन्ध स्थापित करने के लिए योजना की समीक्षा की जानी चाहिए थी ।

3.2 मुक्ति के माध्यम से पार्श्विक सहायता

"मुक्ति" शब्दावली का प्रयोग किए बिना योजना से यह अपेक्षा की गई थी कि अगर इस व्यवसाय में लगे वे तमाम तथा उनके आश्रितों को वैकल्पिक तथा सम्मानजनक व्यवसायों में पुनर्वासित कर दिया जाता है तो यह घृणित व्यवसाय समाप्त हो जाता । इस योजना के विवरणों तथा शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अनुसार ऐसी मुक्ति तभी सम्भव होगी जब शुष्क शौचालयों का प्रयोग करने की परम्परा का निराकरण किया जाएगा जिससे हाथ से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है । पुनर्वास की उपयुक्त योजना मुक्त सफाई कर्मचारियों के व्यापार और व्यवसाय प्रदान करेगी जिससे सम्मानजनक रूप से उनकी आजीविका उपार्जित हो सके इससे मुक्त हुए सफाई

यद्यपि सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास उनकी मुक्ति के आगे पीछे होना था, योजना मुक्ति और पुनर्वास योजनाओं के लिए उत्तरदायी एजेंसियों में आवश्यक तंत्र प्रदान करने में असफल रही।

कर्मचारियों को सफाई करने के व्यवसाय में पुनः ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार 'मुक्ति' तथा 'पुनर्वास' एक दूसरे से गुन्थे हुए हैं, जिसके बिना योजना पूर्ण नहीं होगी। योजना, क्रियान्वयन एजेन्सियों तथा समस्त प्रकार के परिचालनों को सम्मिलित करते हुए योजना का संचालन करने वाले मंत्रालयों में आवश्यक संयोजन प्रदान करने में असफल रही इसके बजाए योजना मुक्ति के प्रश्नों को शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों पर छोड़ते हुए जो क्रमशः पृथक तथा स्वतन्त्र रूप से अपनी "कम लागत वाली स्वच्छता योजना" तथा "ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम" योजनाओं को लागू करती है। अपने आपको केवल पहचान, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के पहलुओं तक ही सीमित रखती है। तीनों मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं था, और न ही परस्पर व्यापनों तथा विषमताओं को रोकने के लिए योजना के किसी भी प्रलेखों में योजना को सुव्यवस्थित नहीं किया गया था। इस 'वियोजन' ने महत्वपूर्ण योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में योजना को अलग कर दिया। 1991 में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास की समाकलित योजना जिससे योजना के नोडल उत्तरदायित्व के साथ मुक्ति घटक शहरी विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय को तथा पुनर्वास घटक तब के कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नाम रख दिया गया) को सौंप दिया गया। त्रुटि को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2002) कि मिशन प्रणाली में एकीकृत प्राधिकरण संगठन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया था।

शहरी सफाई कर्मचारियों की 'मुक्ति के लिए कम लागत वाली स्वच्छता योजना' विफल साबित हुई।

लेखापरीक्षा ने 1991-92 से 2001-02 की अवधि के दौरान दोनों मुक्ति योजनाओं (शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित "कम लागत वाली स्वच्छता योजना" तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित "ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम") के निष्पादन की समीक्षा की। मंत्रालय के अभिलेखों तथा उनसे प्राप्त उत्तर से पता चला कि दोनों योजनाओं सामाजिक न्याय और अधिकारिता ने मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजना को कोई विश्वसनीय सम्पर्क नहीं किया। शहरी विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया कि योजना ने अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तर्क दिया है कि 20 राज्यों/संघ शासित राज्यों में कोई शुष्क शौचालय नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की हाथ से सफाई करना प्रचलित नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि केवल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और सिक्किम में ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से शौचालयों का साफ करने की प्रथा के बारे में सूचित किया है। मंत्रालय ने शुष्क शौचालयों को जल वाहित स्व-क्षालन शौचालयों में परिवर्तित करने के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं और न ही इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई आबंटन किया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को शुष्क शौचालयों को स्व-क्षालन शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों का उपयोग करने के लिए हिदायतें दी थी। राज्य में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों से कोई पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि आबंटन आधारित प्रस्ताव का स्थान 'मांग संचालित प्रस्ताव' ने ले लिया है तथा लाभभोगी सहभागिता के साथ बारी-बारी से वितरण करने की क्रियाविधि ने सरकार से पहल शक्ति छीन ली थी। इसके अतिरिक्त, 'ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, का 1999 में आरम्भ

“ सम्पूर्ण स्वच्छता आन्दोलन” से सामंजस्य स्थापित हो गया है । 1992 में योजना के आरम्भ किए जाने के समय, योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्यबल द्वारा अनुमानित कुल सफाई कर्मचारियों का 17 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में था । 1998 तक, आधार -रेखा सर्वेक्षण ने सेवा इकाइयों की संख्या की पहचान 8 प्रतिशत की । आंकड़े न तो तुलनीय थे, और न ही 1992 और 1999 में लागू की गई आधार -रेखाओं में किसी भी प्रकार की सत्यापन की सम्भावना थी । सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को स्व-क्षालन शौचालयों में परिवर्तित करके सफाई कर्मचारियों की मुक्ति का धारणशील स्वच्छता आरूप में उपयुक्त रूप से अंशाकन नहीं किया गया है तथा घृणित प्रथा अब भी जारी है ।

शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को स्व-क्षालन शौचालयों में परिवर्तित करने की मुख्य तत्व वाली " कम कीमत की स्वच्छता योजना " की असफलता हालांकि एक भिन्न समस्या है । योजना ने 1992 में यह अनुमान लगाया था कि 4 लाख सफाई कर्मचारियों की कुल जनसंख्या में से, 3.34 लाख (83 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में थी। 1997 में, पुनर्सर्वेक्षण के आधार पर सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या 7.87 लाख तक बढ़ा दी गई परन्तु ग्रामीण - शहरी संस्थिति अनुपलब्ध थी अर्थात् गांवों और शहरों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । 1992 के अनुपात के आधार पर शहरी सफाई कर्मचारियों की संख्या 6.5 लाख नहीं आंकी जा सकी । शहरी विकास मंत्रालय में लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- मंत्रालय ने कोई प्रत्यक्ष अथवा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किये । योजना आवास एवं शहरी विकास निगम के माध्यम से मांग संचालित योजना के रूप में परिचालित थी तथा प्रायोजन करने वाले मंत्रालय के हाथ में कोई पहल-शक्ति नहीं थी ।
- मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन अथवा प्रगति का प्रत्यक्ष अनुश्रवण नहीं करता था। इसका अनुश्रवण आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा किया जाता है अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजता था। रिपोर्टों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रिपोर्ट न तो अद्यतन था और न ही प्रयोजन के लिए निर्धारित किसी मानक का पालन करती थी। उदाहरणार्थ अधिकतर राज्यों में कम लागत स्वच्छता योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों के परिवर्तन तथा स्व-क्षालन शौचालयों के निर्माण की मार्च 2002 के अन्त की स्थिति 2000 की रिपोर्टों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और हरियाणा में क्रमशः 31 दिसम्बर 1996 और 30 जून 1998 तक की स्थिति पर रिपोर्ट आधारित थी। स्पष्टतया, मंत्रालय जो रिपोर्टें अद्यतन नहीं थी स्वीकार करता रहा और आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा सूचित प्रगति का सत्यापन करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। मंत्रालय ने बताया कि मुक्ति और पुनर्वास योजना के घटकों की देखभाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जा रही थी।

यद्यपि, शहरी क्षेत्रों में योजना के मुक्ति घटक के लिए शहरी विकास मंत्रालय उत्तरदायी था।

- 480.22 करोड़ रू. की संस्वीकृत आर्थिक सहायता में से केवल 246.68 करोड़ रू. 31 दिसम्बर 2001 तक जारी किए गए। इसी प्रकार, कुल 583.51 करोड़ रू. के संस्वीकृत कर्जों में से केवल 278.60 करोड़ रू. 31 दिसम्बर 2001 तक जारी किए गए। मंत्रालय ने इस संदर्भ के उत्तर में आवास एवं शहरी विकास निगम की एक रिपोर्ट जिसने प्रलेखों में विलम्ब, सरकारी गारन्टियों की अनुपलब्धता, उपयोग प्रमाण-पत्रों का विलम्ब से प्रस्तुतिकरण तथा धीमी प्रत्यक्ष प्रगति को आर्थिक सहायता और कर्जों की विलम्ब की संस्वीकृति और निर्माण के बीच समय विलम्ब था। योजना के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए उपचारी उपायों का कोई साक्ष्य नहीं था।
- शहरी क्षेत्रों में पहचान किए गए 6 लाख सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध मंत्रालय ने केवल 37,340 (6.2 प्रतिशत) को मुक्ति दिलाने की सूचना दी। यह स्वीकार करते हुए कि स्कीम के वांछित परिणाम उपलब्ध नहीं किए गए, मंत्रालय ने धीमी प्रगति के लिए निम्नलिखित कारण बताए हैं-

- राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं का धीमा सर्जन।
- कम लागत स्वच्छता योजना के लाभों के बारे में जनता में जागरूकता की कमी।
- लाभ भोगियों में उनके अंशदान का भार उठाने तथा बाद में कर्ज की पुर्नअदायगी के लिए उत्सुकता का न होना।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त अनुश्रवण प्रणाली की अनुपस्थिति।
- राज्य सरकार द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड को कर्ज सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में गारन्टी देने में विलम्ब।

निम्नलिखित तालिका मार्च 2002 तक, शुष्क शौचालयों को जलवाहित में परिवर्तन, स्वक्षालन शौचालयों का निर्माण और सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था के लिए संस्वीकृत इकाइयों के संबंध में विभिन्न राज्यों में योजना की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करती है-

क्रम सं.	राज्य	शुष्क शौचालयों का परिवर्तन			स्वक्षालन शौचालयों का निर्माण			सामुदायिक शौचालय		
		संस्वीकृत इकाइयों की सं.	पूर्ण हुए इकाइयों की सं.	निर्माणाधीन इकाइयों की सं.	संस्वीकृत इकाइयों की सं.	पूर्ण हुए इकाइयों की सं.	निर्माणाधीन इकाइयों की सं.	संस्वीकृत इकाइयों की सं.	पूर्ण हुए इकाइयों की सं.	निर्माणाधीन इकाइयों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	54706	26657	1491	568742	320310	46888	158	40	50
2	असम	87014	3904	747	3826	807	280	शून्य	शून्य	शून्य
3	बिहार	4165	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	हरियाणा	91648	शून्य	शून्य	108576	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	जम्मू तथा कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	16927	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	झारखण्ड	779	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	कर्नाटक	30652	12293	शून्य	147037	57358	शून्य	117	शून्य	शून्य
8	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	14540	13325	1087	शून्य	शून्य	शून्य
9	मध्य प्रदेश	291377	71592	23184	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	महाराष्ट्र	75133	71724	1161	124333	22698	शून्य	2809	2663	120
11	उड़ीसा	11788	8228	शून्य	39809	14084	शून्य	10	10	शून्य
12	पंजाब	149350	121576	741	72772	55012	354	शून्य	शून्य	शून्य
13	राजस्थान	166385	97992	64608	257562	93542	159606	शून्य	शून्य	शून्य
14	तमिलनाडू	72850	47980	शून्य	82711	47459	68	372	269	15
15	उत्तरप्रदेश	491042	66546	शून्य	284071	46732	195	100	शून्य	शून्य
16	पश्चिम बंगाल	218925	118226	9526	75743	13589	2571	400	शून्य	शून्य
	कुल	1745814	646718	101458	1796649	684916	211049	3966	2982	185

➤ परिवर्तन के लिए संस्वीकृत 17,45,814 इकाइयों के विरुद्ध मार्च 2002 को केवल 37 प्रतिशत इकाइयां ही परिवर्तित की जा सकीं। जबकि **जम्मू व कश्मीर** तथा **केरल** में शुष्क शौचालयों को परिवर्तन के लिए संस्वीकृत नहीं दी थी। **बिहार, हरियाणा** और **झारखण्ड** में, हालांकि शुष्क शौचालयों को परिवर्तन के लिए संस्वीकृति दी गई थी, परन्तु कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। **असम** (5 प्रतिशत), **उत्तर प्रदेश** (14 प्रतिशत), **मध्य प्रदेश** (33 प्रतिशत), तथा **कर्नाटक** (40 प्रतिशत) में परिवर्तन की प्रगति धीमी थी। इस संदर्भ में उल्लेख करना संगत होगा कि सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत ऐसे राज्यों में एकत्रित था जहाँ कोई शुष्क शौचालयों का परिवर्तन नहीं किया गया या जहाँ परिवर्तन की प्रगति मन्द थी।

➤ 17,96,649 इकाइयों के स्व-क्षालन शौचालयों के निर्माण की संस्वीकृति के विरुद्ध मार्च 2002 को केवल 38 प्रतिशत का ही निर्माण हुआ था। जबकि **बिहार, झारखण्ड** और **मध्य प्रदेश** में किसी भी स्व-क्षालन शौचालय के निर्माण की संस्वीकृति नहीं दी गई थी। **हरियाणा** और **जम्मू व काश्मीर** में कोई निर्माण नहीं किया गया जबकि इन दो राज्यों में क्रमशः 1,08,576 इकाइयों और 16,927 इकाइयों की संस्वीकृति दी गई थी।

- अधिकांश राज्यों द्वारा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया था। फिर भी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रमशः 117, 100 एवं 400 इकाईयाँ संस्वीकृत की गईं। कोई सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था।

3.3 पुर्नवास उपाय

3.3.1 सर्वेक्षण एवं पहचान

सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों की पहचान और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए अपनी अभिरूचि योजना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक था। योजना आयोग द्वारा घटित कार्यबल ने अपने प्रतिवेदन मार्च 1991 में अनुमानित किए लाभभोगियों सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित की संख्या के रूप में 4,00,999 थे, सर्वेक्षण और पहचान, नाम पता लगाने और अलग-अलग लाभभोगियों और उनकी जरूरतों को पता लगाने के इरादे से की गई थी।

योजना सर्वेक्षण के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की पहचान करने के विचार से बनायी गई जो जून 1992 से पहले ही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। इन सर्वेक्षण को करने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारियों /जिला मैजिस्ट्रेटों/जिला समाहर्ताओं को सौंपा गया था। शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारियों और जिला स्तर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति विकास निगम आदि के माध्यम से किया जाना था। योजना ने विचार किया कि सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आधारित होना चाहिए जिसमें परिवारों के मुखिया परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम एवं आयु शैक्षिक योग्यता, वार्षिक आय, विशेष वैकल्पिक व्यवसाय में अभिरूचि आदि जैसे ब्यौरे शामिल हो। यद्यपि किसी भी राज्यों ने मंत्रालय को निर्धारित मानक के अनुसार सर्वेक्षणों को पूरा किया और सर्वेक्षणों परिणामों को सूचित नहीं किया। चार राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं पांडिचेरी) ने एक से चार वर्षों के बीच विलम्ब के बाद और 14 अन्य राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और दिल्ली) ने छः से दस वर्षों के बीच विलम्ब के बाद सफाई कर्मियों की पहचान को सूचित किया। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा अनुमानित सफाई कर्मियों की राज्यवार संख्या और चार राज्यों (बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में किए गए सर्वेक्षण में की गई पहचान से निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गए महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला:

राज्य	कार्यदल द्वारा अनुमोदित कर्मियों की सं.	राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण में पहचान किए गए सफाई कर्मियों की सं.
बिहार	22,398 (5.65)	12,226 (1.81)
दिल्ली	34,022 (8.48)	17,420 (2.57)
मध्य प्रदेश	36,894 (9.18)	80,072 (11.84)
उत्तर प्रदेश	62,029 (15.47)	1,49,202 (22.07)

टिप्पणी: कोष्ठक के अन्दर आँकड़े देश में कुल सफाई कर्मचारियों की जनसंख्या को चिन्हित करते हैं।

मंत्रालय ने सर्वेक्षण परिणामों की विश्वसनीयता पर संदेह किया।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार, पहचाने गए सफाई कर्मियों की संख्या 8,01,839 है। 1996-97 में अपनी योजना आयोग के नौवीं पंचवर्षीय प्रस्तावों में, मंत्रालय ने इंगित किया कि 7.87 लाख सफाई कर्मियों की पहचान कर ली गई। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की जांच के दौरान, मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को सूचित किया था कि 8,25,572 सफाई कर्मियों की पहचान कर ली गई थी। अतः मंत्रालय के पास सफाई कर्मियों की पहचान के आंकड़ों के पांच भिन्न सैट उपलब्ध थे। भिन्नताओं के लिए कारणों को समझाते हुए, मंत्रालय ने स्थायी समिति को सूचित किया कि राज्य सरकार ने कुछ मामलों में सफाई कर्मचारियों की अधिक संख्या सूचित की थी। बाद में, मंत्रालय ने जून 2001 में राज्य सरकार के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान प्रशासकों से जुलाई 2001 में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान करने के लिए एक माह लम्बा सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया। जबकि मई 2002 तक सर्वेक्षण के परिणाम प्रतीक्षित थे, राज्यों में सर्वेक्षण और पहचान प्रक्रियाएं की संवीक्षा से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए जो योजना के मूल पूर्वानुमान पर काफी प्रभाव डालते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ में इसका विवेचन किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश:

आन्ध्र प्रदेश में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण के लिए अपनायी गई कार्य प्रणाली विश्वसनीय नहीं थी।

जबकि 1992 में किए गए सर्वेक्षण में 7,938 लाभभोगियों की पहचान की गई जिसमें से 1995-96 तक 2401 शेष छोड़ते हुए 5,537 को पुनर्वास किया गया था, 1996 के सर्वेक्षण ने 7,448 लाभभोगियों की पहचान की जिसमें 5,047 की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। राज्य सरकार के अभिलेखों के अनुसार 1996-2000 की अवधि के दौरान 7,448 की गई लाभभोगियों की पहचान में से 6,493 को पुनर्वास किया गया, इस प्रकार केवल 955 लाभभोगियों को पुनर्वास किया जाना शेष था। आश्चर्यजनक बात यह थी, कि अगस्त 2000 के सर्वेक्षण में 30,921 लाभभोगियों की पहचान की गई (सफाई कर्मचारी: 8,402, आश्रित : 22,519) इससे प्रतीत होता था कि आधार रेखा आँकड़े प्रस्तुत करने में कोई भी सर्वेक्षण सफल नहीं हुआ और अपनायी गई कार्य प्रणाली विश्वसनीय नहीं थी।

असम:

असम में जनवरी 1994 और मार्च 1997 के बीच पहचान किए गए सफाई कर्मियों की तिगुणी बढ़ोत्तरी हुई।

जनवरी 1994 और मार्च 1997 के बीच तीन सर्वेक्षण किए गए। जबकि जनवरी 1994 सर्वेक्षण में 11,873 लाभभोगियों की संख्या की पहचान की गई, जनवरी 1995 सर्वेक्षण ने 16,877 दर्शाए और मार्च 1997 सर्वेक्षण ने 40,413 दर्शाए। इस अवधि के दौरान केवल 574 लाभभोगी पुनर्वास किए गए।

दिल्ली

सितम्बर 1992 और मई 1993 के बीच, चार स्वतंत्र एजेंसियों (दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम, विपणन एवं अनुसंधान ग्रुप, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो और दिल्ली का सामाजिक कार्य विद्यालय) को राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा किए गए क्षेत्रों को सूचित किए बिना सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया। जबकि पूरी 505 संख्या पता लगाई, विपणन एवं अनुसंधान ग्रुप ने 500 की पहचान की। इसके अतिरिक्त, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो और दिल्ली का सामाजिक कार्य विद्यालय ने क्रमशः 7,988 और 8427 सफाई कर्मियों की पहचान की। इन भिन्नताओं के लिए कारणों का पता लगाने की बजाए, राज्य सरकार ने इन चार सर्वेक्षणों के परिणामों के रूप में 17,420 संख्या को अपनाया। प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है कि एक एजेंसी से अधिक द्वारा एक ही क्षेत्र शामिल किया गया, जिसके फलस्वरूप अतिव्याप्ता और आवृत्ति हुई।

गुजरात:

गुजरात में पहचान किए गए लाभभोगियों की संख्या का राज्य में शुष्क शौचालयों से संबंध नहीं था।

1994 में गुजरात में किए गए सर्वेक्षण में 32,402 सफाई कर्मियों और 31,793 आश्रितों की पहचान की गई। इस संबंध में राज्य सरकार के पास अलग से उपलब्ध आँकड़ों की लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से, यद्यपि, पता चला कि पहचान किए गए 32,402 सफाई कर्मियों के प्रति राज्य में केवल 974 शुष्क शौचालय थे। इसलिए, इससे प्रतीत होता था कि सर्वेक्षण परिणाम विश्वसनीय नहीं थी।

हरियाणा:

सर्वेक्षण जून 1992 तक सम्पूर्ण हो गया था जैसा निर्धारित किया गया था परन्तु उसके परिणाम केन्द्रीय सरकार को केवल मार्च 1993 में सूचित किये गये थे। इसके अनुसार लाभभोगियों की संख्या 18,438 थी। 1995 में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के कहने पर अनुसूचित जाति वित्तीय निगम द्वारा दूसरा सर्वेक्षण दर्शाता था कि सर्वेक्षण के 6841 लाभभोगियों को अभी सूची में शामिल किया जाना बाकी था। इस प्रकार 1995 तक योजना का लक्ष्य 25279 लाभभोगियों का था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुरोध पर जनवरी 1997 में एक और सर्वेक्षण किया गया था, जिसने दर्शाया कि पिछले आँकड़ों में अभी 11083 लाभभोगियों को शामिल करने की आवश्यकता थी जिससे लाभभोगियों की संख्या बढ़कर 36362 हो जायेगी।

कर्नाटक:

सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट में लाभभोगियों की संख्या 14,555 दिखाई गई थी। यद्यपि यह जिलावार तथा क्षेत्र स्थिति वार लाभभोगियों की सूची से समर्थित नहीं थी। राज्य सरकार, सर्वेक्षण रिपोर्ट या सम्बन्धित फाईल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सकी थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति वित्तीय निगम थे अभिलेख के परीक्षण से

पता चला कि राज्यों में शुष्क शौचघरों के विद्यमान होने सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण आंकड़े मौजूद नहीं थे। राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2002) की सर्वेक्षण प्रगति पर था।

मध्य प्रदेश:

सर्वेक्षण सितम्बर 1993 में सम्पूर्ण हुआ था और इसने लाभभोगियों की संख्या 80,072 दिखाई थी। दूसरे सर्वेक्षण में, जो 1996 में किया गया था, यह संख्या बढ़कर 93394 हो गई थी। फिर भी, भारत सरकार के अभिलेख केवल 1993 सर्वेक्षण के परिणामों पर ही निर्भर थे।

महाराष्ट्र:

भारत सरकार द्वारा यह निर्दिष्ट था कि सर्वेक्षण कार्यान्वयन एजेन्सियों के स्टाफ, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से ही करवाया जाना चाहिए था। यद्यपि, अत्यावश्यकता के आधार पर दो निजी एजेंसियों की सेवाएँ सर्वेक्षण करने के लिए ली गई थी। 1992-93 के दौरान हुए सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि 42,563 लाभभोगियों को योजना द्वारा शामिल करने की आवश्यकता के तथ्य के बावजूद कि उसमें केवल 5102 सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित थे। एक दूसरा सर्वेक्षण सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करके 1996-97 के दौरान कराया गया था तथा लाभभोगियों की जनसंख्या 2,32,527 बताई गई थी। राज्य सरकार ने अत्यधिक बढ़ोतरी को सूची में जलमल सफाई कर्मचारियों को सम्मिलित करने को आरोपित बताकर स्पष्ट किया। विभाग ने बताया (जून 2002) कि सम्भावित लाभभोगियों की एक समग्र सूची का अभी संकलन किया जा रहा था।

पंजाब:

पंजाब में जून 1992 में किये गये सर्वेक्षण में 33232 लाभभोगियों की पहचान की गई थी। अनुवर्ती, सितम्बर 2001 में, कराये गये सर्वेक्षण में आंकड़े 531 दिखाये गये थे जिसका आशय यह प्रभाव जानना था कि 32701 लाभभोगियों का पुनर्वास कर दिया गया है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जून 1992 से सितम्बर 2001 के बीच केवल 2904 लाभभोगियों का पुनर्वास किया गया था।

तमिलनाडु:

राज्य सरकार ने सितम्बर-नवम्बर 1992 में गैर सरकारी संगठन के माध्यम से सभी जिलों में चैन्नई के अतिरिक्त सर्वेक्षण करवाया तथा 35561 लाभभोगियों की पहचान की। राज्य सरकार का नवम्बर 1995 में इस विचार पर सुस्पष्ट करते हुए कि कुछ योग्य लाभभोगियों को शामिल नहीं किया गया। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अक्टूबर 1995 में अगले दो माह के अन्दर तुरन्त सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिये थे। यह पता नहीं लगाया जा सका यह कभी पूरा हुआ या नहीं।

जबकि 2001 में राज्य सरकार ने बताया था कि सभी सफाई कर्मियों को पुनर्वासित कर दिया गया था, उसके बाद हुए सर्वेक्षण से पता चला कि 38,253 सफाई कर्मियों को अभी भी पुनर्वासित किया जाना था।

उत्तर प्रदेश:

राज्य में 1992, 1996 तथा 2001 में सर्वेक्षण कराये गये थे। जबकि प्रथम सर्वेक्षण में 2,46,116 सफाई कर्मियों की पहचान की गई, दूसरे सर्वेक्षण में केवल 48,588 की पहचान की गई। राज्य सरकार ने 1996 में संख्या में कमी, भारत सरकार के स्पष्टीकरण के आधार पर कि सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में सैनेटरी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया था आरोपित किया।

इसके अतिरिक्त, सभी 48588 सफाई कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 2001 तक पुनर्वासित दिखाया गया था। यद्यपि, तीसरे 2001 में किये गये सर्वेक्षण में 38253 की संख्या ऐसी दिखाई गई थी जिन्हें अभी पुनर्वासित करना था। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम ने लेखापरीक्षा की एक शंका के प्रति उत्तर में कहा था कि सभी शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के बिना सभी सफाई कर्मचारियों को मुक्त तथा पुनर्वासित करना सम्भव नहीं था।

पश्चिम बंगाल

1992-93 में नगरपालिकाओं द्वारा पहले ही राज्य में शुष्क शौचालयों का सर्वेक्षण करवाया गया था। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा वित्त निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के मार्च 2002 तक पूरे किये गये परिणामों में लाभभोगियों की संख्या 21189 दिखाई गई थी। सर्वेक्षण 122 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 81 तथा 341 में से 17 ब्लकों तक सीमित था। अतः सर्वेक्षण पूरा नहीं था। इसके अलावा, प्रत्येक आश्रित को भी एक पृथक इकाई के रूप में ना मानने के कारण 11449 भावी लाभभोगियों को सर्वेक्षण परिणामों में से निकाल दिया गया था।

इस प्रकार, राज्यों में हुए आधाररेखा सर्वेक्षणों को काफी मात्रा में अशक्तता झेलनी पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप, सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों की संख्या पर एक दशक के बाद भी मंत्रालय के पास विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, जो कार्य योजना को सरलता से तैयार करने के संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए अनिवार्य थे। जून 2001 में किए गए मूल्यांकन में, परियोजना और योजना आयोग के प्रबन्धन प्रभाग ने भी समर्थन किया कि योजना को अन्य तथ्यों के अलावा गलत और अपूर्ण लाभभोगियों की पहचान के कारण हानि पहुंची थी।

3.3.2 प्रशिक्षण:

योजनाबद्ध प्रयासों का अभाव

15 से 50 वर्षों की आयु वाले, अभिज्ञात सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों, को प्रशिक्षण देना, ताकि उन्हें आवश्यक कार्यकुशलताओं निपुणता से लैस किए जाने तथा स्वरोजगार परियोजना के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन की अपेक्षा की जा सके। योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत 85 व्यवसायों, मोटे तौर पर कृषि एवं सहायक क्षेत्रों लघु उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तथा व्यापार क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण की अवधि एक से छः महीने के बीच हो सकती थी। जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के साथ-साथ अन्य अर्ध-सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों, सुविधाओं तथा अवसरचर्चा का उपयोग करना अनिवार्य था तथा सफाई कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये थे। किसी भी राज्य में इस ओर कभी भी किसी नियमित प्रयास की पहल नहीं की गयी थी।

कोई विशेष गतिविधि विकसित नहीं की गई

किसी विशेष गतिविधि की रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी।

सफाई कर्मियों के लिए कम कार्य कुशलता स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रशिक्षण योजनाओं की रूप रेखा तैयार करने की आवश्यकता थी जिनका केन्द्र बिन्दु स्वरोजगार के लिए कार्यकुशलता का सर्जन और बढ़ावा देना चाहिये। मंत्रालय द्वारा, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी किये जाने थे। यद्यपि, सफाई कर्मियों की कोई विशेष गतिविधियां तैयार नहीं की थी, या विकसित नहीं की गई थी ना ही केन्द्र सरकार द्वारा कभी कोई अनुदेश जारी किये गये थे। इस चूक का गंभीर परिणाम यह था कि प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के एकात्मक मानदण्ड जो कार्य कुशलता की आवश्यकताओं के पूर्व-निर्धारित स्तरों पर आधारित थे, पूर्णतः अकुशल और अशिक्षित सफाई कर्मियों को, प्रशिक्षण कार्यक्रम की सख्ती को कम किए बिना, सहायता देना मुश्किल था। मंत्रालय ने जून 2002 में इस कमी को स्वीकार किया।

लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी

नौवीं योजना अवधि में भी आठवीं योजना में परिकल्पित प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

योजना में परिकल्पित किया गया था कि 3.50 लाख योग्य सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना आयोग के कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर अनुमानित वर्ष 1995-96 तक पूर्ण कर लिए जायें ताकि आठवीं योजना की अवधि (1992-97) के अन्त तक सभी अभिज्ञात सफाई कर्मियों के पुनर्वास की सुविधा की जा सके। यद्यपि मंत्रालय द्वारा मई 2002 दी गई सूचना के अनुसार 1996-97 तक प्रशिक्षण केवल 1.11 लाख सफाई कर्मियों (32 प्रतिशत)को दिया गया था।

राज्यों से सर्वेक्षण परिणाम प्राप्त होने पर, मंत्रालय ने नौवीं योजना अवधि (1997-2000) के दौरान प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। इन लक्ष्यों की राज्यों को कोई सूचना नहीं दी गई तथा परिणामतः राज्यों ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए या केवल तदर्थ

प्रशिक्षण के लिए लक्ष्यों की सूचना न मिलने के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा तदर्थ आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए

लक्ष्य निर्धारित किए जो भारत सरकार के लक्ष्यों से असंबद्ध थे। निम्नलिखित तालिका समग्र स्थिति प्रस्तुत करती है:

वर्ष	प्रशिक्षण हेतु लक्षित किये गये सफाई कर्मी	प्रशिक्षण दिये गये सफाई कर्मियों की संख्या	कमी	
			संख्या	प्रतिशतता
1997-1998	1,00,000	15,493	84,507	85
1998-1999	1,00,000	7,981	92,019	92
1999-2000	1,00,000	7,539	92,468	92
2000-2001	50,000	10,252	39,748	80
2001-2002	50,000	49,766	234	-

आठवीं तथा नौवीं योजना (1992-2002) के दौरान परिणामतः केवल 2.02 लाख लाभ ग्राहियों को ही प्रशिक्षित किया गया था। आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य नौवीं योजना के अन्त तक भी प्राप्त नहीं किये जा सके। मंत्रालय ने प्रशिक्षण की गति को बढ़ाने के लिए न ही कोई विशेष प्रयास किये और न ही पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्धता में कमी को दूर करने के लिए अनुवर्ती वर्षों के लिए लक्ष्यों को संशोधित किया गया। यदि नौवीं योजना अवधि के दौरान निष्पादन एक सूचक है तो सभी योग्य सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों के हेतु प्रशिक्षण लक्ष्य जल्दी ही पूरे नहीं होंगे। निम्नलिखित तालिका 1997-2002 के दौरान 14 राज्यों की विस्तृत स्थिति को दर्शाती है:

राज्य का नाम	प्रशिक्षण हेतु पहचान किये गये सफाई कर्मियों की सं.	निर्धारित लक्ष्य	प्रशिक्षित किये गये	लक्ष्य के विरुद्ध प्रशिक्षण में कमी	
				संख्या	प्रशिक्षण
असम	40,413	त.न.	2397	-	-
दिल्ली	त.न.	1000	671	329	33
बिहार	4,508	462	शून्य	462	100
गुजरात	16,731	त.न.	शून्य	शून्य	-
हरियाणा	32,227	8250	1589	6661	81
जम्मू तथा कश्मीर	3,517	त.न.	60	-	-
केरल	777	777	शून्य	777	100
मध्य प्रदेश	50,485	45,721	5632	40,089	88
महाराष्ट्र	उ.न.	10,000	3194	6,806	68
उड़ीसा	उ.न.	15,000	2782	12,218	81
पंजाब	9760	6000	शून्य	6000	100
राजस्थान	उ.न.	त.न.	2290	-	-
उत्तर प्रदेश	उ.न.	44,703	14,641	30,062	67
पश्चिम बंगाल	11,809	3300	82	3218	98

त.न.: तय नहीं

बिहार गुजरात, केरल तथा पंजाब के राज्यों में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था तथा असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

आपसी तालमेल का अभाव

योजना के अन्तर्गत, केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं स्वायत्तनिकायों के पास उपलब्ध वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करना अपेक्षित था। इससे संस्थानों सरकारी विभागों तथा योजना प्रशासकों के बीच सकारात्मक तालमेलों की श्रृंखलाओं के विकास में अवरोध हुआ। लेखापरीक्षा में पता चला था कि इन तालमेलों का भौतिककरण सैद्धान्तिक तौर पर, सम्बन्धित पार्टियों की ओर से पहल की कमी, तथा निर्धारित आवश्यकताओं तथा क्षेत्र-विशेष संसाधन आकृति के बीच भरी न गई खाईयों के कारण न हो सका। लेखापरीक्षा को कार्यकुशलता स्तर निर्धारण या उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से प्रशिक्षण संस्थानों के साथ अर्थपूर्ण सम्बन्धों के कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। लघु उद्योगों की विवरण पुस्तिका, जो कि समुचित रूप से भिन्न उद्देश्यों के लिए संकलित की गई थी, में से व्यवसायों की सूची को निकाल दिया गया था। प्रशिक्षण संस्थानों के पास उपलब्ध स्थलों या उनके खांचों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।

यहां तक कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (स्व.ग्रा.यु.प्र.) की परिचित योजना के साथ पूर्व निर्धारित आपसी तालमेल को भी सफलता पूर्वक नहीं बनाया जा सका। असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पांडीचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षणार्थी सफाई कर्मियों को स्व.ग्रा.यु.प्र. के अन्तर्गत दी जाने वाली टूल किट भी नहीं दी गई थी। दिल्ली में, 131 में से केवल 10 ने ही टूलकिट प्राप्त की थी। स्व.ग्रा.यु.प्र. कड़ी की विफलता का मुख्य कारण बिना अन्वेषण के रहा, परन्तु यह स्पष्ट है कि स्व.ग्रा.यु.प्र. के अन्दर पृथक केन्द्र के लिए एक पृथक लक्ष्य समूह के पृथक्कीकरण का पता नहीं लगाया जा सका।

स्थिति जो उभर के आती है वह असमन्वित प्रयासों, जो लाभभोगियों की विशेष कम कार्यकुशलता से सम्बद्ध नहीं थे, में से एक की रही। अवसंरचना की गुणवत्ता के किसी योजनाबद्ध निर्धारण, अपेक्षित कड़ी तथा बेमन से अपनाये तरीकों की कमी के परिणामस्वरूप लाभभोगी, प्रशिक्षण प्रयास के अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

3.3.3 व्यवसायिक पुनर्वास

योजना के अन्तर्गत पुनर्वास कार्यक्रम में इन बातों का विचार किया गया (i) सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों की पहचान करने के लिए समयबद्ध सर्वेक्षण तथा वैकल्पित व्यवसायों के प्रति उनकी रुचि (ii) व्यवसायों की पहचान तथा परियोजनाओं के शेल्व तैयार करना तथा (iii) पहचान किये गये लाभभोगियों को पहचाने गये व्यवसायों में छात्रवृत्ति के साथ प्रशिक्षण देना। कार्यक्रम में स्थितिबद्ध कवरेज को अपनाने की

सम्भावना का पता लगाना था। कार्यक्रम के अंतर्गत निधिकरण स्व-रोजगार के सृजन के उद्देश्य से आर्थिक सहायता, सीमांत धन ऋण और बैंक ऋण के तत्वों को सम्मिलित किया गया था। कार्यक्रम की सफलता सफाई के व्यवसाय में लगे कर्मियों की संख्या वैकल्पिक व्यवसाय के प्रति उनकी अभिरूचि तथा संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना की प्राप्यता पर आधारित थी। यद्यपि यह पाया गया, संसाधनों को ना तो समय पर जारी किया गया था और ना ही न्यायपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग किया गया था जिसके कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित निधियों का संचयन हुआ तथा निधियों को हड़बड़ी में जारी किया गया। आगे, विश्वसनीय मूल भूत डाटा, जो कि लक्ष्य निर्धारण के लिए आधार बन सकता था, कि अनुपस्थिति भी पुनर्वास उपायों के परिणाम सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण प्रक्षेपों तथा और अधिक त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों का कारण बनी। पुनर्वास कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(क) मार्च 1992 में योजना में आठवीं योजना अवधि (1992-97) के अन्त तक चार लाख सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि यह देखा गया था कि 1997 तक केवल 2.68 लाख लाभभोगी ही पुनर्वासित किए गए थे। जबकि मंत्रालय ने नौवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावों को तैयार करते समय, बाद के सर्वेक्षणों पर आधारित लाभभोगियों की संख्या 7.87 लाख प्रक्षेपित की थी। मजेदार बात यह है कि इस आंकड़े में पहले से पुनःस्थापित किये गये 2.68 लाख पुष्टि किये गये लाभभोगी भी शामिल थे। इस प्रकार, वर्षवार नियत किये गये लक्ष्य, 5.2 लाख लाभभोगियों तक हो गये थे। स्पष्टतया, यह गणितीय प्रक्रिया थी जो वास्तविकताओं से असम्बन्धित थी। लगभग 3 लाख लाभभोगियों के संचय को छोड़ते हुये नौवीं योजना के पुनर्वासितों की संख्या 2.03 लाख थी। यह विश्लेषण स्थापित करता है (i) नौवीं योजना अवधि में पुनर्वास प्रयासों के परिणाम संख्यात्मक रूप से आठवीं योजना अवधि की उपलब्धियों से घटिया थे। (ii) संचय से कम निकासी होने के कारण वास्तविक शब्दों में संख्याओं का प्रगामी गतिवर्द्धन है। अन्य शब्दों में, जब आठवीं योजना अवधि के अंत तक 1.32 लाख लाभभोगी पुनर्वास के लिए अभी भी प्रतिक्षा कर रहे थे, नौवीं योजना अवधि के अंत तक ऐसे संभावित लाभभोगियों की संख्या 3.17 लाख तक बढ़ गई।

नौवीं योजना अवधि में पुनर्वास प्रयासों के परिणाम आठवीं योजना में उपलब्ध परिणामों से संख्यात्मक रूप से घटिया थे।

(ख) नौवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्षों के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं-

वर्ष	जैसाकि मंत्रालय द्वारा नियत किये गये पुनर्वास के लिए लक्ष्य	वर्ष के दौरान पुनःस्थापित किए गये सफाई कर्मचारियों की संख्या	लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी	
			संख्या	प्रतिशत
1997-98	1,50,000	32,540	1,17,460	78.31
1998-99	1,50,000	36,559	1,13,441	75.63
1999-2000	1,50,000	26,538	1,23,462	82.31
2000-2001	50,000	30,312	19,688	39.38
2001-2002	20,000	76,840	-	-

राज्यों से आवधि सूचना प्राप्त होने के बावजूद मंत्रालय ने कभी भी अपने लक्ष्यों को और अधिक संशोधित नहीं किया।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि पंच वर्षीय लक्ष्य प्रक्रिया विस्तृत रूप से अनुमानित थी, क्योंकि इसने वर्षवार प्रगति को सम्मिलित नहीं किया। इस प्रकार के लक्ष्यों का पूरा परिणाम घटिया निष्पादन था जो कि विशेष वर्ष में अनुवर्ती वर्ष के लिए लक्ष्य को उचित बढ़ोतरी के लिए नहीं लिया गया। जबकि कमियाँ नौवीं योजना अवधि के दौरान योजना के प्रथम तीन वर्षों में 75 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक थी, यह चौथे वर्ष में 39.38 प्रतिशत तक सुधर गई तथा पांचवें वर्ष के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के चार गुणा के समीप तक पहुँच गई। सुधार उच्च पुनर्वास उपायों के परिणाम को आरोप्य नहीं था, बल्कि पिछले वर्षों यानि कि 2000-01 में एक तिहाई अथवा कम तक लक्ष्य को रस्तीभर नीचे करने को था। इस प्रकार, कुल मिला कर लक्ष्य प्रक्रिया, त्रुटिपूर्ण, अव्यावहारिक तथा अपर्याप्त थी। अपने स्तर पर मूल्यांकन प्राप्त करने तथा राज्यों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के बावजूद, मंत्रालय ने लक्ष्यों को और अधिक संशोधित नहीं किया। राज्यों में कार्यान्वित एजेंसियों को इन लक्ष्यों की सूचना नहीं दी गई थी, राज्यों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, जो मंत्रालय द्वारा निर्धारित से ब्यापक रूप से भिन्न थे।

(ग) मंत्रालय द्वारा और राज्यों द्वारा वर्ष-वार निर्धारित पुनर्वास लक्ष्यों के ब्यौरे नीचे तालिका में शामिल है:

क्रम सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	आंध्र प्रदेश	1,027	1,346	1,350	1,438	20,000
2.	असम	राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया था				
3.	बिहार	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4.	दिल्ली	3,000	2,200	2,000	2,000	2,000
5.	गुजरात	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000
6.	हरियाणा	6,000	2,500	3,000	2,000	2,000
7.	जम्मू तथा कश्मीर	राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया था				
8.	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया था				
9.	केरल	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न
10.	मध्य प्रदेश	15,000	9,085	15,000	5,296	5,525
11.	महाराष्ट्र	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
12.	उड़ीसा	5,000	5,312	6,646	6,815	6,740
13.	पंजाब	2,000	2,000	2,000	531	त.न.
14.	राजस्थान	4,559	3,705	6,700	3,741	1,810
15.	तमिलनाडू	4,079	4,850	4,850	4,850	4,850
16.	उत्तरप्रदेश	14,000	15,500	19,088	19,905	9,000
17.	पश्चिम बंगाल	1,700	800	900	1,000	1,500
18.	पांडीचेरी	राज्य सरकार द्वारा वर्षवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया था				
	योग	73,365	64,298	78,534	59,576	65,425
	मंत्रालय	1,50,000	1,50,000	1,50,000	50,000	20,000

यह देखा जाएगा कि असम, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक तथा पांडीचेरी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। केरल लक्ष्यों को निर्धारित किये जाने का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य मंत्रालय द्वारा नियत किये गये लक्ष्यों के 50 प्रतिशत के आसपास ही रहे। आगे, जबकि मंत्रालय ने

लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से कम कर दिया था, राज्यों ने लगभग पहले से अपनाए गये लक्ष्यों को बनाए रखा।

निम्नलिखित तालिका निर्धारित लक्ष्यों तथा संचित कार्य के संदर्भ में पुनःस्थापित की गई संख्या के सम्बन्ध में योजना की उपलब्धि का सारांश प्रस्तुत करती है।

अवधि	लक्षित लाभ भोगी	पुनर्वास प्रतीक्षित संख्या	पुनःस्थापित संख्या	पिछला संग्रह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1992-93 से 1996-97 8वीं योजना अवधि	400,000	1,32,000	2,68,000	1,32,000
1997-98	1,50,000	1,32,000 + 3,87,000 @	32,540	4,86,460
1998-99	1,50,000	4,86,460	36,559	4,49,901
1999-2000	1,50,000	4,49,901	26,538	423,363
2000-01	50,000	4,23,363	30,312	3,93,051
2001-02	20,000	3,93,051	76,840	3,16,211
1997-98 से 2001-02 9वीं योजना अवधि	5,20,000	3,16,211	2,02,789	3,16,211

@ नौवीं योजना प्रस्ताव के अनुसार कुल संख्या में 3,87,000 से जोड़ी गई

यह पाया गया कि:-

- नौवीं योजना अवधि के अन्त तक प्रतीक्षित पुनर्वास की संख्या आठवीं योजना अवधि के समीप तक दुगुनी से अधिक थी।
- लक्ष्य का केवल 39 प्रतिशत ही नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किया जा सका था और
- योजना के कार्यान्वयन के एक दशक के पश्चात भी अनुमानित लाभभोगियों के 40 प्रतिशत से अधिक पुनर्वास के बिना रहे।

(घ) अविश्वसनीय सर्वेक्षणों और आधार रेखा आँकड़ों की अनुवर्ती अनुपलब्धता के अतिरिक्त, योजना कुछ मूल आधारतत्त्व अकल्पनात्मक प्रबन्धन के कारण प्रभावित हुई ये मूल आधार तत्त्व निम्न प्रकार थे:

- केवल योग्य लाभभोगियों को सहायता प्रदान की जायेगी।
- योजना पद्धति में 50,000 रु. तक उच्चतर वित्तीय पैकेज प्राप्त करने के लिए लाभभोगियों को उत्साहित करना चाहिए ताकि निम्न लागत व्यावसायिक फंडे से बचा जा सके। यह इस अनुभव पर आधारित था कि लघु वित्तीय पैकेज टिकाऊ आय उत्पन्न करने में विफल रहे।

- प्रशिक्षण तथा रोजगार को इस प्रकार साथ मिलाया जाएगा ताकि कौशल, व्यावसायिक अथवा पेशेवर व्यावसायिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सके।
- सरकार के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक ऋणों के रूप में अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।
- लाभभोगियों की इस श्रेणी में अति उत्पीड़ित खण्ड होने से, महिलाओं को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जाएगा।
- श्रेणियों में लाभभोगियों के बीच आर्थिक बद्धता को उत्पन्न करने के लिए एक नीति के रूप में सामूहिक पहुँच अपनाई जाएगी।
- सहाकरिता फारमैट में सफाई सम्बन्धित बाजार लाभभोगियों को आकर्षित करेगा।

संसाधनों का दुरुपयोग

आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में संसाधनों के दुरुपयोग के उदाहरण पाये गये थे। आन्ध्र प्रदेश में, लेखापरीक्षा द्वारा जिला समितियों के प्रवर्तन निदेशालय के साथ संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि कुड्डापार जिले में 28 में से 24 इकाईयां जिन्हें 1997-98 के दौरान 80,000 रु. से 1 लाख रु. की इकाई लागत पर वित्तपोषित किया गया था, अस्तित्व में नहीं थी। इसी प्रकार, कुरनूल जिले में पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत स्थापित की गई 4 में से 3 दुकानें अस्तित्वहीन थीं। असम, मध्यप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभग्राहियों को सर्वेक्षण अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

उच्चतर परियोजना पैकेज उपयोग नहीं किये गये थे

परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के दायित्व के साथ सौंपा गया अनुसूचित जाति विकास निगम, सामान्यता निम्न लागत परियोजनाओं को लगातार संस्वीकृत करती रहीं। किसी परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन का कठिनता से कोई उदाहरण था। योजना में प्रति लाभभोगी, 50,000 रु. की अधिकतम सहायता का विचार किया गया था। हरियाणा में 1997-2002 के दौरान 6327 लाभभोगियों के पुनर्वास के लिए औसत वित्तीय सहायता 21,279 रु. थी, जबकि उड़ीसा में वह 16,279 रु. तथा पांडिचेरी में 2000 रु. थी। तमिलनाडु के छः जिलों में 1431 परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना लागत 3500 रु. तथा 20,000 रु. के बीच रही। पश्चिम बंगाल में, 20 नगरपालिकाओं तथा 9 ब्लाक में 373 में 353 लाभभोगियों ने 20,000 रु. से कम सहायता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में, 18,674 परियोजनाओं में से केवल 970 परियोजनाओं को 20,000 रु. से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई थी। जबकि निम्न लागत परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम की प्राथमिकता के लिए कोई लिखित कारण उपलब्ध नहीं थे, मूल अवरोद्धन परियोजना बनावट तथा इसकी व्यवहार्यता के अनुमान की जटिलता दिखाई देती थी। लाभभोगियों की शिक्षा का स्तर, उनके दीन हीन हालत तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से पहल

लाभभोगियों को उच्चतर वित्तीय पैकेज का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने निम्न लागत परियोजना को संस्वीकृति को प्राथमिकता दी।

की कमी ने, निम्न लागत वित्त पोषण परियोजना के सरलता विकल्प साधन के रूप में स्वीकार किये जाने में योगदान दिया होगा।

प्रशिक्षण एवं रोजगार का बेमेल होना

अप्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया गया जबकि प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित नहीं किया गया। पुनर्वास हेतु व्यवसाय लाभग्राहियों के प्रशिक्षण वाले व्यवसाय से भिन्न थे।

प्रशिक्षण, जोकि सफलतापूर्वक पुनर्वास के लिए पूर्व आवश्यकता थी, समस्त कार्यक्रम में सबसे कमजोर कड़ी बनी रही। अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि नौवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (1997-2002) में भी, इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था तथा निम्नलिखित योजना के अंतर्गत पुनर्वास प्रक्रिया को रूकावट डालने की समस्या निरन्तर बनी रही, जैसा कि निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के बीच बेमेल के उदाहरणों से स्पष्ट है:-

आन्ध्रप्रदेश तथा गुजरात में, क्रमशः 19,521 तथा 7,317 सफाई कर्मचारियों को बिना किसी प्रशिक्षण के पुनर्वासित किया बताया गया था। आन्ध्रप्रदेश में, कोई प्रशिक्षण दिये जाने की निगमों तथा जिला समितियों की विफलता के फलस्वरूप अधिकतर पुनर्वासित किये गये सफाई कर्मचारियों ने अपना कामधंधा जारी न रखते हुए उनके पुनर्वास पर व्यय को विस्तृत रूप से निष्फल बना दिया।

असम के चार जिलों में 53 पुनर्वासित किये गये सफाई कर्मचारी या तो अप्रशिक्षित थे अथवा जिनमें वे प्रशिक्षित किये गये थे उनके अलावा दूसरे किसी काम धंधे में पुनर्वासित किये गये थे।

मध्य प्रदेश में, 12,966 सफाई कर्मी बिना किसी प्रशिक्षण के पुनर्वासित किये गये थे। दूसरी ओर, 3647 सफाई कर्मी जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था पुनर्वासित नहीं किये गये थे। 1997-2002 के दौरान 139.58 लाख रु. के व्यय की लागत के साथ प्रशिक्षित किये गये 3,783 सफाई कर्मचारियों में से केवल 136 व्यक्ति ही पुनर्वासित किये गये थे।

महाराष्ट्र के दो जिलों पुणे एवं धुलिया में, 50 लाभभोगियों को जिन प्रशिक्षण तथा व्यवसाय जिनमें वे पुनर्वासित किये गये थे, असमानता पाई गई थी।

पंजाब में, 114 मामलों में से, केवल 66 सफाई कर्मचारियों ने अपने संबंधित व्यवसायों को प्रारंभ किया जिनमें वे प्रशिक्षित किये गये थे।

राजस्थान में, 620 सफाई कर्मचारियों में से जिन्होंने मार्च 2002 तक दो जिलों (अजमेर 269, जयपुर 351) में प्रशिक्षण प्राप्त किया, अभी तक केवल 382 ही पुनर्वासित किये जा सके थे। जबकि 1398 सफाई कर्मियों ने अन्य जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, 4,649 सफाई कर्मचारी पुनर्वासित किये गये थे। इस प्रकार, 3,251 सफाई कर्मचारी बिना प्रशिक्षण के पुनर्वासित किये गये थे।

तमिलनाडू के पांच जिलों (कोयम्बटूर, कुडालोर, कांचिपुरम, मदुराई, थान्जावुर) में, 293 प्रशिक्षित सफाई कर्मियों में से केवल 16 ही दो जिलों में पुनर्वासित किये गये थे।

पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में, 763 सफाई कर्मी पुनर्वासित किये गये थे, इनमें से केवल 36 सफाईकर्मी पुनर्वास से पहले प्रशिक्षित किये गये थे।

पुनर्वास के वैकल्पिक कामधंधे/व्यवसाय में कौशल के विकास के लिए आवश्यकता के अतिरिक्त यह समान रूप से आवश्यक है कि पुनर्वास के लिए उनको उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं के विषय में सफाई कर्मियों की जागरूकता का विचार किया जाय। इस प्रकार, अप्रशिक्षित सफाई कर्मियों का पुनर्वास या प्रशिक्षित सफाई कर्मियों का उन व्यवसायों के अलावा जिनमें वे प्रशिक्षित किये गये थे में पुनर्वास, प्रक्रिया के प्रति कार्यान्वयन एजेंसियों के आकस्मिक प्रयास का सूचक है।

बैंकों की भूमिका

परियोजना के अन्तर्गत, लाभभोगियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में बैंकों की निर्णायक भूमिका है। अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने बक द्वारा ऋण संस्वीकृत कराने के लिए लाभग्राहियों के ऋण आवेदन पत्रों की सिफारिश की थी। तथापि, सिफारिश किए गये सफाई कर्मियों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक बहुत अधिक सतर्क थे, जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में आवेदन पत्र अस्वीकार हुए। कुछ राज्यों की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है,

महाराष्ट्र में, अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने 1998-2002 के दौरान पुनर्वास योजना के लिए 12,726 आवेदन पत्र प्राप्त किये। इनमें से 12,666 प्रस्ताव बैंकों को सिफारिश किए गये थे। तथापि बैंकों ने 3806 प्रस्तावों को रद्द किया और 4530 प्रस्ताव बैंकों में अभी भी उनके पास लम्बित थे। इस प्रकार, मार्च 2002 को बैंकों द्वारा ऋण के लिए रद्द किये प्रस्तावों की दर 47 प्रतिशत तक उच्च थी। अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने बैंकों द्वारा प्रस्तावों की अस्वीकृति के लिए मुख्य कारण परियोजनाओं की अव्यवहार्यता तथा पिछली वसूलियों के घटिया रिकार्ड को आरोपित किया।

उड़ीसा में, अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने पुनर्वास के लक्ष्य प्राप्त करने में कमियों को आरोपित किया जैसे (क) एक परिवार के एक सदस्य द्वारा चूक की स्थिति में, बैंक परिवार के दूसरे सदस्यों को ऋण संस्वीकृत नहीं कर रहा था (ख) शुष्क शौचालय को जल वाहित शौचालय में बदलने पर सफाई कर्मियों की अविद्यमानता की दलील पर (ग) वसूली की निम्न दर।

पांडिचेरी में, बैंक ने कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों की संस्वीकृति के लिए आदि द्राविड विकास निगम द्वारा उनको प्रेषित किये गये 109 आवेदन पत्रों में से 22 को अस्वीकृत कर दिया था। निगम ने पांडिचेरी सरकार को अक्टूबर 1997 में सूचित किया कि इन आवेदनकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा तथा वैकल्पिक व्यवहार्य परियोजनाओं के साथ बैंकों के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, ऋणों को संस्वीकृत करने के लिए उनके मामले पुनः प्रस्तुत करने हेतु अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

बैंकों द्वारा ऋणों के आवेदनों रद्द करने की दर 74 प्रतिशत तक उच्च थी।

राजस्थान में अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने भी पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी को बैंकों के असहयोग को आरोपित किया।

तमिलनाडू के चार जिलों में 1997-2000 के दौरान सिफारिश किये गये 3870 प्रस्तावों में से 2862 आवेदन पत्र (74 प्रतिशत) अस्वीकृत किये गये थे।

आवेदन पत्रों की एक बड़ी संख्या को बैंकों से अस्वीकृत करने के उदाहरण अथवा सतर्कता दृष्टिकोण अपनाना भी इस तथ्य को इंगित करता है कि योजना के कार्यान्वयन अभिकरण अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने व्यवहार्य परियोजनाएं जिन्हें बैंक वित्त पोषित कर सकते थे, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

महिलाएं विशेषरूप से लक्षित नहीं की गईं

महिलाएँ सफाई कर्मी समुदाय के अत्यधिक दलित वर्गों का हिस्सा बनती हैं, परिवार के पुरुषों के अधिक प्रतिष्ठित व्यवसायों की ओर जाने के बावजूद भी, महिलाएँ निरन्तर हाथों द्वारा सफाई कार्यों में लगी रही हैं। 1996 में जारी की गई संशोधित दिशानिर्देशों ने पुनर्वास कार्यक्रमों में महिला सफाईकर्मियों को लक्ष्य करने में साथ ही विशिष्ट महिला अभिमुख योजनाओं को बनाने में विशेष जोर दिया। पूर्व सहायता समर्थन उपलब्ध कराने में महिला लाभभोगियों को विशेष ध्यान दिया जाना था। महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सफाईकर्मियों बस्तियों में नियमित रूप से जागरूकता शिविर संगठित करने भी अपेक्षित थे। यह नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आयीं :

- मंत्रालय द्वारा कोई महिला अभिमुख योजना नहीं बनाई गई।
- आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने कोई विशिष्ट महिला अभिमुखी योजनाएँ नहीं बनाई।
- आन्ध्रप्रदेश के सात जिलों में 6,244 पुनर्वासित सफाईकर्मियों में से महिलाएँ केवल 39 प्रतिशत ही बनीं। असम के छः जिलों में, महिलाएँ, पुनर्वासित 1266 सफाई कर्मियों का 49 प्रतिशत बनीं। दिल्ली में, महिला सफाई कर्मियों के लिए कोई अलग से विवरण नहीं बनाये गये थे। पंजाब में, प्रशिक्षण के लिए पहचान की गई 14,674 महिला सफाई कर्मियों में से 8212 महिलाओं ने प्रशिक्षण के लिए इच्छा व्यक्त की इनमें से, केवल 1396 महिलायें (17 प्रतिशत) ही मार्च 2002 तक पुनर्वासित की जा सकी थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 181 महिला सफाई कर्मियों को किराना, कपड़ा व्यापार इत्यादि स्थापित करने के लिए प्रत्येक को 8000 रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तथापि ये इकाइयाँ शीघ्र ही रुग्ण हो गईं। जिला समिति के अनुसार इन महिला सफाई कर्मियों ने अपने पूर्व व्यवसाय को नहीं छोड़ा था। यह पुनर्वासित महिला सफाई कर्मियों को पुनर्वास के पश्चात सहायता समर्थन की कमी का स्पष्ट उदाहरण है जो कि योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

- यद्यपि **तमिलनाडु** के छः जिलों में पुनर्वासित 2754 सफाईकर्मियों में से 1750 (64 प्रतिशत) महिलाएं थीं।
- **कर्नाटक** में, अ.जा./अ.ज.जा. विकास निगम ने पुनर्वासित किये गये पुरुष तथा महिला सफाईकर्मियों पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। तथापि, नमूना जाँच किये गये जिलों में गुलबर्गा को छोड़कर 2384 पुरुष सफाईकर्मियों के प्रति 2502 महिला सफाई कर्मियों पुनर्वासित की गई थीं।
- **गुजरात** में, गुजरात अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम के पास महिलाओं के लिए जागरूकता शिविरों के संगठन पर कोई सूचना नहीं थी; दूसरी ओर, **मध्यप्रदेश** में जागरूकता शिविर केवल भोपाल जिले में संगठित किये गये थे।
- **राजस्थान** में कार्यन्वयन एजेंसी को विशेष तौर पर संकेन्द्रित क्रियाकलापों के माध्यम से महिला सफाईकर्मियों को पुनर्वासित करने के लिए दिशानिर्देशों की कोई जानकारी नहीं थी।

इस प्रकार, संशोधित दिशानिर्देशों में निहित महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के विषय में निदेशों ने, मंत्रालय/राज्य स्तर कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा कोई अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। **तमिलनाडु** तथा **कर्नाटक** ने विशेषरूप से संकेन्द्रित योजनाओं के बिना प्रभावशाली परिणाम दिखाए, तथापि, ये योजना से अनजान थे।

समूह दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया

1996 के संशोधित दिशानिर्देशों में विचार किया गया था कि अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के लिए एक समूह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक बस्ती में योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए सभी योग्य सफाईकर्मियों एक साथ पुनर्वासित किए जाने थे। अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को आर्थिक सहायता तथा सीमान्त राशि-ऋणों को एक साथ इकट्ठा करने हेतु समूह परियोजनाएं बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए था।

अभिलेखों की जांच पड़ताल से पता चला कि किसी भी राज्य में सामूहिक प्रयास नहीं अपनाया गया था। यद्यपि **आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** में सेनितरि मार्टस के रूप में समूह परियोजनाएं सफाईकर्मियों के पुनर्वास के लिए अपनाई गई थीं, फिर भी एक समूह में सैनितरि मार्ट योजना के अन्तर्गत आवृत्त न किये गये सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कोई दूसरी परियोजना सामूहिक प्रयास को अपनाते हुए बनाई या कार्यान्वित नहीं की गई थी। **असम, हरियाणा** तथा **पंजाब** जैसे राज्यों में सामूहिक प्रयास बिलकुल कार्यान्वित नहीं किया गया था। सेनितरि मार्ट परियोजना की सीमित सफलता तथा सामूहिक प्रयास में सफाईकर्मियों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए कोई दूसरी परियोजना की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस विषय में संशोधित दिशानिर्देश बिना कार्यान्वित किए पड़े रहे।

सैनितरि मार्ट योजना की असफलता

सैनितरि मार्ट की स्थापना के द्वारा सफाईकर्मियों के पुनर्वास की परिकल्पना योजना में जनवरी 2000 में शामिल की गई थी। सैनितरि मार्ट एक शापिंग स्थल है जहाँ आम आदमी की सफाई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है तथा इसके उत्पादन केन्द्र में सामग्री एवं उपस्कर जैसे पैन्स, ट्रेपस इत्यादि तैयार किये जाएंगे। योजना के अन्तर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को आदर्श रूप से 20-30 उत्कृष्ट सफाईकर्मियों की, सहकारी समितियों के गठन को तेज करना था तथा ये सहकारी समितियाँ सैनितरी मार्टस द्वारा चलाई जानी थीं। योजना का मुख्य लक्ष्य सफाई की आवश्यकता को, शुष्क शौचालय को जल वाहित शौचालय में परिवर्तित करते हुए तथा बाद में, सफाईकर्मियों को, लगाने की आवश्यकता को, समाप्त करना था।

130.05 करोड़ रु.
जारी करने के बावजूद
सेनितरी मार्ट योजना
असफल साबित हुई।

इस योजना की सफलता विस्तृत रूप से (क) सैनितरि मार्टस को स्थापित करने के लिए सफाई कर्मियों को तैयार करने तथा (ख) सैनितरि मार्टस के पास उपलब्ध सेवाएं तथा मदों के लिए मांग को उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार की योजना बनाने में, कार्यान्वयन एजेंसियों की वचनबद्धता पर निर्भर करती थी। तथापि, अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि योजना 1999-2002 के दौरान सैनितरि मार्ट योजना में मंत्रालय द्वारा 130.05 करोड़ रु., योजना पर कुल जारी की गई राशि का 93 प्रतिशत, जारी करने के बावजूद भी, योजना अपने आप प्रारंभ में ही विफल हो गई। चौदह राज्यों में 1,15,150 सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए 4,606 सैनितरि मार्टस को स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति कार्यान्वयन एजेंसियां 4107 सफाई कर्मियों को पुनर्वासित करते हुए केवल 636 सैनितरी मार्टस ही स्थापित कर सकी थीं।

दिल्ली, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, केरल में, योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी। मजेदार बात यह भी रही कि राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सैनितरीमार्ट योजना पश्चिम बंगाल में केवल सीमित सफलता के साथ ही कार्यान्वित हो सकी यद्यपि राज्य योजना के रूप में यह सम्पूर्ण रूप से सफल रही। विफलता मुख्यतः पश्चिम बंगाल सरकार की योजना में उपलब्ध कराये गये, इन मार्टों के ग्राहकों को सहायता के घटकों की अनुपस्थिति को अरोपित थी। हरियाणा तथा पंजाब में योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी, क्योंकि यह व्यवहार्य नहीं थी।

3.4 संगठनात्मक रूप से मेल न खाना

योजना के कार्यान्वयन
स्तर पर संगठनात्मक
बेमेल पाए गए

योजना का संगठन केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शहर या मौहल्ला स्तर से ऊपर से नीचे चार-स्तरो के ढाँचे के साथ किया गया था संगठनात्मक रूप से योजना संभाव्यतः पूर्वानुमान पर ग्रामीण स्तर नेटवर्क पर विचार नहीं कर रही थी क्योंकि सफाई कर्मचारियों की प्रथा ग्रामीण संहति के लिए अनुकूल नहीं थी। 'ग्रामीण सफाई कार्यक्रम' यद्यपि, अपने आप में सफाई कर्मचारियों के विमोचन को दर्शाता था। इस प्रकार, जिला स्तर से नीचे ग्रामीण संबंधी स्तर होना आवश्यक था जोकि योजना में उपलब्ध नहीं था। जिला कार्यान्वयन ढाँचे से संघटित शहरों और मौहल्लों के साथ

नियंत्रण इकाई बन गया था और, जिले के जिला समाहर्ता को ढांचे में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए था। समाहर्ता के माध्यम से बैंको, शहरी स्थानीय निकायों, अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम प्रशिक्षण संस्थाओं एवं निगरानी समितियों के साथ प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। जिला प्राधिकारी के माध्यम से ही अन्य विकास योजनाओं के साथ आपसी तालमेल कार्यान्वित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में यद्यपि यह देखा गया कि जिला प्रशासनिक प्रधान की भूमिका अधिकांश सर्वेक्षण एवं एकीकरण तक सीमित थी, लेकिन ऐसा सभी मामलों में नहीं था। योजना का दिन-प्रतिदिन कार्यान्वयन अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को स्थानांतरित की गई। इसी कारण समेकित आँकड़े जिला समाहर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं थे और सूचना अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम से एकत्रित की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप योजना के प्रचालन को समर्पण की कमी थी। जांच किए गए जिलों में प्रशिक्षण संस्थाओं के एकीकरण और व्यवसाय के विभाग के विकास में जिला प्राधिकारियों द्वारा की गई पहलशक्ति का कोई प्रमाण नहीं था। राज्य सरकारों ने निधि सीधी अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को मंजूर की और जिला समाहर्ता की कोई भूमिका नहीं थी।

आवधिक रिपोर्टों को अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम से उपलब्ध सूचना के आधार पर समाहर्ता के कार्यालय पर प्राप्त की जाने के अतिरिक्त जिला समाहर्ता और राज्य के नोडल विभाग के बीच समन्वय अमहत्वपूर्ण था। कई मामलों में, समाहर्ताओं की अध्यक्षता के अधीन जिला स्तर निगरानी समितियां नहीं बनायी गयी थी। राज्य स्तर पर कार्यान्वयन विभाग के सचिव और शहरी विकास, ग्रामीण विकास, श्रम एवं तकनीकी शिक्षा का कार्य करने वाले समन्वय नहीं था, जैसा कि आवश्यक था। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का भी शहरी विकास मंत्रालयों और ग्रामीण विकास के साथ कोई समन्वय नहीं था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के साथ इनका सम्बन्ध केवल सैनटरी मार्ट में दिखता था।

ऐसे संघटनात्मक रूप से मेल न खाने और समन्वय में विफलता के कारण सभी स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन में प्रभाव पड़ा।

3.5 वित्तीय प्रबन्ध में त्रुटियाँ

3.5.1 निधियों का प्रवाह

आठवीं योजना अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं पुर्नवास के लिए आवश्यक निधियों का अनुमान 563.80 करोड़ रु. लगाया गया था, जबकि केवल 386.20 करोड़ रु. ही उपलब्ध कराए गए और 384.67 करोड़ रु. का व्यय हुआ। हालांकि योजना आठवीं योजना अवधि के अंत तक पूरी की जानी थी, नोवीं योजना अवधि के दौरान यह जारी रही। आठवीं और नोवीं योजना अवधियों के दौरान निधि के आबंटन की विस्तृत तुलना में वास्तविक व्यय नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती	वास्तविक व्यय
8वीं योजना अवधि (1992-97)	386.20	386.20		384.20
1997-98	120.00	90.00	30.00	90.00
1998-99	90.00	20.00	70.00	5.90
1999-2000	70.00	70.00		70.00
2000-2001	67.50	60.94	6.56	60.92
2001-2002	74.00	8.21	65.79	9.20
9वीं योजना अवधि (1997-2002)	421.50	249.15	172.35	236.02
कुल योग	807.70	635.35	172.35	620.69

नौवीं योजना अवधि के दौरान (1997-2002) शुरू में 421.50 करोड़ रु. बजट की वचनबद्धता 249.15 करोड़ रु. के नीचे आ गई थी जिससे लगभग 41 प्रतिशत राशि की कुल कमी हुई।

मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर पर बजट की सहायता में कमी का कारण राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के पास पड़ी अव्ययित राशि तथा योजना आयोग द्वारा 2001-02 में योजना संशोधित करने में अरुचि-प्रदर्शित करने पर आरोपित किया।

3.5.2 अनुदान के भारी अव्ययित शेष अवरोधन के बावजूद अनुदान जारी किया गया।

बड़े अव्ययित शेषों के बावजूद अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को निधियां जारी की गई थी।

मंत्रालय में अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि इस प्रकार के अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को सहायता अनुदान जारी किया गया जिनके पास भारी अव्ययित शेष थे। अनुबन्ध-III में दर्शाए गए विवरण से यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा निधियों का उपयोग ठीक नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2002) कि राज्य सरकारों/अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को योजना के अंतर्गत समय पर निधियों के उपयोग के लिए निरन्तर कहा जाता रहा था।

3.5.3 मार्च में अंधाधुंध संवितरण

वर्ष में संवितरण का महत्वपूर्ण भाग वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के साथ-साथ मार्च माह में किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है -

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल संवितरण	अंतिम तिमाही के दौरान संवितरण	अंतिम तिमाही के दौरान संवितरण की प्रतिशतता	मार्च के दौरान संवितरण	मार्च के दौरान संवितरण की प्रतिशतता
1997-98	90.00	20.56	23	11.46	13
1998-99	5.90	5.90	100	5.90	100
1999-2000	70.00	70.00	100	70.0	100
2000-01	60.92	60.92	100	60.92	100
2001-02	9.20	2.25	24	2.25	24

वर्ष 2000-01 और 2001-02 में कार्यान्वित एजेन्सियों को डिमान्ड ड्राफ्ट के लिए अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में अनुदान जारी किया गया। वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में निधियों का जारी करना घटिया वित्तीय प्रबन्ध का संकेतक था और बजट अनुदानों के व्यपगत से बचने का उद्देश्य था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2002) कि राज्यों/अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम से सफाई संबंधी सैनटरी मार्ट के विषय पर प्रस्तावों को आमंत्रित करने का उपागम पत्र 30 जनवरी 2000 को प्रचालित किया गया था और वर्ष 1999-2000 के लिए प्रस्ताव मार्च माह में प्राप्त किए गए थे और वर्ष 2000-2001 के लिए संस्वीकृति विलम्ब से मिली क्योंकि कई अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम के पास भारी अव्ययित शेष थे जिसके कारण वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ आगे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर सिर्फ लेखापरीक्षा प्रेक्षण को सुदृढ़ करना है।

3.5.4 राज्य सरकारों/अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम द्वारा निधियों का उपयोग

वर्ष 1997-2002 के दौरान जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति तथा उपगत व्यय उनके सामने नीचे दिया गया है -

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अथ शेष	केन्द्र द्वारा जारी की गई	राज्य अंशदान/बैंक ऋण/एन एस के एफ डी सी ऋण	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय की गई (1997-2002)	31.3.2002 को अप्रयुक्त निधियां	
							राशि	प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.42	14.10	13.25	30.77	53.60	-	शून्य
2.	असम	1.65	3.72	1.93	7.30	1.70	5.60	77
3.	बिहार	6.13	4.64	शून्य	10.77	1.56	9.21	86
4.	दिल्ली	4.70	शून्य	0.33	5.03	1.80	3.23	64
5.	गुजरात	0.42	20.51	शून्य	20.93	3.28	17.65	84
6.	हरियाणा	11.49	शून्य	7.51	19.00	13.72	5.28	28
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.51	0.35	1.96	3.82	1.88	1.94	51

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अथ शेष	केन्द्र द्वारा जारी की गई	राज्य अंशदान/बैंक ऋण/एन एस के एफ डी सी ऋण	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय की गई (1997-2002)	31.3.2002 को अप्रयुक्त निधियां	
							राशि	प्रतिशतता
8.	झारखंड	शून्य	10.85	शून्य	10.85	-	10.85	100
9.	कर्नाटक	3.09	10.63	शून्य	13.72	8.12	5.60	41
10.	केरल	0.42	शून्य	शून्य	0.42	*	0.42	100
11.	मध्य प्रदेश	4.63	33.34	47.79	85.76	67.40	18.36	21
12.	महाराष्ट्र	7.89	21.35	7.33	36.57	9.20	27.37	75
13.	उड़ीसा	6.98	6.96	शून्य	13.94	9.92	4.02	29
14.	पांडिचेरी	0.05	शून्य	शून्य	0.05	0.01	0.04	80
15.	पंजाब	1.58	शून्य	शून्य	1.58	0.61	0.97	61
16.	राजस्थान	17.81	19.35	शून्य	37.16	3.73	33.43	90
17.	तमिलनाडु	23.55	22.53	7.82	53.90	18.38	35.52	66
18.	उत्तर प्रदेश	36.89	44.46	3.06	84.41	65.46	18.95	23
19.	पश्चिम बंगाल	4.51	शून्य	0.37	4.88	1.50	3.38	69
	जोड़	136.72	212.79	91.35	440.86	261.87	201.82	

* केरल में व्यय नगण्य (13,000 रु.) है उसे शून्य में पूर्णांकित कर दिया गया है।

14 राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक निधियाँ उपयोग में नहीं ली गईं

1997 से 2002 की अवधि के दौरान 440.86 करोड़ रु. निधि में से केवल 261.87 करोड़ रु. का वास्तविक व्यय हुआ था। यह कुल उपलब्ध निधियों का 58.63 प्रतिशत बनता है। राज्यवार स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि 14 राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक निधियाँ अप्रयुक्त रही। केरल और झारखंड में सम्पूर्ण निधि अप्रयुक्त रही। बिहार, गुजरात, पांडिचेरी में निधियों के अनुपयोग की प्रतिशत 80 से 90 के बीच रही। निधि के अनुपयोग की स्थिति असम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निराशाजनक रही क्योंकि इन राज्यों में अनुपयोग निधि की प्रतिशत 41 से 77 के बीच रही। निधियों के कम उपयोग सामान्यतः सफाई करने वालों को ऋण संस्वीकृत करने में बैंको का उदासीन रवैये तकनीकी मानवशक्ति की अनुपलब्धता, परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब, जिला स्तर पर आवेदन पत्रों की नामजूसी और परियोजनाओं की अक्षमता का प्रतीक था।

असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम ने वेतन एवं भत्तों और स्थापनों व्ययों को करने के लिए 16.43 करोड़ रु. का ब्याज उपार्जन का उपयोग किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रूपयों में)

राज्य का नाम	राशि
असम	0.22
बिहार	3.45
दिल्ली	3.56
हरियाणा	4.03
झारखंड	0.71
मध्य प्रदेश	1.23
उड़ीसा	0.26
पंजाब	0.65
पश्चिम बंगाल	2.32
कुल	16.43

3.5.5 राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता का प्रतिधारण

राज्य सरकारों द्वारा 11.84 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता बिना संवितरण के रोके रखी।

मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार ने 9.29 करोड़ रु. 1992-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता रोके रखी और राशि जारी करने वाली शाखा को मार्च 2002 तक स्थानंतरित नहीं की गई। 1997-2002 के दौरान, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम ने योजना के अंतर्गत 33.34 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की। यदि राज्य सरकार ने 9.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रोके नहीं रखी होती तो निगम द्वारा बराबर राशि की निधियों की आवश्यकता कम होती।

पंजाब में, 1995-96 के दौरान राज्य सरकार ने 2.55 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता को मार्च 2002 तक रोके रखा। अगस्त 2002 तक राशि प्राप्ति के लिए मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के साथ मामला नहीं उठाया।

3.5.6 राज्य सरकारों द्वारा अंशदान मेलन खाने में कमी

पुर्नवास के लिए वित्तीय पैकेज का न्यूनतम धन ऋण घटक केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के बीच 49: 51 के आधार पर निधिबद्ध किया जाना था। सात राज्यों में न्यूनतम धन ऋण के राज्य अंश का या तो अंशदान नहीं किया गया या कम अंशदान किया गया जैसा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	अंशदान में कमी (लाख रु.में)
1.	असम	42.07
2.	मध्य प्रदेश	141.39
3.	महाराष्ट्र	313.08
4.	पश्चिम बंगाल	27.64
5.	आन्ध्र प्रदेश	कोई अंशदान नहीं
6.	बिहार	कोई अंशदान नहीं
7.	कर्नाटक	कोई अंशदान नहीं

3.5.7 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

कुल जारी की गई राशि का 91 प्रतिशत उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक लम्बित थे

मंत्रालय 1996-97 तक राज्य सरकारों के माध्यम से शाखा सम्बन्धित को योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान जारी करता रहा था, और उसके पश्चात अनुदान सीधे ही शाखा को जारी होते रहे। राज्य सरकारों/अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम को उन्हें जारी की गई सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, यह देखा गया कि 1991-2002 के दौरान 642.43 करोड़ रु. की कुल जारी की गई अनुदान सहायता के विरुद्ध मंत्रालय ने केवल 60.77 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए (कुल जारी अनुदान का 9 प्रतिशत)। लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्र के राज्य वार ब्यौरे अनुबन्ध -III में दर्शाए गए हैं। ये प्रमाण-पत्र कुछ मामलों में 1991-92 से देय हैं।

3.6 अपर्याप्त अनुश्रवण

निगरानी समितियों का गठन न होना/कार्य न करना, ने योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को प्रभावित किया

योजना में अनुश्रवण समितियों के एक नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है शिखर स्तर पर केन्द्रीय अनुश्रवण समिति, जिला-स्तर अनुश्रवण समितियां द्वारा समर्थित राज्य-स्तर अनुश्रवण समितियां, जबकि केन्द्रीय तथा राज्य स्तर समितियों में तिमाही बैठक की जानी अपेक्षित थी, जिला तथा टाऊन समितियों के लिए कोई आवधिकता उपलब्ध नहीं कराई गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि केन्द्रीय समिति ने 1992-2002 अवधि के दौरान केवल एक बार फरवरी 1993 में बैठक की जबकि, इसको कम से कम चालीस बार मिलना चाहिए था। कुछ राज्यों में राज्य-स्तर समितियां (असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल) अपेक्षित समयों की संख्या के आधे से भी कम बार मिलीं, दूसरे राज्यों में जहां यह समितियां गठित की गई थीं, ये एक बार भी नहीं मिली (जम्मू तथा कश्मीर और उड़ीसा)। बिहार, झारखण्ड, केरल तथा पांडीचेरी में, कोई राज्य स्तर समितियां नहीं बनाई गई थीं। जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र तथा पांडीचेरी में जिला-स्तर समितियां नहीं बनाई गई थीं। हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पांडीचेरी तथा तमिलनाडु में कोई टाऊन

अथवा मोहल्ला समितियां नहीं बनाई गई थीं। कई मामलों में समिति बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख नहीं बनाए गये थे।

जिला स्तर, राज्य-स्तर, केन्द्रीय स्तर अनुश्रवण समितियां योजना के मूल्यांकन के लिए प्रचालन स्तर पर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर निर्भर रहीं। सैद्धांतिक तौर पर अनुबंध इस प्रकार था कि शहरी स्तर पर सर्जित रिपोर्टें जिला स्तर रिपोर्टों का पोषण करेगी। जिला स्तर रिपोर्टें राज्य स्तर रिपोर्टों को पोषित करेगी और अन्त में राज्य रिपोर्टें केन्द्रीय रिपोर्टों को पोषित करेगी। चैनल में किसी प्रकार के उल्लंघन से सूचना क्रम की इस कड़ी को स्वतः ही क्षति होगी। तथ्य रूप से यह हुआ कि: इनमें से अधिकतर समितियां गठित नहीं हुई थी। यदि इनमें से कुछ समितियां गठित हुईं तो ये प्रगति के पुनरीक्षण हेतु कभी मिली नहीं तथा यदि ये कभी मिली तो प्रगति के विवरणों का संकलन नहीं किया जा सका। योजना के मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन के बाद की अवस्था और उपलब्धियों पर छुट-पुट प्रयास किए गए, जैसे **उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली** में तथा सूचना मानक की इस व्यापक कमी के बावजूद, कई मोर्चों पर योजना की विफलता उजागर हुई; लाभभोगियों की गलत/अपूर्ण पहचान, अपेक्षित कार्यकुशलता की पहचान का न होना, परिविक्षण क्रिया विधि की कमी, लाभभोगियों के जागरूकता की कमी, स्वावलंबन के लिए अभिप्रेरण की कमी और लाभभोगियों द्वारा नकद सहायता राशि का दुरुपयोग। इस प्रकार के सुझाव के प्रमाण दर्ज नहीं थे कि इनमें से किसी मूल्य निर्धारण उपलब्धियों पर किसी उपचारी और दोषनिवारक मानदण्डों को मुहैया कराने के लिए उपयुक्त स्तरों पर विचार किया गया था।

4. निष्कर्ष:

- योजना इसके अपने आंकड़ों के बन्दी के रूप में आरम्भ हुई तथा आज तक वैसी ही जारी रही। लक्षित लाभभोगियों की विश्वसनीय आधाररेखा संगणना की अनुपस्थिति ने योजना को इसकी वास्तविकता से वंचित रखा। विभिन्न संसाधनों ने तदर्थ मापदण्ड तथा पद्धतियां अपनाते हुए, संख्या का भिन्न प्रकार से अनुमान लगाया है। योजना के अन्तर्गत मार्च 1991 में टास्क फोर्स द्वारा अनुमानित सभी 4 लाख सफाई कर्मियों तथा उनके आश्रितों के आठवीं योजना की अवधि के अन्त तक (1992-97) पुनर्वास की कल्पना की गई थी। इसके विरुद्ध योजना ने केवल 2.68 लाख को पुनर्वासित करने का दावा किया था। यद्यपि इसके परिणामस्वरूप कुल संख्या में कमी नहीं आई थी क्योंकि इसके बाद के 1994-95 तथा 2001-02 के बीच कराये गये सर्वेक्षणों ने संख्या का अनुमान 7.87 लाख लगाया था, जिससे लक्ष्यों में बढ़ोतरी के लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी।
- मुक्ति एवं पुनर्वास के बीच सम्पर्क की कमी ने योजना का विकेन्द्रीकरण किया। मुक्ति, जिसके अर्थ का स्पष्टीकरण, हस्त्य सफाई के मूल कारण को दूर करने, जिससे लाभभोगियों को कलंकित व्यवसाय से छुटकारा मिल सके, से किया गया था, को योजना का आधार होना चाहिये था, क्योंकि मुक्ति के बिना कोई

पुनर्वास सम्भव नहीं था। मुक्ति एवं पुनर्वास के बीच सम्पर्क की कमी को स्पष्ट रूप से इस तथ्य से प्रदर्शित किया गया था कि, योजना के लिए नोडल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दावा किया था कि 1992-2002 की अवधि में 4.71 लाख सफाई कर्मियों को पुनर्वासित किया गया था जबकि शहरी एवं विकास मंत्रालय ने परियोजित किया था कि इस अवधि के दौरान केवल 0.37 लाख सफाई कर्मियों को ही मुक्ति दी गई थी। इसको सिद्ध करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं था कि क्या जिन्हें मुक्ति दी गई थी उन्हीं को वास्तव में पुनर्वासित किया गया था।

- योजना की वैचारिकता एवं परिचालनता में सबसे गम्भीर कमी इसकी उस कानून को लागू करने में विफलता थी जिससे व्यवसाय का निषेध किया गया था। कानून का आह्वान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिये था कि व्यवसायिक बहकावे की स्थिति एवं परिस्थिति उत्पन्न न हो। वास्तव में, कानून ने स्वयं यह अपेक्षा की थी कि दोनों, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को इससे बल मिलेगा। यद्यपि कानून का उपयोग बहुत कम किया गया था।
- अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम एवं बैंक जो आय उत्पादक पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे, ऐसा करने में विफल रहे थे क्योंकि व्यवसायिक परिवर्तन के पथ की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। निम्न दक्षता विकल्प व्यवसाय में प्रशिक्षण अपर्याप्त, अव्यवहारिक तथा प्रतिकूल था। सांख्यिकी तौर से दृष्टिगोचर ऋण परियोजनाओं के लिए आवास, समूह, रूचि, लिंग तथा प्रेरणा के घटकों को अनदेखा किया गया था। इसमें भी रद्दीकरण की प्रतिशतता, महाराष्ट्र में 47 प्रतिशत तथा तमिलनाडू में 74 प्रतिशत तक उच्च थी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परियोजना वित्तीय सहायता की कठिनाईयों के अनुपालन के लिए एक अनपढ़ एवं गरीब सफाई कर्मियों की आशा करना केवल मात्र अकाल्पनिक था।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2002 में भेजा गया था, उनका उत्तर जनवरी 2003 तक प्रतिक्षित था।

अनुबंध - I

(पैराग्राफ 2.2 देखें)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना जिलों के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/सं.शा.	सम्मिलित जिलों की संख्या	नमूना जाँच किये गये जिला	नमूना जांच किये गये जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	23	7	कुड्डापाह, पूर्वी गोदावरी, करीम नगर, कृष्णा, कुरनूल, निजामाबाद और वारंगल
2.	असम	23	6	कामरूप, सोनितपुर, धुबरी, नागोन, डिब्रुगढ़, तिनसुकिया
3.	बिहार	37	10	भागलपुर, गया, जेहानाबाद कटिहार, मोतीहारी, मुंगर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास
4.	दिल्ली	9	9	केन्द्रीय, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली
5.	गुजरात	25	7	अहमदाबाद, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा बड़ोदरा
6.	हरियाणा	19	5	गुडगांव, हिसार, जींद, करनाल, यमुनानगर
7.	जम्मू तथा कश्मीर	6	4	जम्मू, कटुआ, उधमपुर, श्रीनगर
8.	झारखण्ड	18	5	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
9.	कर्नाटक	20	7	बंगलौर (ग्रामीण), गुलबर्गा, रायचूर बेल्लारी, शिमोगा, मैसूर तथा माण्ड्या
10.	केरल	14	3	तिरुवनंथपुरम, कोल्लम, थिरुसूर
11.	मध्य प्रदेश	45	11	भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, मुरैना, रीवा, सतना, शाहडोल, उज्जैन
12.	महाराष्ट्र	31	6	मुम्बई, थाणे, नासिक, धूले, पुणे, औरंगाबाद
13.	उड़ीसा	30	8	खुर्दा, बरहामपुर, कटक, कोरापुत, पुरी, बालासोर, क्यौन्झार, धेनकानल
14.	पंजाब	17	7	अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना
15.	राजस्थान	32	8	अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर
16.	तमिलनाडू	30	6	कोयम्बटूर, कुड्डालोर, कान्चीपुरम, मदुरई, तंजावुर तथा वेल्लौर
17.	उत्तरप्रदेश	63	10	आगरा, बरेली, बिजनोर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर
18.	पश्चिम बंगाल	17	8	हावडा, हुगली, 24-परगने (दक्षिण) 24 परगने (उत्तर), मालदा, उत्तर दिनाज़पुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग
19.	पांडीचेरी	1	1	पांडीचेरी
	योग	460	128	

अनुबंध - II
(पैराग्राफ 3.5.2 देखें)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	कुल व्यय	अव्ययित अनुदान
गुजरात			
अथ शेष	0.42		
1997-1998	8.90	0.65	8.67
1998-1999	-	0.57	8.10
1999-2000	11.61	0.84	18.87
2000-2001	-	0.79	18.08
2001-2002	-	0.43	17.65
मध्य प्रदेश			
अथ शेष	4.63		
1997-1998	24.51	4.44	24.70
1998-1999	-	5.48	19.22
1999-2000	8.83	4.01	24.04
2000-2001	-	3.65	20.39
2001-2002	-	4.31	16.08
उड़ीसा			
अथ शेष	6.98		
1997-1998	1.07	1.37	6.68
1998-1999	5.90	1.68	10.90
1999-2000	-	2.46	8.44
2000-2001	-	2.54	5.90
2001-2002	-	1.87	4.03
राजस्थान			
अथ शेष	17.81		
1997-1998	2.73	1.66	18.88
1998-1999	-	0.66	18.22
1999-2000	16.62	0.36	34.48
2000-2001	-	0.36	34.12
2001-2002	-	0.70	33.42
तमिलनाडू			
अथ शेष	23.55		
1997-1998	-	3.08	20.47
1998-1999	-	3.20	17.27
1999-2000	-	2.00	15.27
2000-2001	22.53	3.61	34.19
2001-2002		0.71	33.48
उत्तर प्रदेश			
अथ शेष	36.89		
1997-1998	44.46	19.22	62.13
1998-1999	-	15.07	47.06
1999-2000	-	16.12	30.94
2000-2001	-	11.33	19.61
2001-2002	--	00.66	18.95

अनुबंध - III

(पैराग्राफ 3.5.7 देखें)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की राज्य वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 से राज्य/अनु.जा.वि.नि. के कुल जारी (करोड़ रु. में)	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की राशि (करोड़ रु. में)	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	25.87	4.24	1992-93, 2001-02
2.	असम	5.87	5.87	1991-92, 1992-93, 2000-01
3.	बिहार	11.26	11.26	1991-92, 1992-93, 1997-98
4.	दिल्ली	5.28	4.31	1991-92, 1992-93, 1996-97
5.	गुजरात	26.86	26.86	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1999-2000
6.	हरियाणा	18.37	18.37	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1996-97
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1.03	1.03	1991-92, 1992-93
8.	कर्नाटक	20.24	6.95	2001-02
9.	केरल	0.55	0.55	1991-92, 1992-93
10.	मध्य प्रदेश	116.52	116.52	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-2000
11.	महाराष्ट्र	46.23	21.35	2000-01
12.	उड़ीसा	16.76	16.76	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99
13.	पंजाब	6.63	6.63	1991-92, 1992-93, 1995-96
14.	राजस्थान	44.48	44.48	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-2000
15.	तमिलनाडू	57.80	57.80	1991-92, 1992-93, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1999-2000
16.	उत्तरप्रदेश	222.14	222.14	1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98
17.	पश्चिम बंगाल	5.62	5.62	1991-92, 1992-93
18.	पाण्डिचेरी	0.07	0.07	1991-92, 1992-93
19.	झारखण्ड	10.85	10.85	2000-2001
	जोड़	642.43	581.66	

ग्रामीण विकास मंत्रालय

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

**अध्याय-III: ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग**

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

सरकार द्वारा लगातार हस्तक्षेप के बावजूद लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे जिसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में थे। सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित सामाजिक मध्यस्तता तथा वांछित सम्बन्धों की कमी रही। भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिये स्वरोजगार के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये 1 अप्रैल 1999 को एकल परिपूर्ण स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) का सूत्रपात किया। केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 75: 25 के अनुपात में धनराशि जुटाने के कार्यक्रम को कड़ाई से नहीं अपनाया गया तथा राज्यों, विशेषतः विशेष दर्जे के राज्यों द्वारा समान हिस्सा देने में महत्वपूर्ण कमी रही। बड़े पैमाने पर निधि का विपथन, दुरुपयोग व ठहराव होने से कार्यक्रम में वास्तविक धन जुटाने में हुई कमी के परिणामस्वरूप योजना के अर्न्तगत पांच वर्षों में कम से कम 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल करना मुश्किल प्रतीत होता है क्योंकि 1999-2002 तक केवल 4.59 प्रतिशत बी पी एल परिवारों को ही शामिल किया जा सका। प्रत्येक परिवार पर रू. 25000 निवेश का लक्ष्य था जबकि प्रत्येक परिवार पर रू. 19678 का ही निवेश हो सका जो कि वांछित आय स्तर उत्पन्न करने में अपर्याप्त रहा। योजना की मार्गदर्शिका में व्यक्तिगत लाभभोगियों से स्वयं सहायता संघों की ओर नाभिकरण पर बल था। यह कार्यक्रम प्रक्रिया आधारित होते हुए भी, जटिल रूपरेखा तथा नेट वर्किंग के कारण निर्धारित प्रक्रियाओं को स्थापित करने में अक्षम रहा। कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में अनेकों कमियां थी। एक भी विशेष परियोजना जो की मार्च 2002 तक पूर्ण होनी थी जून 2002 तक भी पूर्ण नहीं हो सकी जिससे लाभभोगी निर्दिष्ट लाभों से वंचित रहे। अनुवीक्षण में भी कमी थी। यह कार्यक्रम पूर्व चालित आई आर डी पी तथा अन्य पूरक योजनाओं के स्थान पर एक बेहतर कार्यक्रम के रूप में स्थापित नहीं हो पाया है।

मुख्य बातें

1999-2000 में एस जी एस वाई को रू. 2668.24 करोड़ का केन्द्रीय नियतन दिया गया जिसमें से केवल रू. 1723.62 करोड़ (64.60 प्रतिशत) ही जारी किया गया। कुल रू. 3,326.16 करोड़ की प्राप्त निधि में से रू. 3061.33 करोड़ (92.04 प्रतिशत) का खर्च दिखाया गया और रू. 264.83 करोड़ अव्ययित रहे।

नमूना परीक्षण किये गये कुल व्यय रू. 988.41 करोड़ की राशी में से रू. 529.18 करोड़ (53.54 प्रतिशत) विपथन, दुरुपयोग, असत्य सूचित किये गये।

मुख्य निष्पादन मापदंड दर्शाते हैं कि यद्यपि यह पहले से जारी ग्रामीण रोजगार और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के सभी घटकों का एकीकरण करके एक परिपूर्ण कार्यक्रम माना गया था, यह वांछित प्रभाव स्थापित करने में विफल रहे।

पांच वर्षों की अवधि में बी पी एल परिवारों के 30 प्रतिशत (167 लाख) के लक्ष्य के विपरीत कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों में केवल 25.60 लाख (4.59 प्रतिशत) ही आवृत्त हुये। कार्यान्वयन की गति में कोई तीव्रता नहीं थी क्योंकि एस जी एस वाई के कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों की तुलना में पहले आई आर डी पी के अंतर्गत दो वर्षों में सहायता प्राप्त बी पी एल परिवारों की संख्या 17 प्रतिशत अधिक थी।

अधिकतर राज्यों में उचित योजना जोकि कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए अतिआवश्यक थी, का कोई साक्ष्य नहीं था।

जैसा कि योजना में लक्षित था, मुख्य गतिविधियों/कार्यकलापों का चयन बैंकों सहित सभी संबंधित एजेंसियों को सम्मिलित किये बिना ही किया गया। मुख्य गतिविधियों की परियोजना रिपोर्ट या तो तैयार ही नहीं की गई थी या अधूरी थी। इस कारण बैंकों द्वारा स्वरोजगारियों को निधि के वितरण में देरी हुई या वितरण हुआ ही नहीं।

स्वरोजगारों की पहचान तथा स्वयं सहायता संगठनों की रचना मार्गदर्शिका के अनुकूल नहीं थी क्योंकि बैंकों और लाइन विभागों के शामिल होने के साक्ष्यों की कमी थी।

व्यक्तिगत से एस एच जी में फोकस पूर्णतः स्थानान्तरित होने का कोई साक्ष्य नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एस एच जी के उचित मूल्यांकन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आवृत्ति निधि से एस एच जी को निधि जारी करना, जो उसके विकास के लिए आवश्यक था, का ढंग अनियमित तथा त्रुटिपूर्ण था।

स्वरोजगारों के द्वारा अपनाई गई परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों द्वारा कर्ज तथा सहायिकी के रु. 25.94 करोड़ तक के वितरण में देरी हुई।

अधिकतर राज्यों में अग्रणी तथा पिछड़ों के संबंधों के लिये आवश्यक अवसरचना में व्यवस्थित पहचान की कमी थी।

विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी क्योंकि मार्गदर्शिका अस्पष्ट थी। 2002 तक लक्षित 15 विशेष परियोजनाएं अपूर्ण रही। अधिकतर विशेष परियोजनाओं पर निधि का उपयोग नगण्य तथा अनुत्पादक था।

कार्यक्रम का अनुवीक्षण अपूर्ण तथा अप्रभावित था।

1. प्रस्तावना

वर्षों तक सरकार द्वारा लगातार हस्तक्षेप के बावजूद जनसंख्या का अनुपात गरीबी रेखा (बी पी एल) से 1973-74 में 54.8 प्रतिशत से 1993-94 में 35.9 प्रतिशत तथा आगे 1999-2000 में 26 प्रतिशत तक गिर गया। ग्रामीण गरीबी में भी 1973-74 में 56.4

प्रतिशत से 1993-94 में 37.2 प्रतिशत तथा 1999-2000 में 27.1 प्रतिशत की गिरावट हुई। तथापि निरपेक्ष रूप में लगभग 26 करोड़ लोग लगातार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं जिनमें से 75 प्रतिशत (19.3 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अधिकतर गरीब लोग बारिश पोषित क्षेत्र, सूखा ग्रस्त क्षेत्र और आदिवासी, पर्वतीय तथा रेगिस्तान क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सीमित है। गरीबी मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों में पाई जाती है।

तीन काँटेदार
कार्यनीति द्वारा
उल्लेखित
गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम

चौथी पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तीन काँटेदार कार्यनीति द्वारा उल्लेखित किया गया।

- (i) ग्रामीण गरीब के स्व-रोजगार के द्वारा आय उत्पादक परिसम्पत्ति आधार उपलब्ध कराने के लिये सहायता का प्रावधान
- (ii) मजदूरी रोजगार के लिये अवसर प्रदान करना तथा
- (iii) पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्र विकास क्रियाकलाप

इस कार्यनीति को ग्रामीण क्षेत्रों में मूल संरचनात्मक तथा जीवन स्तर में सुधार के अन्य कार्यक्रमों तथा गरीबों व असहायों के लिये सामाजिक सुरक्षा को पक्ष दिया गया था। संघटित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) आय उत्पादन परिसम्पत्ति निर्माण आधारित तथा सहायिकी के मिश्रित तथा संस्थागत क्रेडिट का पहला मुख्य अवतरण 1976 में 20 चयनित जिलों में आरम्भिक कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया गया तथा बाद में अक्टूबर 1980 में सभी शाखाओं में विस्तार कर दिया गया था। 1999-2000 में इस को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) में प्रतिस्थापित करने से पहले 1980-81 और 1998-99 के बीच इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 5.4 करोड़ परिवारों को सहायता दी गई। टी आर वाई एस ई एम¹, डी डब्ल्यू सी आर ए², एस आई टी आर ए³ तथा जी के वाई⁴ जैसे कार्यक्रमों ने प्रशिक्षण संरचनात्मक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में सहायता देकर आई आर डी पी को पूरक किया।

आई आर डी पी के
अन्तर्गत सहायता
प्राप्त परिवारों का
केवल 14.8
प्रतिशत ही गरीबी
रेखा को पार कर
सका।

आई आर डी पी के समवर्ती मूल्यांकन से पता चला कि सहायता दिये गये 5.4 करोड़ परिवारों का केवल 14.8 प्रतिशत ही संशोधित गरीबी रेखा रूपये 11,000 (1991-92 मूल्य पर) को पार कर सका। कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 41 प्रतिशत की कम वसूली के कारण वित्तीय संस्थानों में अनिष्पादित परिसम्पत्तियों तथा बढ़ते हुए कर्ज बकायादारों का अनुपात बढ़ गया। परियोजना मूल्यनिरूपकता में कमी से वित्तपोषित अत्यवहार्य परियोजनाओं के वृद्धि के कारण लाभभोगियों द्वारा कर्ज बकायादारी और सहायता का दुरुपयोग हुआ। सरकारी एजेंसियों और बैंकों द्वारा अनुवर्ती कारवाई बहुत कम थी।

- 1 ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना
- 2 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व शिशुओं का विकास
- 3 ग्रामीण शिल्पकारों की उत्तम औजार योजना
- 4 गंगा कल्याण योजना

विभिन्न पूरक कार्यक्रम बिना उचित मध्यस्तता के अलग व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में संचालित हुए, जिसके कारण नाभिकरण में कमी आ गई।

एस जी एस वाई ने आई आर डी पी तथा अन्य पूरक स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक एकल स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया।

फरवरी 1997 में उक्त कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद, हशीम कमेटी ने ग्रामीण गरीबों तथा व्यक्तिगत लाभभोगियों के स्थान पर समूह दृष्टिकोण को अपनाने के लिये एक एकल स्वरोजगार कार्यक्रम की सिफारिश की। तदनुसार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पूर्व के कार्यक्रमों के स्थान पर 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- एस जी एस वाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमी विकास के लिये परिपूर्ण कार्यक्रम बनाना था।
- इसके द्वारा गरीब ग्रामीणों के सामाजिक संचालन के लिये उनको पूर्वप्रेक्षित सहायता देने पर विचार करना था।
- यह स्वरोजगार के सभी पहलुओं को नामतः ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता ग्रुपों में संगठित करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, मुख्य गतिविधियों तथा गतिविधियों के समूह की योजना, आवश्यक संरचना, प्राद्योगिकी तथा विपणन देना शामिल था।
- एस जी एस वाई के द्वारा पूर्व के विभिन्न अभिकरणों जैसे डी आर डी ए⁵, बैंक, लाइन विभागों, पी.आर.आई.⁶, एन.जी.ओ.⁷ और अन्य अर्ध-सरकारी संगठन जिन्हें मिल कर कार्यक्रम चलाना था, के कार्यक्रमों में कमियों को दूर करना था।
- वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के स्थान पर एस जी एस वाई ने इसके चालू होने के पाँच वर्षों में बी पी एल परिवारों के 30 प्रतिशत के लक्ष्य को शामिल करने पर विचार किया।
- कार्यक्रम के द्वारा असुरक्षित संगठनों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना था। बनाये गये स्वयं सहायता संगठनों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं और स्वरोजगारों का 40 प्रतिशत महिलाओं को सहायता देने के लिये गठित किया था। इसी प्रकार सहायता दिये गये स्वरोजगारियों में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों तथा 3 प्रतिशत अपाहिजों को शामिल करना था।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायिकी परियोजना लागत की 30 प्रतिशत समान दर से जिसकी अधिकतम सीमा प्रति स्वरोजगारी व्यक्ति रु. 7500 थी और एस.टी. और एस.सी. स्वरोजगारियों के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रु. 10,000 थी, की अनुमति दी गई। ग्रुप

⁵ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

⁶ पंचायती राज संस्थान

⁷ गैर सरकारी संगठन

परियोजनाओं के लिये योजना की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी सीमा 1.25 लाख थी की अनुमति दी गई। जबकि सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायिकी पर कोई सीमा नहीं थी।

2. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

इस समीक्षा का उद्देश्य इस कार्यक्रम के चालू होने के प्रथम तीन वर्षों में इसके निष्पादित कार्य के प्रभावों की जाँच करना तथा यह अनुमान लगाना है कि कौन सा कार्यक्रम सफलता पूर्वक लागू हुआ तथा पूर्व कार्यक्रमों जैसे आई आर डी पी की कमियों का समापन किया। इस उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों तथा केन्द्र शासित सरकारों के ग्रामीण विकास विभागों तथा चुने हुए जिलों और डी आर डी ए का 1999-2002 की अवधि के लिए परख जाँच हेतु चयन किया गया था।

3. लेखापरीक्षा आवृत्त

जाँच परीक्षण में 30 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में डी आर डी ए/ जिलों की कुल संख्या का 28 प्रतिशत और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए व्यय का 32 प्रतिशत को आवृत्त किया जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

(रूपये करोड़ में)

कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये जिलों की कुल संख्या	जाँच किए गए जिलों की संख्या	आवृत्त की प्रतिशतता	कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित किया गया व्यय	जाँचा गया व्यय	आवृत्ति प्रतिशतता
563	157	28	3061.33	988.41	32

जिलों/डी आर डी ए जिन्हें राज्यों में शामिल किया गया था का विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त 3603 लाभभोगियों (3322 व्यक्तिगत तथा 281 एस एच जी) को भी, कार्यक्रम का उन पर प्रभाव निश्चय करने तथा कार्यक्रम के नतीजों की पुष्टी करने के लिये, सम्पर्क किया गया।

4. संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाता था जिसमें योजना बनाने की पूरी जिम्मेदारी, निधियों को जारी करने के लिये केन्द्रीय हिस्सा, कार्यान्वयन का अनुवीक्षण व मूल्यांकन निविष्ट थे। मंत्रालय द्वारा बनाई गई केन्द्रीय स्तर समन्वय कमेटी (सी एल सी सी) समीक्षा तथा कार्यान्वयन के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित थी।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के पास पूरा कार्य भार था तथा राज्य स्तर पर एक जी एस वाई कमेटियों को कार्यक्रम के निष्पादन का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करना था। जिला स्तर पर कार्यक्रम मार्गदर्शन, कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण की जिम्मेदारी डी आर डी ए/जिला एस जी एस वाई कमेटी की थी। ब्लाक स्तर पर चयनित ग्रामों में मुख्य गतिविधियों की पहचान, परिसम्पत्तियों की जाँच तथा वसूली की समीक्षा के निष्पादन को ब्लाक स्तर एस जी एस वाई कमेटी द्वारा किया जाना था। व्यक्तिगत स्वरोजगारों का ग्राम सभा में चयन बैंकों तथा जिला प्रशासन के अंतर्ग्रस्त द्वारा ही होना था।

कार्यक्रम में फलतः जटिल नैटवर्क अंतर्निर्दिष्ट था जिसमें केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा उनके लाइन विभाग, स्थानीय निकाय, जिला एजेंसियाँ तथा बैंक शामिल थे। प्रायः एजेंसियों की कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक भूमिका थी।

5. वित्तीय प्रबंध

5.1 साधनों की व्यवस्था तथा उपयोग

कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को केन्द्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में बाँटना था। राज्यों के लिये किया गया केन्द्रीय बँटवारा राज्यों में गरीबी में गिरावट के साथ साथ उनके अतिरिक्त मापदंड जैसे कि उनकी अवशोषण क्षमता (एस जी एस वाई निधियों के पिछले उन्मुखता के उपयोग पर आधारित) तथा उनकी विशेष आवश्यकता से संबंधित था। निधियों को प्रत्यक्ष रूप से डी आर डी ए को दो किस्तों में जारी करना था (सिवाय बर्फीले जिलों के मामले में जहाँ कार्य अवधि कुछ महीनों तक सीमित थी तथा पूरा केन्द्रीय हिस्सा एक किस्त में जारी किया जा सकता था) तथा राज्यों द्वारा जारी किये जाने के बाद ही अपनाया जाना था। मंत्रालय को एस जी एस वाई के अन्तर्गत निधियों की 15 प्रतिशत को विशेष परियोजनाओं के लिये भी अलग रखा जाना था।

इसलिये कार्यान्वित एजेंसियों के पास उपलब्ध निधियों के चार घटक थे।

- (1) केन्द्रीय हिस्सा
- (2) राज्य हिस्सा
- (3) बैंकों में जमा किये गये राशियों पर जमा ब्याज के रूप में विविध प्राप्ति
- (4) पहले कार्यक्रमों का अव्ययित शेष

उपलब्ध निधियों को आर्थिक गतिविधियों की सहायिकी के लिए उपयोग करना था (एस जी एस वाई का 60 प्रतिशत, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 55 प्रतिशत) अवसंरचनात्मक व्यय (बँटवारे का 20 प्रतिशत, उत्तरी पूर्वी राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत), प्रशिक्षण (10 प्रतिशत) तथा आवृत्ति निधि की उत्पत्ति पर (10 प्रतिशत)। 1999-2002 में साधनों की उपलब्धता तथा उपयोग की पूरी स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

निधियों को केन्द्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में वहन किया जाना था।

सारणी 1 : एस जी एस वाई के अन्तर्गत साधन तथा व्यय

(रूपये करोड़ों में)

वर्ष	आदिशेष	विविध प्राप्ति	केन्द्र द्वारा निर्मुक्त	राज्य द्वारा निर्मुक्त	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अव्ययित शेष	उपलब्ध निधियों के व्यय की प्रतिशतता
1999-00	793.70	57.11	868.95	232.96	1952.72	995.74	956.98	50.99
2000-01	956.98	91.39	458.67	196.48	1703.52	1112.84	590.68	65.33
2001-02	590.68	78.57	396.00	152.33	1217.58	952.75	264.83	78.25
जोड़	793.70	227.07	1723.62	581.77	3326.16 ⁸	3061.33	264.83	92.04

टिप्पणी: केन्द्र द्वारा निर्मुक्त राशि के आँकड़े मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। आदिशेष, राज्य निर्मुक्त राशि विविध प्राप्ति तथा उपयोग को राज्य महालेखाकार की रिपोर्टों से संकलन किया गया है।

राज्य-वार विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है।

1999-2002 के दौरान केन्द्रीय निर्मुक्त राशि का योजना निधियन में अधिपत्य रहा जिसका हिस्सा 51.82 प्रतिशत था। आदिशेष जिसमें पहले कार्यक्रमों के समग्र अव्ययित शेष शामिल थे कुल उपलब्ध निधियों का 23.86 प्रतिशत था। राज्यों द्वारा निर्मुक्त निधि केवल 17.49 प्रतिशत बनी तथा बाकी के 6.83 प्रतिशत कार्यान्वित एजेंसियों की आय को चित्रित करता है। सामान्य तथा विशेष श्रेणी राज्यों के साधनों का विवरण सारणी - 2 में दर्शाया जा रहा है।

सारणी 2 : एस जी एस वाई निधियों के स्रोत (प्रतिशत हिस्सा)

	आदि शेष	केन्द्रीय निर्मुक्ती	राज्य निर्मुक्ती	अन्य आय
सामान्य श्रेणी राज्य	23.21	51.85	17.91	7.03
विशेष श्रेणी राज्य	32.56	51.47	11.91	4.06
सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	23.86	51.82	17.49	6.83

केन्द्रीय निर्मुक्ति का केन्द्रीय विनियोजन से अन्तर्राज्य भिन्नता के साथ 64.60 प्रतिशत था।

1999-2002 में केन्द्रीय निधियों के हिस्से की निर्मुक्त राशि रु. 1723.62 करोड़ (64.60 प्रतिशत) थी जबकि मंत्रालय ने 2668.24 करोड़ नियतन किये थे तथा उसके वितरित राज्यों का समान्तर हिस्सा रु. 581.77 करोड़ (33.75 प्रतिशत) था। केन्द्रीय निर्मुक्ति का केन्द्रीय नियतन के अनुपात में महत्वपूर्ण अन्तर्राज्य भिन्नता थी। सामान्य श्रेणी राज्यों के 66.10 प्रतिशत की तुलना में विशेष श्रेणी राज्यों का प्रतिशत 49.46 था। सामान्य श्रेणी राज्यों में बिहार (झारखंड सहित), पश्चिम बंगाल तथा विशेष श्रेणी राज्यों में आसाम, मणीपुर, मेघालय तथा नागालैंड के बीच केन्द्रीय विनियोजन का केन्द्रीय विनियोजन का केन्द्रीय निर्मुक्ति अनुपात 50 प्रतिशत से कम था। योजना ने

⁸ वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 का आदिशेष अलग करने के बाद

राज्यों के हिस्से को समक्षणिक निर्मुक्ति पर ध्यान किया। केन्द्रीय निर्मुक्ति कुछ हद तक राज्य निर्मुक्ती तथा व्यय की प्रगति पर नियमित की गई थी। सामान्य श्रेणी राज्यों में राज्य निर्मुक्ती से केन्द्रीय निर्मुक्ती में 28 से 48 प्रतिशत तक अन्तर था किन्तु विशेष श्रेणी राज्यों विशेषतः आसाम तथा मणीपुर में राज्य निर्मुक्ति का केवल क्रमशः 7.7 तथा 11.3 प्रतिशत था। आसाम, मणीपुर, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में राज्यों द्वारा निर्मुक्ति की निधियां केन्द्रीय विनियोजन से 10 प्रतिशत से भी कम स्थापित हुई।

सारणी 3 : राज्यों द्वारा निर्मुक्ति तथा कमी का अनुपात

	केन्द्रीय निर्मुक्ति तथा केन्द्रीय नियतन का अनुपात	राज्य निर्मुक्ति का केन्द्रीय निर्मुक्ति से अनुपात	राज्य निर्मुक्ति का केन्द्रीय नियतन से अनुपात	राज्य निर्मुक्ति में कमी (-)/ अधिक (+) प्रतिशतता
सामान्य श्रेणी राज्य	66.10	34.54	22.83	3.62
विशेष श्रेणी राज्य	49.46	23.13	11.44	(-) 30.60
सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	64.60	33.75	21.80	1.26

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में राज्यों के समक्ष योगदान 30.60 प्रतिशत था।

विशेष राज्यों में राज्य का हिस्सा औसतन 31 प्रतिशत कम था। जबकि यह आसाम और मणिपुर में यह महत्वपूर्ण था कि उनका वांछित योगदान निर्मुक्त से 40 प्रतिशत से भी कम था। गुजरात में 13 प्रतिशत की कमी भी महत्वपूर्ण थी।

अधिकतर राज्यों में पहले की योजनाओं से उपलब्ध शेष राशि तथा केन्द्रीय निर्मुक्ति निक्षेप से अर्जित आय ने व्यय को वहन किया। इससे राज्य निर्मुक्ति की तीव्रता कम हो गई तथा राज्यों ने अपनी निर्मुक्ती को रोका। विशेष श्रेणी राज्यों में व्यय राज्य निर्मुक्ति के बिना उपलब्ध निधि से भी कम किया गया।

सारणी 4 : एस जी एस वाई के निधि स्रोतों के व्यय की प्रतिशतता

	आदि शेष	केन्द्रीय निर्मुक्ती	राज्य निर्मुक्ती	अन्य आय	व्यय की कुल प्रतिशतता
सामान्य श्रेणी राज्य	25.08	56.03	19.35	7.60	108.06
विशेष श्रेणी राज्य	38.17	60.33	13.96	4.76	117.21
सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	25.93	56.30	19.00	7.42	108.65


व्यय में महत्वपूर्ण अंतरराज्य भिन्नता पाई गई। विशेष श्रेणी राज्यों में निधियों के उपयोग में विचारणीय न्यूनता थी।

एस जी एस वाई के अंतर्गत औसत व्यय, 1999-02 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों का लगभग 92.04 प्रतिशत था। इसमें अंतरराज्यीय महत्वपूर्ण भिन्नता थी। जबकि छः राज्यों नामतः कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में उपलब्ध निधियों से अधिक व्यय बताया गया, बिहार (झारखंड सहित), उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण कमी थी। इन तीनों राज्यों में लगभग उपलब्ध निधियों के संबंध में व्यय में कुल कमी 81 प्रतिशत थी। 1999-2000 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों में निधियों के सस्त उपयोग में औसतन 85 प्रतिशत विचारणीय गिरावट थी।

मेघालय के मामले में उपलब्ध निधि व्यय का 48.13 प्रतिशत का अनुपात सबसे कम था।

कार्यक्रम पर किया गया वास्तविक व्यय जांच परीक्षण का केवल 46.46 प्रतिशत था।

जिलों और ब्लाकों के जांच परीक्षण में वास्तविक व्यय को सही नहीं दर्शाया गया। उदाहरणतः बड़े पैमाने पर पंथांतरण, पार्किंग तथा निधियों का दुरुपयोग इत्यादि, जबकि 1999-2002 के दौरान कुल व्यय 3061.33 करोड़ रुपये बताया गया था। जांच परीक्षण किये गये 988.41 करोड़ रु. के कुल व्यय में से 529.18 करोड़ रु. वास्तव में कार्यक्रम में खर्च नहीं हुए थे। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-



5.2 कार्यान्वित एजेंसियों को निधियों को देरी से निर्मुक्त किया गया

राज्यों में निधियों को देरी से निर्मुक्त किया गया।

दस राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, राजस्थान तथा तमिलनाडु) में कार्यान्वित एजेंसियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रु. 90.66 करोड़ की कुल निधियों को देरी से निर्मुक्त किया और यह देरी 24 महीने की थी। इसका कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ।

5.3 निधियों का विपथन

19 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में योजना के साथ असंबंधित गतिविधियों में 58.39 करोड़ रु. का विपथन।

कार्यक्रम और योजनाओं के व्यक्तिगत घटकों के लिए निर्मुक्त निधियों को किसी अन्य कार्यक्रम और योजना पर विपथन नहीं किया जाना था। 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दिव, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पांडीचेरी, तमिलनाडू और पश्चिमी बंगाल) के नमूना जांच से पता चला कि 58.39 करोड़ रु. जैसा कि परिशिष्ट- 3 में दर्शाया गया है, उन गतिविधियों जो कार्यक्रम/योजना से संबंधित नहीं थे, में विपथन किया गया।

5.4 जमा लेखों में निधियों का अवरोध

मार्गदर्शिका के अतिक्रमण में जमा लेखों में 120.33 करोड़ रु. का अवरोध हुआ था।

डी आर डी ए द्वारा प्राप्त निधियों को बचत बैंक खातों में रखा जाना था जब तक वह स्वरोजगारियों को वितरित नहीं हो जाता। आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, मार्गदर्शिका को उल्लंघन करके रु. 120.33 करोड़ की राशि डी आर डी ए के खाते और व्यक्तिगत लैजर खाता तथा सिविल जमा, डिपोजिट-एट-कॉल रसीद के रूप में खातों में अवरुद्ध की गई थी।

5.5 व्यय में स्फीति दर्शाई गई

रु 108.70 करोड़ के वास्तविक व्यय में स्फीति थी।

14 राज्यों में (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडू और त्रिपुरा) में 108.70 करोड़ रु. तक को वास्तविक व्यय से अधिक बताया गया। काफी मामलों में, असमायोजित अग्रिम को अंतिम व्यय तथा अवितरित सहायिकी को भी व्यय किया हुआ माना गया।

5.6 बकाया अग्रिम

15.42 करोड़ रु. तक के बकाया अग्रिम थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- आंध्र प्रदेश में, 1998-99 से 2001-02 के दौरान, सेक्टर अधिकारियों और लाइन विभागों को कुल 7.90 करोड़ रु. के कुल अग्रिम को डी आर डी ए की पुस्तकों/खातों में समायोजित करना बाकी था।
- छत्तीसगढ़ (रायपुर) में, 1992-98 के दौरान डी आर डी ए के द्वारा पहले की योजनाओं में विभिन्न एजेंसियों को दिए गए रु. 0.02 करोड़ मार्च 2002 तक समायोजित करना बाकी था।
- मध्य प्रदेश में, 1999-2000 से 229 अपूर्ण कार्यों के लिए 7.50 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को समायोजित और वसूल किया जाना था।

लम्बी अवधि तक बकाया अग्रिम का समायोजन न करना प्रयोजना अधिकारियों के अप्रभावित दिशा निर्देश को दर्शाता है।

6. कार्यक्रम का निष्पादन

1999-2002 के बीच मंत्रालय के दस्तावेजों से देखा गया कि कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों में एस जी एस वाई के अंतर्गत लगभग 29.15 लाख परिवारों की सहायता की गई। इन परिवारों को सहायता देने के लिए 5736 करोड़ रु. का निवेश जिसमें रु. 1902 करोड़ की सहायिकी तथा रु. 3834 करोड़ की संस्थानगत क्रेडिट सहायता शामिल थी। कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों के दौरान सहायिकी क्रेडिट का अनुपात 2.01 तथा प्रति परिवार निवेश रु. 19678 था।

कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी क्रेडिट अनुपात 2.01 प्रतिशत था। जबकि आई आर डी पी के बाद के दो वर्षों 1997-99 में यह 2.39 प्रतिशत था।

यद्यपि एस जी एस वाई एक परिपूर्ण कल्पित कार्यक्रम था जिसमें आई आर डी पी तथा समकालीन अन्य मुक्त कार्यक्रमों के सभी घटक एकत्रित थे तथापि निष्पादन में कोई तीव्रता नहीं थी। वास्तव में आई आर डी पी के पिछले दो वर्षों (1997-99) में, 34 लाख परिवारों को सहायता दी गई जो कि एस जी एस वाई के कार्यान्वयन के तीन वर्षों में दी गई सहायता की संख्या से लगभग 17 प्रतिशत ज्यादा था और एस जी एस वाई के 2.01 की तुलना में क्रेडिट साहयिकी अनुपात 2.39 था। आई आर डी पी तथा एस जी एस वाई के मुख्य निष्पादन पैरामीटर जैसाकि नीचे सारणी 5 में दर्शाया है, एस जी एस वाई के सूत्रपात से महत्वपूर्ण सुधार को प्रकट नहीं करता।

सारणी 5 : आई आर डी पी और एस जी एस वाई का निष्पादन

(रुपये करोड़ों में)

अवधि	सहायता किए गए परिवारों की संख्या लाखों में	कुल व्यय	निर्मुक्त साहयिकी	वितरित क्रेडिट	कुल निवेश	क्रेडिट अनुपात	प्रति परिवार सहायता (रुपये)
1980-85	166	1,661	1,661	3,102	4,763	1.87	2,876
1985-90	182	3,316	2,708	5,373	8,081	1.98	4,569
1992-97	108	4,875	3,975	7,566	11,541	1.90	10,651
1997-99	34	2,272	1,745	4,171	5,916	2.39	17,482
1999-02	29.15	3,061	1,902	3,834	5,736	2.01	19,678

कुल बी पी एल परिवारों का 4.59 प्रतिशत आवृत महत्वपूर्ण नहीं था और राज्यों के मध्य महत्वपूर्णतः भिन्नता थी।

जबकि कोई भी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं था, योजना के अन्तर्गत 1999-2000 से 2003-2004 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान बी पी एल परिवारों को 30 प्रतिशत आवृत होना लक्षित था जो कि प्रति वर्ष 33.4 लाख परिवारों को प्रकट करता है। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अभिलेखों की परख जांच से पता चला कि 167 लाख परिवारों को आवृत करने की योजना के स्थान पर कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों में केवल 25.60 लाख परिवार ही शामिल किए जा सके जो कि कुल बी पी एल परिवारों का केवल 4.59 प्रतिशत ही दर्शाता है। यदि मान लिया जाये कि कार्यक्रम क्रियान्वयन बाद में गतिशील हो जायेगा तब 30 प्रतिशत के आवृत लक्ष्य पर पहुंचने लिए अगले दो वर्षों में 12.71 प्रतिशत या लगभग 71 लाख बी पी एल परिवारों के वार्षिक आवरण की आवश्यकता होगी जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : 2002-04 के दौरान बी पी एल परिवारों को पांच सालों में 30 प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक आवरण

(संख्या लाखों में)

	बी पी एल परिवारों की संख्या	आवृत लक्ष्य	1999-2002 में आवरण	आवरण प्रतिशत	वार्षिक वांछित आवरण	
					प्रतिशत	संवृद्धि
सामान्य श्रेणी राज्य	509	152	24.1	4.73	12.64	800
विशेष श्रेणी राज्य	49	15	1.5	3.06	13.47	1321
सभी राज्य	558	167	25.6	4.59	12.71	831

राज्यों के मध्य एस जी एस वाई के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्तियों में महत्वपूर्णतः भिन्नता थी। हरियाणा में सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच बी पी एल परिवारों का आवरण 8.85 प्रतिशत सबसे अधिक था। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आवरण 2.55 प्रतिशत तथा 4.51 प्रतिशत के बीच था जो कि सभी राज्यों के औसतन 4.59 प्रतिशत के आवरण से भी कम था। आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडू तथा त्रिपुरा ने बी पी एल परिवारों को सात से नौ प्रतिशत आवरण पंजीकृत किया। विशेष श्रेणी राज्यों के बीच, मणिपुर में आवरण सबसे कम था (0.58 प्रतिशत) उसके बाद आसाम में जहाँ बी पी एल परिवारों के 2.15 प्रतिशत को ही आवृत किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बी पी एल परिवारों का 10 प्रतिशत से अधिक आवृत किया गया।

वर्ष 1999-2002 के दौरान, 25.60 लाख स्वरोजगारियों को शामिल किया गया जिनका खर्च रु 3061.33 करोड़ था। पांच वर्षों में बी पी एल परिवारों के 30 प्रतिशत को वर्तमान स्तर पर प्रति इकाई रु 11958 के व्यय पर सम्मिलित करने के लिए 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान-रु. 8454.31 करोड़ के वार्षिक आबंटन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्यों के साधनों के आबंटन तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए वांछित निधि जुटाना कठिन प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में निम्न तालिका 7 में दर्शाये लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव है।

सारणी 7 : अगले दो वर्षों में बी पी एल के 30 प्रतिशत के आवरण के लिए आवश्यक वार्षिक आबंटन

	व्यय (1999-2002) रु लाखों में	व्यय प्रति इकाई (रुपये में)	आवश्यक वार्षिक व्यय (रु लाखों में)
सामान्य श्रेणी राज्य	286381	11891	760429
विशेष श्रेणी राज्य	19752	12994	87709
सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र	306133	11958	845431

निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियां, योजना के कार्यान्वयन और डिजाइन को समवर्ती संवीक्षा की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

आई आर डी पी के समवर्ती मूल्यांकन से पता चला कि सहायता दिये गये परिवारों में से केवल 14.8 प्रतिशत ही गरीबी रेखा को पार कर सके। एस जी एस वाई में चित्रण अलग नहीं था। लेखा परीक्षा द्वारा सम्पर्क किये गये 3603 लाभभोगियों में से 3280 ने अंतर्क्षेप में परिणामस्वरूप उत्पन्न आय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए (परिशिष्ट - 4 देखें)। उनमें से 94 प्रतिशत (3068 लाभभोगियों) ने सहायता उपरान्त आय स्तर लक्षित रु. 24000 प्रति वर्ष से कम बताया। आय उत्पाद के स्तर में अंतर्राज्यीय विभिन्नता थी। जबकि उड़ीसा में 140 लाभभोगियों में से कोई भी वांछित आय स्तर को प्राप्त नहीं कर सका। तमिलनाडू में 127 एस एच जी में से उत्पादित आय 126 एस एच जी के संबंध में प्रति परिवार आय रु. 2000 प्रति माह से कम थी और पश्चिम बंगाल में 280 लाभभोगियों में से केवल 69 ही रु 20 से रु 700 प्रति माह कमाने के योग्य थे जो उपलब्धियों में महत्वपूर्ण कमी का संकेतक है। कर्नाट में, 36 पंचायतों में 57 प्रतिशत लाभभोगी प्रति माह रु 2000 की शुद्ध आय उत्पन्न करने में सफल नहीं थे। आसाम तथा दमन एवं दीव में 150 और 22 स्वरोजगारियों में से क्रमशः 61 तथा 21 अभी भी रु. 2000 प्रतिमाह आमदनी से नीचे थे। इसके अतिरिक्त बहुत से मामलों में डी आर डी ए तथा बैंकों द्वारा आय उत्पादन का अनुवीक्षण नहीं किया गया।

निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों तथा साक्ष्य न होने के कारण पूर्व के आई आर डी पी के कार्यक्रम उपर विशेष सुधार को नहीं दर्शाता और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और डिजाइन की समवर्ती संवीक्षा की आवश्यकता है।

7. कार्यक्रम का कार्यान्वयन और रूपरेखा

एस जी एस वाई कार्यान्वयन को स्थिर और पहचाने गए स्तर के साथ लागू करना था। समयबद्ध कार्यक्रम होने के कारण इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थी।

एस जी एस वाई निश्चित कार्यान्वयन तथा पक्की स्तर पहचान के साथ लागू होना था।

- कार्यक्रम की पहली अवस्था में लक्षित जनसंख्या के व्यापक सर्वेक्षण द्वारा बी पी एल परिवारों की पहचान करनी थी। भारत सरकार ने अप्रैल 1997 में सभी राज्यों को निर्देश दिये कि नये सर्वेक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार प्रारम्भ करें ताकि कार्यक्रम शुरू होने से काफी पहले अंतिम सूची 1998 तक तैयार की जा सके। बी पी एल सूचियों में अभिक्षमता सर्वेक्षण के नतीजों का तथा परिवारों की आर्थिक गतिविधियों की पसंद को भी समाविष्ट करना था।
- दूसरी अवस्था मुख्य गतिविधियों की पहचान थी जो कि लाभभोगियों के स्थानीय साधनों, अभिक्षमता तथा कुशल स्तर पर आधारित थी। कार्यक्रम द्वारा लाभभोगियों की अभिक्षमता को एक उचित योजना के अनुरूप करना था। ब्लाक स्तर पर गतिविधियों का चयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लाइन विभाग तथा उद्योगिकी तथा प्राद्योगिकी संगठनों से परामर्श करके करना था तथा इनको जिला स्तर कमेटियों के द्वारा अनुमोदित करवाना था।

- तीसरी अवस्था में प्रत्येक पहचानी हुई गतिविधियों की परियोजना प्रतिवेदन तैयार करनी थी। जिसमें उधार संरचनात्मक सहायता तथा संस्थाओं से उपलब्ध उधार को दर्शाना था जो कि परियोजनाओं के आय स्तर को उत्पन्न करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक था। इन प्रतिवेदनों को परिवारों की संख्या दर्शानी थी जिन को किसी ब्लाक में शामिल करना था। समूह दृष्टिकोण को सही समझा गया तथा योजना ने एन जी ओ तथा अन्य संगठनों को मिलाकर स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) उत्पत्ति के लिये सुझाव दिया।
- एस जी एस वाई की चौथी अवस्था में चयनित परिवारों को संस्थात्मक उधार सुविधा के साथ आर्थिक सहायता को भी सुनिश्चित करना था। संस्थात्मक क्रेडिट को आसान बनाना अपेक्षित था क्योंकि वित्तपोषित संस्थानों की मुख्य गतिविधियों की पहचान तथा परियोजना प्रतिवेदन के साथ जोड़ना था।

योजना ने समूह तथा कलस्टर दृष्टिकोण के केन्द्रीकरण पर विचार किया।

योजना द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन के साथ साथ दी गई सहायता का संविस्तार अनुवीक्षण ऋण की वसूली दशा तथा परिसम्पत्तियों के उत्पादन का भी प्रबन्ध करना था। एस जी एस वाई निधियों का 20 प्रतिशत अवसंरचनात्मक उत्पत्ति के लिये चिन्हित किया गया (जो पहले दो वर्षों में 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया) और निधियों का 10 प्रतिशत जहां जरूरत थी वहां प्रशिक्षण पर लगाया गया। लाभभोगियों की पहचान करने के लिये व्यक्तिगत से समूह दृष्टिकोण में स्थानांतरण तथा गतिविधियों के चयन में कलस्टर दृष्टिकोण अपेक्षित था ताकि परियोजनाओं में पूर्व समस्याओं जैसे निधियों के दुरुपयोग तथा विफलताओं को कम किया जा सके। योजना ने इसलिये निम्न अनुकरण किया:

- विभिन्न एजेंसियों से समर्पित भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्ण निष्ठा
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में पास्परिक सहायोग ताकि एक सदस्य द्वारा उधार लिये गये धन की गारंटी पूरा समूह दे सके।
- अवसंरचना तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान के लिये लाइन विभाग, जिला एजेंसियों तथा बैंक प्राधिकरणों में प्रभावी समन्वय।
- मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना प्रस्ताव सावधानी से बनाये गये ताकि बैंकों द्वारा ऋण देने में शीघ्रता हो।

लेखापरीक्षा नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि योजना ने जिन आधारभूत कल्पनाओं और प्रक्रियाओं पर विचार किया वे सत्यता से परे थीं। अंतरण क्रियानिधि के महत्वपूर्ण सुधार में साक्ष्य की कमी थी। इसके निष्कर्ष निम्न अनुच्छेद में चर्चित हैं:

7.1 वार्षिक तथा परिपेक्ष्य योजनाएं तैयार करना

वार्षिक परिपेक्ष्य योजनायें या तो तैयार नहीं की गई थी या आंशिक देरी से तैयार की गई थी।

अरुणाचल प्रदेश, दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम तथा तामिलनाडू में पंचवर्षीय परिपेक्ष्य योजनाएं तथा वार्षिक ब्लाक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा कश्मीर, पांडीचेरी और उत्तर प्रदेश में परिपेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1999-2000 के लिये कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। पांच डी आर डी ए के नमूना जांच में से केवल दो ने ही वर्ष 2000-01 के लिये यह योजनाएं तैयार की थी तथा इनमें से चार डी आर डी ए ने वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद ही 2001-02 की वार्षिक योजनाएं तैयार की थी।

अतः यह स्पष्ट है कि कई राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने योजना के अन्तर्गत अनुसरण करने के लिये सविस्तार योजना का अभ्यास करने पर विचार नहीं किया गया। योजना में जटिलता तथा विविध एजेंसियों के कारण इस योजना का प्रभावी व सफलतापूर्वक कार्यान्वयन अनिश्चित था।

7.2 मुख्य गतिविधियों की पहचान

संबंधित एजेंसियों को बिना शामिल किये ही मुख्य गतिविधियों की पहचान कर ली गई थी।

असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा नागालैंड में मुख्य गतिविधियों का चयन या तो सभी या कुछ संबंधित लाइन विभागों, बैंकों, डी आर डी ए तथा ब्लाक स्तर एस जी एस वाई कमेटियों के प्रभावी रूप से शामिल किये बिना ही कर दिया गया था। आसाम, छत्तीसगढ़ दमन तथा दीव, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के चार में से तीन जिलों की परख जांच से मालूम हुआ कि समूह दृष्टिकोण को अपनाया नहीं गया था। मणीपुर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में मुख्य गतिविधियों के चयन की प्रक्रिया अपनाने का कोई साक्ष्य नहीं था। दादर तथा नगर हवेली, गुजरात, मणीपुर, उड़ीसा तथा राजस्थान में मार्गदर्शिका में विचारार्थ 4 या 5 गतिविधियों के स्थान पर 25 गतिविधियों तक की पहचान की गई थी। हिमाचल तथा सिक्किम में तीन महीने की निर्धारित अवधि के स्थान पर मुख्य गतिविधियों को पहचानने में क्रमशः छः महीने से 15 महीने तक का समय लिया गया था।

7.3 परियोजना रिपोर्टों को बनाना

परियोजना रिपोर्ट या तो बनाई नहीं गई थी अथवा अपूर्ण थी।

जैसी परिकल्पना थी आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडेचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 132 जिलों में से 42 में परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। यद्यपि इनमें से 70 जिलों में ये बनाई गई थी जो अपूर्ण थी क्योंकि इनमें आवश्यक तत्व जैसे प्रशिक्षण क्रेडिट, अवसंरचनात्मक ढांचा, प्रौद्योगिकी, विपणन, आवृत, बी पी एल परिवारों की संख्या, कुल मासिक आय तथा स्वीकार्य अतिरिक्त आय शामिल नहीं किये गये थे।

7.4 स्वरोजगारों की पहचान

परियोजना के अन्तर्गत, लाभभोगियों को स्वरोजगारों के रूप में जाना गया है जो व्यक्तिगत अथवा ग्रुप में हो सकते हैं। किसी भी मामले में, बी पी एल परिवारों की पहचान बी पी एल जन गणना जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, परिवारों की सहायता हेतु पहचान का आधार होना था।

बी पी एल परिवारों के पहचान की प्रक्रिया या तो विलंबित थी अथवा अविश्वसनीय थी।

तथापि बी पी एल परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण मार्च 1998 तक पूरा किया जाना था, गोवा, गुजरात, केरल, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जून 2002 तक भी पूरा नहीं हुआ था। आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणीपुर में सर्वेक्षण पूरा होने में एक से दो वर्ष तक का विलम्ब था। जबकि सिक्किम में बी पी एल परिवारों की अधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं थी। राज्य के एस जी एस वाई कक्ष ने योजना कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को सम्भावित बी पी एल परिवारों की एक सूची उपलब्ध करवाई थी। राजस्थान में 1992 और 1997 के दौरान किये गए बी पी एल सर्वेक्षण कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या के प्रसंग में बी पी एल परिवारों का स्थैतिक अनुपात (31 प्रतिशत) प्रदर्शित किया। कर्नाटका में, राज्य स्तर की बी पी एल सूची में सम्मिलित आंकड़े तीन जिला परिषदों, जिनके अभिलेखों की परख जांच की गई थी से कम थे।

आन्ध्र प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटका राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जैसा कि विचारा गया था, सम्भावित स्वरोजगारों की पहचान हेतु तीन सदस्यों की सीमित जिसमें बी डी ओ अथवा उसका प्रतिनिधि, एक बैंकर तथा संबंधित पंचायत के प्रधान सहित गठित नहीं की गई थी।

स्वरोजगारों की पहचान/एस एच जी के गठन हेतु विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में से 28 ब्लाकों में से 6 की नहीं स्वरोजगारों की अंतिम सूची मुद्रित नहीं हुई थी तथा ग्राम सभाओं को अनुमोदन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। पश्चिम बंगाल में 65 एस एच जी में एक की परिवार के एक से अधिक सदस्यों को शामिल किया गया था तथा छह मामलों में एक व्यक्ति अन्य ग्रुपों का सदस्य भी था।

संवेदनशील ग्रुपों में 15 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को योजना में निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत एक प्रतिशत से भी कम शामिल किया गया था।

7.5 एस एच जी का गठन और मूल्यांकन

योजना का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभभोगियों के स्थान पर स्वयं सहायता ग्रुपों (एस एच जी) का गठन को नाभीकरण करना था। एस एच जी को तीन अवस्थाओं में विकसित करना था तथा तीसरी और अन्तिम अवस्था आय प्रजनन अवस्था थी। एस एच जी के अवस्था अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य उसके ग्रुपों में विकास को सुनिश्चित करना था जिसके लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा छह महीने के अन्तराल पर उसके ग्रुपों में विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्रम-बद्ध अभ्यास किया जाना था।

एस एच जी के स्थान पर व्यक्तिगत स्वरोजगारों को अधिक नाभिकृत किया गया था।

दमन एवं दीव में एस एच जी का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आसाम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पाण्डेचेरी, राजस्थान तथा सिक्किम में 2,87,594 में से 2,38,729 (83 प्रतिशत) स्वरोजगारों ने व्यक्तिगत रूप में तथा शेष 48,865 स्वरोजगारों (17 प्रतिशत) ने एस एच जी के सदस्यों के रूप में सहायता प्राप्त की थी। व्यक्तिगत लाभभोगियों को ग्रुपों के स्थान पर अधिक नाभिकरण करना योजना के अभिप्रायों के विपरीत था। दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, केरल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में ग्रुप प्रस्तावों को फोकस नहीं किया गया था। संबंधित विवरण परिशिष्ट-5 में दिया हुआ है।

ग्रुपों के गठन में किस सीमा तक डी आर डी ए, बैंक, लाइन विभाग तथा एन जी ओ शामिल थे, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल तथा नागालैण्ड के अभिलेखों में यह निश्चय नहीं था। प्रक्रिया विकास में ग्रुपों को प्रोत्साहित करने के लिए एन जी ओ का आवेष्टन आसाम, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, पाण्डेचेरी तथा राजस्थान के तीन चयनित जिलों में भी अप्राप्त था।

एस एस जी के मूल्यांकन तथा उनके श्रेणीकरण में गिरावट

29 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में गठित कुल 817717 एस एच जी में से केवल 2,63,350 ग्रुप (32.21 प्रतिशत) मूल्यांकन की तीसरी अवस्था तक पहुंच पाये थे। तथापि पांच राज्यों (आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और उड़ीसा) में एक स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा वर्गीकरण का कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। दो राज्यों (आसाम : 48 तथा कर्नाटक : 1,743) में 1791 एस एच जी को बिना किसी श्रेणीकरण की कसौटी के दूसरी और तीसरी अवस्थाओं में उत्थित किया गया था। छह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, दादर तथा नागर हवेली, गोवा, नागालैण्ड, पाण्डेचेरी तथा त्रिपुरा) में कोई भी एस एच जी आय-प्रजनन क्रिया-कलापों की तीसरी अवस्था तक नहीं पहुंच पाई थी। यद्यपि यह बताया गया था कि महाराष्ट्र में सभी एस एच जी तीसरी अवस्था तक पहुंच गई थी, उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय अवस्था हेतु निर्धारित परीक्षण अवस्थाओं को भी पार नहीं किया था। शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में भिन्नता है। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट -VII में दिया गया है।

डी डब्ल्यू सी आर ए योजना के अन्तर्गत पूर्व गठित सहायता प्राप्त ग्रुपों को एस जी एस वाई में अग्रनित नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों के 19 ब्लाकों में 1 अप्रैल 1999 के अनुसार 729 डी डब्ल्यू सी आर ए अस्तित्व में थी, जिन्होंने पहले आवर्ती निधि की स्थापना हेतु रु 1.40 करोड़ की सहायता प्राप्त की थी। तथापि इनमें से केवल 107 ग्रुप 1999-2002 के दौरान एस एच जी में परिवर्तित किये गये थे। शेष 622 ग्रुप जिन्हें इसके लिए रु. 1.20 करोड़ की सहायता दी गई थी, के न तो समर्थ किया गया था न ही सक्रिय बनाया गया था। शेष समस्त राशि डी डब्ल्यू सी आर ए ग्रुपों अथवा बैंकों के पास अवशेष थी। बी डी ओ द्वारा उन्हें समुचित पहचान के पश्चात एस एच जी में पुनर्गठित करने में असफल रहने के कारण योजना के अन्तर्गत पात्र लाभभोगियों को सहायता से वंचित रहना पड़ा।

7.6 स्वरोजगारों को सहायता

7.6.1 आवर्ती निधि

आवर्ती सहायता या बिलकुल ही निर्मुक्त नहीं की गई थी अथवा विहित मात्रा से अधिक अथवा कम उपलब्ध करवाई गई थी।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता में से 10 प्रतिशत राशि आवर्ती निधि के सृजन के लिए थी। यह एस एच जी को उनके मूल्यांकन की दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर देय थी। पात्र एस एच जी इसके लिए बैंक के कैश-क्रेडिट सुविधा के रूप में रु 25,000 की सहायता के पात्र थे। इसमें से डी आर डी ए द्वारा बैंक को रु 10000 की राशि दी गई थी तथा इसके लिए बैंक द्वारा केवल रु 10000 से अधिक की राशि पर ब्याज लगाया था। तथापि ग्रुपों जिन्होंने पहले डी डब्ल्यू सी आर ए अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की थी, एस जी एस वाई के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। अभिलेखों की परख जांच के परिणामों का निम्न पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है:

(क) सहायता निर्मुक्त न करना

द्वितीय अवस्था में पहुंचने के पश्चात भी हिमाचल प्रदेश में 115 एस एच जी तथा कर्नाटक में 652 एस एच जी को आवर्ती निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जबकि मणीपुर (इम्फाल ईस्ट तथा उखरूल) की दो डी आर डी ए की एस एच जी को आवर्ती निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आन्ध्र प्रदेश और केरल में 1,59,000 तथा 16,256 एस एच जी आवर्ती निधि के पात्र थे इनमें से क्रमशः 1,30,000 (82 प्रतिशत) तथा 10,974 (68 प्रतिशत) एस एच जी को आवर्ती निधि की स्थापना हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। राजस्थान में 2,473 एस एच जी को प्रथम अवस्था पार करने के पश्चात मार्च 2002 तक आवर्ती निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। पश्चिम बंगाल के पांच चुने गये जिलों में 6,499 एस एच जी ने प्रथम अवस्था पार कर ली थी, इनमें से केवल 4,242 एस एच जी को आवर्ती निधि उपलब्ध करवाई गई थी। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में 2,921 तथा 17,622 एस एच जी ने प्रथम अवस्था पार कर ली थी। इनमें से केवल क्रमशः 2,075 और 14,226 एस एच जी को आवर्ती निधि उपलब्ध करवाई गई थी।

(ख) कम सहायता जारी करना

नागालैण्ड में (208 एस एच जी) और महाराष्ट्र में (20,276 एस एच जी) को उनकी पात्रता से कम क्रमशः रु 6.38 लाख तथा रु 284.05 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। केरल में आवर्ती निधि हेतु लक्षित 10 प्रतिशत की राशि के विपरीत आवर्ती निधि पर व्ययित राशि केवल कुल व्यय का सात प्रतिशत थी। त्रिपुरा में 1999-2002 के दौरान 429 एस एच जी को अपनी आवर्ती निधि की स्थापना हेतु केवल 27.55 लाख का भुगतान किया गया था जबकि ग्राह्य राशि रु 107.25 लाख थी। उड़ीसा में आवर्ती निधि हेतु रु 707.11 लाख की राशि में से रु 439.01 लाख (62 प्रतिशत) की राशि जारी नहीं की गई थी। गुजरात में 1,460 एस एच जी में से केवल 176 को आर्थिक क्रियाकलापों हेतु सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। जबकि 1999-2002 के दौरान आवर्ती निधि स्थापित करने हेतु 146.00 लाख का भुगतान किया गया था। एस एच जी

द्वारा इसके वास्तविक उपयोग का मार्गदर्शन करने हेतु ब्लाकों अथवा डी आर डी ए में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था।

(ग) अधिक/अनियमित सहायता जारी करना

कुल रु 156.01 लाख की अधिक सहायता जारी करने के मामले अरुणाचल प्रदेश (रु 7.19 लाख), गुजरात (रु 89.01 लाख), हरियाणा (रु 10.00 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (रु 49.81 लाख) में देखे गये। तमिलनाडु में 216 एस एच जी को आवर्ती निधि उपलब्ध नहीं थी। पश्चिम बंगाल में भी उनकी ग्रेडिंग को देखे बिना रु 57.50 लाख की आवृत्ति निधि का अनियमित अग्रिम उपलब्ध करवाया गया था।

(घ) बैंकों की भागीदारी तथा आवेष्टन

मणीपुर के पश्चिम जिले इम्फाल में डी आर डी ए ने 2000-01 के दौरान 4 एस एच जी के लिए रु 0.40 लाख की राशि बैंकों में जमा करवाई। तथापि बैंकों ने उन्हें अपने कैश-क्रेडिट अंश के 0.60 लाख उपलब्ध नहीं करवाये थे। इनके परिणामस्वरूप डी आर डी ए द्वारा उपलब्ध निधियों को पूंजी उत्पादन हेतु उपयोग नहीं किया जा सका था।

पांडेचेरी में 69 में से 50 एस एच जी को बैंको ने आवर्ती निधि के अपने हिस्से की राशि जारी नहीं की थी जिन्हें डी आर डी ए ने अपना हिस्सा दे दिया था। बैंकों ने मार्च 2002 तक 36 अन्य एस एच जी के मामले में रु 10000 की राशि पारित नहीं की थी जबकि डी आर डी ए ने 1999-02 के दौरान बैंकों को राशि जारी कर दी थी। डी आर डी ए ने (मई 2002) स्वीकार किया कि बैंकों की भागीदारी अत्याधिक प्रोत्साहक नहीं थी।

छत्तीसगढ़ में 452 स्वराजगारों, जिनके लिए डी आर डी ए ने आवर्ती निधि हेतु सहायता जारी की थी, केवल 235 स्वरोजगारों को बैंक ने उनके हिस्से का भुगतान किया था।

गोवा में मार्च 2002 की समाप्ति तक ग्रामीण विकास अभिकरण (आर डी ए) ने आवर्ती निधि में रु. 20.22 लाख अव्ययित बकाया छोड़ते हुए केवल रु. 4.90 लाख ही व्यय किया। आर डी ए ने बताया कि एस जी एस वाई 1999 में ही आरम्भ हुई थी, लोगों को इस योजना के विषय में पता नहीं था।

मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में डी आर डी ए के अन्तर्गत किसी भी एस एच जी को बैंक ऋण नहीं दिया गया था। यद्यपि 114 एस एच जी को प्रोत्साहन देने के लिए आवर्ती निधि में रु. 8.80 लाख जमा करवाये गये थे।

मिजोरम में, 2000-02 के दौरान 164 एस एच जी हेतु आवर्ती निधि हेतु रु. 16.40 लाख की राशि व्यय की गई थी। तथापि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि लाभ भोगियों द्वारा आवर्ती निधि का इस्तेमाल करते हुए कोई परिसम्पत्ति बनाई गई थी।

पंजाब के संगरूर और फिरोजपुर जिलों में 1999-01 में विभिन्न बैंकों को 264 एस एच जी द्वारा आवर्ती निधि स्थापित करने के लिए रु. 26.40 लाख की राशि का भुगतान किया गया था तथापि बैंकों ने इन दो जिलों में 30 एस एच जी को केवल रु. 3

लाख की राशि जारी की। बैंकों ने प्रत्येक एस एच जी हेतु अपने हिस्से के रू. 15000 का भुगतान भी नहीं किया। डी आर डी ए ने बताया कि संबंधित बैंकों के साथ मामले को उठाया जायेगा।

7.6.2. ऋणों तथा आर्थिक सहायता का वितरण

परियोजनाओं को संस्वीकृति देते समय बैंक प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना था कि इकाई लागत ऋण की अवधि तथा भुगतान सारणी संबंधित मुख्य क्रियाकलाप जैसा कि परियोजना की रूपरेखा में दर्शाया गया है के अनुसार है। आंशिक भुगतान तथा अद्यो-भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना था। तथापि जब क्रियाकलापों की प्रकृति इस प्रकार की थी की ऋण को पड़ावों में जारी किया जाए इसे इस अनुसार ही जारी किया जाना था।

तथापि 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणीपुर, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल) में यह प्रेक्षित किया गया था कि बैंकों द्वारा इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा था तथा अनुमोदित योजना में उल्लेख अनुसार ऋणों और आर्थिक सहायता का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा था। इससे अद्यो-वित्त की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके परिणामस्वरूप तदन्तर लक्षित आय से कम की प्राप्ति हुई। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट-VII में दिया हुआ है।

सहायता आंशिक रूप से दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप योजना लागत पूर्णरूप से वित्त पोषित नहीं हुई।

10 राज्यों (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणीपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) में यह प्रेक्षित किया गया था कि बैंक स्वीकृत परियोजना लागत की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे (परिशिष्ट-VIII)। राशि का एक भाग स्वरोजगारी के सावधि जमा खाता अथवा बचत बैंक खाते में रखा जा रहा था। कुछ बैंकों ने केवल आर्थिक सहायता घटकों को ही जारी की थी। जबकि कुछ मामलों में ऋण जारी कर दिया गया था तथा आर्थिक सहायता को प्रतिभूति के रूप में रोक लिया था। इससे परियोजनाओं में रू. 25.94 करोड़ की अधोवित्तीय सहायता मिली जिसके कारण लाभभोगियों की परिसम्पत्ति सृजन में बाधा आई तथा आय प्रजननता बुरी तरह प्रभावित हुई।

बैंकों द्वारा ऋण तथा आर्थिक सहायता देने में विलम्ब।

आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा ऋणों तथा अधिक सहायता का भुगतान विलम्बित किया गया था। विलम्ब की अवधि/महीने से 2 वर्षों तक की थी। इससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा क्रिया कलाप, पहले लिए गए ऋणों के भुगतान इत्यादि प्रभावित हुए।

10 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों (दादर तथा नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, पांडिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) में 14 से 54 प्रतिशत तक ऋण के आवेदन विचाराधीन थे। ऋणों को स्वीकृत करने की

अवधि 1 महीने से 2 वर्षों तक की थी। इससे योजना के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्धारित सीमा से अधिक कुल रु. 5.58 करोड़ की सहायता अपात्र व्यक्तियों को जारी की गई।

छत्तीसगढ़, दमन तथा दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपात्र व्यक्तियों को विहित सीमा से अधिक तथा ऋण के भुगतान की निर्धारित अवधि से पूर्व उसके भुगतान के मामले देखे गए जिसमें रु. 5.58 करोड़ की सहायता आवेष्टित है, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-9 में उल्लेखित किया गया है।

जैसा कि परिशिष्ट-10 में उल्लेख किया गया है - पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में एस एच जी को ऋण आर्थिक सहायता देने से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा एस एच जी को कुल रु. 6.88 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

आंध्र प्रदेश के दो जिलों में सहकारी समितियों को रु. 2.01 करोड़ अनुसूचित जाति (एस सी) स्वराजगारों को आर्थिक सहायता का भुगतान करने हेतु जारी किये गये थे। 1996-2001 के दौरान समितियों ने खुशक भूमि खरीदी तथा उसे 3436 अनुसूचित जाति (एस सी) लाभभोगियों में वितरित की जबकि ऋण सहायता लाभभोगियों ने स्वयं प्राप्त की। भू-क्रय योजना के अंतर्गत दी गई शर्तों के अनुसार समितियों को अनुसूचित जाति हेतु खरीदी गई भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवानी थी। यह उपलब्ध नहीं करवाई गई। डी आर डी ए ईस्ट गोदावरी ने संघटित कबीला विकास अभिकरण, रामपयोदावरम (रु. 0.27 करोड़) तथा जिला अनुसूचित जाति सेवा सहकारी समिति काकिनाड़ा (रु. 0.25 करोड़) रु. 0.52 करोड़ की राशि स्वरोजगारों को आर्थिक सहायता देने हेतु निर्मुक्त की। राशि का उपयोग अभिप्रेरित उद्देश्य हेतु नहीं किया गया तथा वह उनके बचत बैंक खाते में जमा थी, फिर भी दोनों अभिकरणों ने वांछित इस्तेमाल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये।

महाराष्ट्र के 9 जिलों में बैंकों से ऋण के वितरण को सुनिश्चित किये बिना रु. 53.91 करोड़ (1999-02) की सहायता राशि निर्मुक्त की गई थी। बैंकों ने डी आर डी ए को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर रु. 2.08 करोड़ लौटा दिये। राजस्थान में जबकि 1999-01 के दौरान केवल 30 एस एच जी ही ग्रेड-II पार कर पाये थे। 99 एस एच जी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी।

7.6.3 स्वरोजगारों द्वारा परिसम्पत्ति का सृजन

परिसम्पत्ति या तो सृजित नहीं की गई थी अथवा विद्यमान नहीं थी। उनकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई थी।

स्वरोजगारों को संबंधित प्राधिकारियों जैसे बी डी ओ, बैंक इत्यादि को परिसम्पत्ति प्राप्ति की सूचना देनी थी जो नहीं दी गई। इस कार्य में लगी एजेन्सियों ने भी इस बात की जांच नहीं की कि बताई गई परिसम्पत्ति सृजित की गई है तथा वास्तव में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में स्वरोजगारों से परिसम्पत्ति प्राप्ति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और ना ही डी आर डी ए ने उनके द्वारा सृजित परिसम्पत्ति की जांच की। छत्तीसगढ़ में

स्वरोजगारों द्वारा प्राप्त परिसम्पत्ति की प्रत्यक्ष जाँच के दौरान 33 स्वरोजगारों से संबंधित रू. 8.98 लाख की परिसम्पत्ति उनके कार्य स्थल पर नहीं पाई गई। उड़ीसा में 15 इलाकों में 961 स्वरोजगारों की रू. 177.14 लाख मूल्य की परिसम्पत्ति या तो सृजित नहीं की गई थी अथवा आंशिक रूप से विद्यमान थी। उड़ीसा के एक ब्लाक में रू. 21 लाख की लागत से सृजित 113 परिसम्पत्तियां या तो नष्ट हो गई थीं अथवा इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं थीं।

7.6.4 ऋणों की वसूली

ऋणों के भुगतान में कमियां थीं। वसूली हेतु किया गया अनुश्रवण भी त्रुटिपूर्ण था।

लाभभोगियों से ऋणों की वसूली एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह न केवल वित्तीय नियमों को प्रभावित करता है बल्कि कार्यक्रम की सफलता को भी मापता है। उड़ीसा के चारों जिलों में 18 बैंकों ने सूचित किया कि 576 लाभभोगी रू. 195.99 लाख के ऋण के भुगतान के गबनकार हैं। त्रिपुरा में सितम्बर 2001 तक रू. 64.28 करोड़ की कुल मांग के विपरीत केवल रू. 4.38 करोड़ ही वसूले गये। आसाम तथा जम्मू और कश्मीर में न तो बैंकों ने डी आर डी ए को वसूली रिपोर्ट प्रस्तुत की न ही डी आर डी ए ने वसूल किये जाने वाले ऋण का कोई अनुमान लगाया। अरुणाचल प्रदेश तथा दमन एवं दीव में ऋणों की वसूली का अनुश्रवण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। ऋणों की कम वसूली ने बैंकों को स्वरोजगारों हेतु और ऋण देने में बाधा प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश के 11 में से 4 जिलों में 1999-2002 के दौरान कुल 223.54 लाख के ऋण वसूले गये, लेकिन जिला पंचायत ने बताया की बैंकों ने चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं की थी।

छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल में ऋण का भुगतान न करने वाले चूककर्ताओं की प्रतिशतता 28 से 62 प्रतिशत के बीच है। दादरा तथा नगर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में न तो कोई रिकार्ड रखा गया था न ही ऋणों की वसूली हेतु कोई प्रणाली बनाई गई थी। मार्च 2002 तक मेघालय में ऋण की वसूली कार्यान्वित नहीं हुई थी।

अवसंरचनात्मक सृजन में त्रुटियां तथा अवसंरचनात्मक निधियों के इस्तेमाल में अनियमिततायें।

7.7 अवसंरचनात्मक सृजन

योजना आवश्यक अग्रवर्ती तथा पश्चगामी संयोजन के निर्माण हेतु संरचनात्मक की पहचान तथा सृजन को प्रस्तुत करती है। तथापि बहुत से राज्यों में विषय पर एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव का अभाव है जिसकी पुष्टि नीचे दिये गए उदाहरणों से की जा सकती है।

7.7.1 अवसंरचनात्मक निधियों से अनियमित व्यय

23 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सृजन हेतु उपलब्ध करवाई गई रू. 96.95 करोड़ की राशि को योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया गया था। निधियों को विद्यमान अवसंरचनात्मक में अन्तर को दूर करने हेतु इस्तेमाल नहीं किया गया था। बल्कि इसे नये अवसंरचनात्मक भवनों के निर्माण,

विद्यमान भवनों, सरकारी क्वार्टरों तथा सड़कों की मरम्मत, परिसम्पत्ति/उपकरणों की खरीद, प्रशासनिक व्ययों, वेतन आदि पर जिनका योजना के साथ कोई संबंध नहीं था पर खर्च किया गया था। सहकारी समितियों को भी यह सुनिश्चित किये बिना कि उसके 50 प्रतिशत सदस्य स्वरोजगारी है, निधियां उपलब्ध करवाई गई थी। विवरण परिशिष्ट 11 में दिया हुआ है।

7.7.2 अवसंरचना निधि का अधिक उपयोग

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिले में एस जी एस वाई के आवंटन का 20 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) राशि अवसंरचनात्मक विकास के लिए विहित थी। आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्यों में इस प्रावधान हेतु आवंटित राशि से रु. 29.78 करोड़ अधिक व्यय किये गये।

7.7.3 अवसंरचना निधियों का इस्तेमाल न करना

कुल 26.20 करोड़ की अवसंरचना कार्यों हेतु उपलब्ध राशि में से आंध्र प्रदेश (रु. 17.45 लाख), गोवा (रु. 42.56 लाख), मणिपुर (रु. 3.42 लाख) तथा उत्तर प्रदेश (रु. 2556.80 लाख) में क्रमशः इस्तेमाल नहीं हुए थे।

मन्त्रालय ने योजना के आरम्भ होने के तीन वर्ष उपरान्त भी इसके अवसंरचनात्मक विकास के खर्च के अनुश्रवण हेतु किसी प्रणाली को विकसित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित पूर्व प्रस्तावों की प्राप्ति मन्द हो गई।

7.8 प्रशिक्षण

राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चयित जिलों/ब्लाकों की परख जांच से निम्न प्रकट हुआ:

(क) जैसा कि योजना में विहित किया गया था 26 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में लाभभोगियों को बुनियादी दिवसूचक कार्यक्रम तथा क्षमता विकास का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जो स्वरोजगार की सफलता तथा सफलता पूर्वक उद्यम चलाने हेतु पूर्व अपेक्षित योग्यता थी।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में प्रति प्रशिक्षण व्यय निर्धारित मानदण्ड की अपेक्षा रु. 35 से रु. 2240 प्रति दिवस अधिक था। इसमें परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2002 के दौरान प्रशिक्षण कार्यकलापों पर रु. 2.25 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

यद्यपि स्वरोजगारों के प्रशिक्षण के लिए कोई सुनियोजित प्रणाली अपनाई नहीं गई थी। फिर भी प्रशिक्षण पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक राशि व्यय हुई।

7.9 प्रौद्योगिकी प्रबंधन

चयित मुख्य क्रियाकलानों हेतु प्रौद्योगिकी सुधारने पर कम ध्यान दिया गया।

सूक्ष्म उद्योगों के दीर्घकालीन विकास हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता को जानना था ताकि समूहों में प्रौद्योगिकी के विकास को तादात्म्यत किया जा सके। इसके उपयुक्त संस्थानों तथा स्थानीय स्रोतों आदि में तादम्यता शामिल करना था।

17 राज्यों और संघा शासित क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल) में स्वरोजगारों हेतु चयित क्रिया कलापों के लिए वांछित उन्नत प्रौद्योगिकी के तादात्म्य के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। चूंकि इस महत्वपूर्ण घटक पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, स्वरोजगार प्रायः अतिरिक्त आय का प्रजनन करने में असफल रहे थे।

7.10 विपणन सहायता

न तो बाजार का सर्वेक्षण किया गया न ही विपणन सहायता का विस्तार किया गया।

18 राज्यों तथा संघ शासित राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में कोई मार्केट सर्वेक्षण नहीं किया गया था न ही विपणन सहायता का लाभभोगियों तक विस्तार किया गया था। केरल में विपणन सहायता वार्षिक जिला मेलों के आयोजन तथा जिला आपूर्ति एवं विपणन समिति तक विस्तारित किया गया था। पांडिचेरी में डी आर डी ए द्वारा 5 ब्लाकों को दिसम्बर 2001 में स्थापना/विकसित विपणन सहायता हेतु रु. 6.50 लाख निर्मुक्त किये, इसमें से रु. 2.30 लाख आर्थिक सहायता जारी करने के लिए वितरित किये गये तथा रु. 3.49 लाख ब्लाकों द्वारा इस्तेमाल नहीं किये गये थे। सिक्किम में रु. 45.98 लाख 12 विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु अग्रिम दिये गये थे जो विभाग द्वारा 2000-02 के दौरान ले लिये गये थे तथा जून 2002 तक अभी ये पूर्ण किये जाने थे। कार्य पूर्ण होने की सारणी के संदर्भ में विलम्ब की अवधि नौ से बारह महीने तक की थी।

8. विशेष परियोजनायें

एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजनायें पथ प्रदर्शक प्रकृति की थी जिन पर अति आवश्यक प्रेरित संवर्धन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित नियोजित और समवन्धित कार्यवाही अपेक्षित थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालीन स्वरोजगार के अवसरों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब ग्रामीणों को अवसंरचना प्रौद्योगिकी, विपणन प्रशिक्षण इत्यादि के द्वारा विशेष संख्या में बी पी एल परिवारों को तीन वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। मन्त्रालय द्वारा एस जी एस वाई के

अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्देश्य हेतु पन्द्रह प्रतिशत राशि निर्धारित की थी। परियोजना प्रस्तावों की जांच के साथ-साथ मन्त्रालय की परख कमेटी स्वीकृत परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा तथा मार्गदर्शन के लिए भी उत्तरदायी थी।

15 विशेष परियोजनायें मार्च 2002 तक पूरी की जानी थी जून 2002 तक अपूर्ण थी।

(क) 1999-2002 के दौरान मन्त्रालय ने 18 राज्यों में रु. 580.47 करोड़ लागत की 72 विशेष परियोजनायें स्वीकृत की। 17 राज्यों में इनमें से 68 परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंध (लागत रु. 530.77 करोड़) केन्द्र और राज्यों में 75:25 के अनुपात में बांटा गया तथा शेष 4 केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित थी। कार्यान्वित अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता के रूप में रु. 234.20 करोड़ (40.35 प्रतिशत) मार्च 2002 में निर्मुक्त किये गये।

12 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में 1999-2002 के दौरान रु. 412.13 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा : रु. 309.10 करोड़ तथा राज्य हिस्सा : रु. 103.03 करोड़) लागत की 49 विशेष परियोजनाओं के अभिलेखों की परख जांच से प्रकट हुआ कि रु. 309.10 करोड़ की देय केन्द्रीय सहायता के विपरीत मन्त्रालय ने रु. 175.17 करोड़ (56.67 प्रतिशत) राज्यों की कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किये थे। राज्यों द्वारा निर्मुक्त किये गये उनके हिस्से की देय राशि रु. 103.03 करोड़ में से केवल रु. 39.96 करोड़ (38.78 प्रतिशत) ही जारी की गई थी। 1999-2002 के दौरान कुल रु. 217.22 करोड़ की उपलब्ध निधि जिसमें रु. 2.09 करोड़ की अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल है, केवल रु. 59.51 करोड़ (27.39 प्रतिशत) ही उपयोग की गई थी। राज्य अनुसार विवरण परिशिष्ट 12 में दिया हुआ है।

1999-2000 के दौरान 8 राज्यों में स्वीकृत 15 विशेष परियोजनायें जो मार्च 2002 तक सम्पन्न होनी थी, जून 2002 तक पूरी नहीं हुई थी।

(ख) योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि ग्रामीण गरीबों के संगठन को अवसंरचनात्मक सहायता, प्रावधान, प्रौद्योगिकी, विपणन, प्रशिक्षण इत्यादि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से जिलों की विशेष परियोजनाओं तथा उनकी सामान्य निधियों से दिलवाया जाए। इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि इसे किस प्रकार किया जाए। बहुत से क्रिया-कलाप जो जिलों में सामान्य कार्यों के साथ किये जाने थे, इन्हें विशेष परियोजनाओं के रूप में किया गया।

(ग) परख जांच के दौरान देखे गए कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

(i) गुजरात में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विस्तृत विपणन मध्यस्थता तथा प्रसार अंतरण के लिए दो विशेष परियोजनायें संस्वीकृत की गई थी जिसका उद्देश्य विपणन तथा प्रौद्योगिकी सहायता को सद्बद्ध करना था। तथापि परियोजनाओं ने विशेष परियोजना की अनुरूपता का सम्पूर्ण पालन नहीं किया/परियोजना आरम्भ करने से पूर्व कोई बैंच-मार्क सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा उनकी परियोजना लागत आवृत्ति प्रकार के अमान्य मर्दों रु. 6.55 करोड़ सहित रु. 15 करोड़ थी। कुल निर्मुक्त रु. 8.43 करोड़ में

चूंकि विशेष परियोजनाओं ने एस जी एस वाई को सहायता नहीं दी थी अतः निमुक्त निधियों का कम और गैर उत्पादिक उपयोग हुआ।

से मार्च 2002 तक बिना किसी प्रमाण के कि लाभ एस जी एस वाई लाभभोगियों को पहुँच रहा था, केवल रु. 2.67 करोड़ की राशि व्यय की गई थी।

(ii) **आन्ध्र प्रदेश** में स्वीकृत चार विशेष परियोजनाओं में से एक को निधि स्थायी विपणन केन्द्रों (डी डब्ल्यू सी आर ए बाजार) के निर्माण तथा दूसरी को राज्य के 22 जिलों में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु दी गई थी। जबकी पहली परियोजना हेतु रु. 87.87 लाख प्राप्त किये गये थे इसे दो जिलों में उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस्तेमाल नहीं किया जा सका, अन्य जिले में रु. 1.53 करोड़ की लागत से निर्मित विपणन केन्द्र एक वर्ष से भी अधिक समय से चालू नहीं हुआ था। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु निर्मुक्त रु. 4.19 करोड़ की राशि एक ग्रामीण संस्थान को विपणित कर दी गई थी, जिसमें से रूपए 2.68 करोड़ का उपयोग प्रशासनिक भवन खंड, होटलों के निर्माण तथा भीतरी सड़कों तथा बाड़ लगवाने पर खर्च किए गए। शेष राशि अव्ययित पड़ी थी। संस्थान ने एस जी एस वाई लाभभोगियों के प्रशिक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया।

(iii) **तमिलनाडु** में रु. 14.64 करोड़ की राशि विपणन अवसंरचना तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी हेतु एक नाडल सेन्टर स्थापित करने हेतु स्वीकृत की गई थी। इसमें विभिन्न घटक शामिल थे जिन्हें डी आर डी ए सहित अन्य संस्थानों ने निष्पादित करने थे। निधियों के घटक अनुसार इस्तेमाल की स्थिति तथा प्रगति जो नीचे दर्शाई गई है इंगित करती है कि मार्च 2002 तक परियोजना से एस जी एस वाई लाभभोगी वंचित थे।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	घटक	निर्मुक्त राशि	व्ययित राशि	टिप्पणी
1	राज्य स्तर के विपणन केन्द्र का निर्माण	125.00	2.12	सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक कार्य पर
2	ब्राण्ड एक्टिविटी निधि	50.00	4.76	
3	विपणन परामर्श	15.00		
4	विपणन प्रज्ञाता सेल	4.90		
5.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी स्रोत लिमिट की स्थापना तथा परियोजना प्रोफाइल को तैयार करना	100.00	0.87	रु. 60.13 लाख का व्यय सूचित किया गया था लेकिन राशि मियादी जमा में थीं।
6.	जिला स्तर के विपणन केन्द्रों का निर्माण	392.00	159	28 में से केवल 14 पूरी हुई बताई गई थी।
7.	जिलों हेतु विपणन प्रज्ञाता संकद	45.00	उपलब्ध नहीं	कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में।

(iv) उत्तर प्रदेश में सारस विपणन केन्द्रों तथा प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना विशेष परियोजना के रूप में की गई थी। विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु संस्वीकृत रू. 9.50 करोड़ की लागत में से केवल रूपये 4.75 करोड़ निर्मुक्त किये थे जिसमें से रू. 70.49 लाख भूमि की खरीद, दुकान आदि खरीदने हेतु व्यय किये गये। तथापि इसके पश्चात भी प्राधिकार वास्तव में नहीं मिला था। प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना में भी कोई प्रगति नहीं थी तथा जिला परख जांच हेतु निर्मुक्त रू. 180.00 लाख की समस्त राशि अभी तक अप्रयुक्त पड़ी थी।

उक्त मामलों में स्थानीय आवश्यकताओं का उचित सर्वेक्षण किये बिना और वहाँ पहले से विद्यमान सुविधाओं को नजरअंदाज करते हुए विपणन व परीक्षण के उद्देश्य से विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। यह परियोजनायें जून 2002 तक अधुरी थी।

(घ) निम्न दो विशेष परियोजनायें लक्षित लाभों को प्राप्त करने में असफल रही थी जिसके लिए इसे आरम्भ करने से पूर्व समुचित सर्वेक्षण आरोप्य है।

(i) हिमाचल प्रदेश में मार्च 2000 में रू. 10.47 करोड़ की लागत से एक तेज बहने वाले झरनों⁹ पर प्रभावी स्थाई सिंचाई परियोजना हेतु 400 हाईड्रम लगाने थे इससे 3000 बी पी एल किसानों को 2 वर्ष की अवधि में लाभ होना था। 2000-01 में खरीदे गए 151 हाईड्रम में से रू. 1.25 करोड़ की लागत से खरीदे गये 130 हाईड्रमों को अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा क्षेत्र में इसी प्रकार की दो योजनाओं की अतिव्याप्ति के कारण स्थापित नहीं किया जा सका था।

(ii) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में मार्च 2001 में कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए एक विशेष परियोजना लागू की गई। इसके अन्तर्गत 8000 किसानों के लाभ के लिए 10000 एकड़ भूमि के विकास को मार्च 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य था। तथापि भारत सरकार से प्राप्त रू. 14.25 करोड़ की राशि में से मार्च 2002 तक केवल रू. 6 करोड़ ही व्यय किये गये थे। बकाया राशि को सावधि जमा में निवेश किया गया। क्षेत्र विकास तथा लाभग्राही के विषय में बताया गया था कि ये क्रमशः 10 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थे, लेकिन इससे संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं थे। लाभभोगियों की समुचित पहचान तथा अभिप्रेरणा के सर्वेक्षण के अभाव में लक्षित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

विशेष परियोजनाओं हेतु उपलब्ध राशि बिल्कुल खर्च नहीं की गई थी अथवा बहुत कम उपयोग की गई थी।

(ड) बहुत से मामलों में, विशेष परियोजनाओं हेतु स्वीकृत उपलब्ध निधियों को या तो खर्च नहीं किया गया अथवा नगण सीमा तक खर्च किया गया था। कुछ उदाहरण निम्न पैराग्राफों में उल्लेखित किए गए हैं:-

(i) गुजरात में कच्छ जिले में गावों को सुखा निजाती हेतु मार्च 2001 में निर्मुक्त रू. 5.04 करोड़ की राशि मार्च 2002 तक अव्ययित थी।

⁹ यह एक यांत्रिक युक्ति है जो द्रव्यचालित सुबा पर आधारित है, जो द्रव के प्रारंभिक दबाव को उठाकर ऊँचाई पर फेंकता है।

- (ii) **मध्य प्रदेश** में 2000-01 के दौरान दो उन्नयन सिचाई योजनायें विशेष परियोजना के रूप में स्वीकृत की गई थी। तथापि मार्च 2002 तक कोई राशि व्यय नहीं हुई।
- (iii) **हिमाचल प्रदेश** में दो विशेष परियोजनाओं हेतु जिसका नाम गोल्ड माइनस था, बिलासपुर में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उत्थान हेतु मशरूम खेती, पुष्पोत्पादन, सेरीक्लचर तथा “ग्रामीण वस्तुओं के विपणन” हेतु क्रमशः सितम्बर 2000 और मई 2001 में स्वीकृत की गई। स्वीकृत रू. 5.49 करोड़ में से मार्च 2002 तक केवल रू. 0.75 लाख ही व्यय हुए थे।
- (iv) **उड़ीसा** में मार्च 2001 में ग्रामीण उत्पादनों के विपणन हेतु संघटित नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक विशेष परियोजना स्वीकृत की गई। इसमें उपलब्ध निधियों (रू. 9.40 करोड़) में से केवल तीन प्रतिशत (रू. 0.15 करोड़) ही उपयोग हुये थे। इस योजना का एक घटक फूलबानी में हल्दी उत्पादों का विपणन मई 2001 में स्वीकृत किया गया था उसे फरवरी 2002 में बन्द कर दिया गया जिससे रू. 2.30 लाख का व्यय निष्फल रहा।
- (v) **उत्तर प्रदेश** में मार्च 2002 में चार जिलों में 12000 स्वरोजगार के लाभ के लिए हरा केला पोधारोपन योजना स्वीकृत की गई। इन जिलों में रू. 5.75 करोड़ की समस्त राशि राज्य के रू. 143.75 लाख के अंश सहित अनप्रयुक्त पड़ी थी।

मानीटरिंग सभी स्तरों पर अप्रभावी व अपर्याप्त थी।

जबकि मंत्रालय को प्रत्येक मास कार्यक्रम का अनुवीक्षण करना था। राज्यों से प्रगति रिपोर्ट के अभाव में वह इन परियोजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन से अनभिज्ञ था।

9. मानीटरिंग

मंत्रालय योजना, वित्त प्रबन्धन, कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम की समस्त मानीटरिंग के लिये उत्तरदायी था। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्य सरकारों/डी.आर.डी.ए. की पाक्षिक भौतिक तथा वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना भी शामिल था।

राज्य स्तर की एक जी एस वाई समितियां राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार थी। इसके लिए उसे राज्य स्तर के निति निर्माताओं से सारवान वार्ता के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना था तथा उसे क्षेत्रीय स्तर तथा बैंको से कार्यावित करने के साथ-साथ जिला अनुसार प्रगति की समीक्षा तथा निवारक उपायों को सुझाना था। मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को निरपवाद रूप से बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना था। राज्य मुख्यालय में जो अधिकारी एस जी एस वाई का कार्य देख रहे थे, को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है, नियमित रूप से जिलों का भ्रमण करना चाहिए था। इसी प्रकार, जिलों तथा सब-डिविजनों तथा ब्लाक स्तर क अधिकारियों को कार्यक्रम के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से मानीटर करने तथा परिसंपत्तियों की भौतिक जांच तथा आय प्रजनन की जांच हेतु नियत समय पर भ्रमण करना चाहिए था।

मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के अभिलेखों की परख जांच से प्रकट हुआ कि वांछित मानीटरिंग प्रक्रिया व सामयिक समीक्षा के होते हुये भी यह पाया गया कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर अप्रभावी तथा अपर्याप्त था। मंत्रालय केवल राज्यों/डी आर डी ए द्वारा भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के आधार पर भेजी गई प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों को ही संकलित कर रहा था।

केन्द्र स्तर पर, योजना की पूर्ण रूप से सी एल सी सी की अर्द्धवार्षिक बैठक में समीक्षा की जानी थी। जैसाकि देखा गया है सी एल सी सी की बैठक छः महीने के स्थान पर तीन साल में दो बार हुई थी। मिजोरम में राज्य स्तर पर एस जी एस वाई समितियां गठित नहीं की गई थी। हिमाचल प्रदेश और केरल में राज्य स्तर एस जी एस वाई की एक भी बैठक नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी तथा राजस्थान में 1999-2002 के दौरान मासिक बैठकों की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया तथा समिति की बैठकों की संख्या 1 से 4 की श्रृंखला में थी। निर्धारित सारणी अनुसार किसी भी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में जिला तथा ब्लाक स्तर की बैठकें नहीं हुईं। यद्यपि यह बताया गया था कि सिक्किम में सभी स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित की गई थी इससे संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया।

स्वरोजगारों द्वारा चालू की गई परियोजनाओं की जांच डी आर डी ए/ब्लाक अधिकारियों तथा बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए थी कि स्वरोजगारी अपनी परिसम्पत्ति का समुचित प्रबन्ध कर रहे हैं तथा अपनी परिसम्पत्ति से प्रक्षिप्त लक्षित आय ऊपार्जित कर रहे हैं। प्रत्येक स्वरोजगारों को एक " विकास पत्रिका " दी जानी थी जिसमें परियोजना की स्थिति प्रजनित आय इत्यादि का विवरण दिया जाना चाहिए था। जिसकी एक प्रति ब्लाक मुख्यालय में रखी जानी चाहिए थी जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए था। दादरा तथा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा था। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा में विकास पत्रिका या तो तैयार नहीं की गई थी अथवा स्वरोजगारों को जारी नहीं की गई थी। आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात के कुछ ब्लाकों तालुका में, स्वरोजगारों को जारी विकास पत्रिका अपूर्ण थी। किसी भी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इकाइयों का निरीक्षण तथा परिसम्पत्तियों की जांच नहीं की गई थी।

10. निष्कर्ष

योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था तथा इसी प्रकार की पूर्व योजनाओं में महत्वपूर्ण सुधार नहीं था।

योजना अप्रैल 1999 में आरम्भ की गई थी, जिसका लक्ष्य पूर्व संघटित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूरक योजनाओं की कमियों को दूर करते हुए एक परिपूर्ण कार्यक्रम लागू करना था। योजना की कल्पना एक जटिल योजना के रूप में की गई थी जिसमें नेटवर्क तथा विभिन्न अभिकरणों तथा पदाधिकारियों में राज्य स्तर पर तालमेल था। ग्रामीण गरीबों में सारवान स्वरोजगार विकसित करने तथा व्यक्तिगत के स्थान पर ग्रुप प्रस्तावों को वरीयता देना था। लेखा परीक्षा द्वारा योजना के कार्यान्वयन की मध्यवर्ती समीक्षा की उपलब्धियाँ संक्षेप में निम्नानुसार है:-

- एस जी एस वाई पूर्व कार्यक्रमों की अपेक्षा श्रेष्ठ निष्पादन में असफल रही।
- कार्यान्वयन की चालू प्रगति पर, निर्धारित 5 वर्ष की समय सारणी में 30 प्रतिशत बी पी एल जनसंख्या को आवृत्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है।
- सापेक्ष महत्व वाली योजनाओं, मुख्य क्रियाकलापों की पहचान तथा परियोजना रिपोर्टों के परिवेश स्रोतों तथा आवश्यकताओं को क्षेत्रीय स्तर पर वांछित परिवेश में मूर्त रूप नहीं दिया गया था।
- स्वयं सहायता ग्रुपों का विकास, जटिल श्रेणीकरण प्रक्रिया, वांछित स्तर पर अभी विकसित की जानी थी।
- योजना के संचालक पहलू जैसे विपणन सहायता, अवसंरचनात्मक विकास तथा कुशल उन्नयन को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय के लिए यह आवश्यक होगा कि संचालन स्तर पर योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे तथा उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाना भी वांछनीय होगा कि क्या योजना की रूपरेखा में कुछ जटिलतायें वास्तव में फील्ड स्तर पर ग्रहण की जा सकती हैं। इस प्रकार की समीक्षा योजना के कार्यान्वयन में प्रोत्साहक होगी।

परिशिष्ट -I

(पैराग्राफ 3 में उल्लेखित)

परख जांच किये गए जिलों/डी आर डी ए का विवरण

क्रमांक	राज्य	जिलों/ डी आर डी ए की कुल संख्या	परख जांच किये गए जिलों की संख्या	परख जांच की प्रतिशतता	परख जांच किये गए जिलों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	6	27.27	अदिलाबाद, अनन्तपुर, चितौर, ईस्टगोदावरी, करीमनगर, प्राकाशम
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	4	30.77	एर्लांग, पसीघाट जीरू, तेजू
3.	आसाम	23	6	26.09	शिवसागर, उत्तरी लखीमपुर, घुबरी, करीमगंज, एन.सी.हिल्स, नलवाड़ी
4.	बिहार तथा झारखंड	37 + 22	9 + 6	25.42	भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, कटिहार, मुज़फ्फरपुर, नालंदा, नवाड़ा, पटना, वैशाली (बिहार), देघर, धनवाद, धुमका, गुमला, रांची, पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)
5.	दादर तथा नागर हवेली	1	1	100.00	दादर तथा नागर हवेली
6.	दमन एवं दीव	2	1	50.00	दमन
7.	गोवा	2	2	100.00	उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा
8.	गुजरात	25	8	32.00	अहमदाबाद, अमरेली, गान्धीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, सूस्त, सुरेन्द्रनगर
9.	हरियाणा	19	5	26.31	भिवानी, गुड़गांव, कैथल, पानीपत, सिरसा
10.	हिमाचल प्रदेश	12	3	25.00	कांगड़ा, सोलन, ऊना
11.	जम्मू एवं कश्मीर	14	4	28.57	जम्मू, कठना, उदमपुर, श्रीनगर
12.	कर्नाटका	27	7	25.92	बंगलौर (ग्रामीण) बेलगाम, बलैरी, दक्खिन कन्नड़, कोलार, रेचुर, टुम्मकुर
13.	केरल	14	5	35.71	कोलम, अलापुज्जा, कोटययम, ऐरनाकुलुम, कोही, कोजीथोड़े
14.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	45 + 16	11 + 4	24.59	भोपाल, चिन्डीवाड़ा, धार, ग्वालियर, खैरगांव, मन्डला, मंदौसर, मुरैना, सिहोर, शहदोल, टीमकगढ़ (म. प्र.) दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
15.	महाराष्ट्र	33	9	27.27	अमरावती, भान्द्रा, धुतोवालना, लातूर, नागपुर, ओस्मानाबाद, संगली, सिन्धुदुर्ग
16.	मणीपुर	9	3	33.33	पूर्वी इम्फाल, दक्षिण इम्फाल उखरूल
17.	मेघालय	7	3	42.85	पूर्वी खासी पहाड़िया, दक्षिणी गारो पहाड़िया, जनटिया पहाड़ी
18.	मिजोरम	8	3	37.50	अजवाल, लुंगली, सैहा
19.	नागालैण्ड	8	4	50.00	कोहिमा, वोख, मोकोकचुंग तुसंग
20.	उड़ीसा	30	8	26.67	बोलानगिर, बालासौर, डकानाल, गन्जम, जाजपुर, कलाहाड़ी, खुर्दा मयुरमजी

क्रमांक	राज्य	जिलों/ डी आर डी ए की कुल संख्या	परख जांच किये गए जिलों की संख्या	परख जांच की प्रतिशतता	परख जांच किये गए जिलों के नाम
21.	पांडेचेरी	1	1	100.00	पांडेचेरी
22.	पजांब	17	5	29.41	अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, कपूरथला, संगरूर
23.	राजस्थान	32	8	25.00	अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर
24.	सिक्किम	4	4	100.00	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, पश्चिम सिक्किम
25.	तमिलनाडू	28	6	21.42	कोयम्बतोर, कदडलौर, धर्मापुरी, कांचीपुरम, मदुरैई, तिरुवनामलाई
26.	त्रिपुरा	4	4	100.00	पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, धलाई
27.	उत्तर प्रदेश	70	12	17.14	इलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, गौन्डा, गोखपुर, हरदोई, जोनपुर, खुशीनगर, सीतापुर, सुलतानपुर, फतेहपुर
28.	पश्चिम बंगाल	18	5	27.77	कुच बिहार, पुरबा मिदानपुर, पश्चिम मिदानपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना
जोड़		563	157	27.89	

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 5.1 में उल्लेखित)

एस जी एस वाई के अन्तर्गत 1999-2002 की अवधि के लिए वित्तिय निरूपादन

(लाख में रूपये)

क्रमांक	राज्य	केन्द्रीय आवंटन	1.4.1999 को अथशेष	केन्द्रीय सहायता	राज्य सहायता	अन्य/विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	31.3.2002 को अव्ययित राशि
(क) सामान्य श्रेणी वाले राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	14590.89	2734.00	14571.86	4846.00	1629.00	23780.86	22683.00	1097.86
2.	बिहार तथा झारखंड	47798.06	16279.00	20250.07	9539.00	989.00	47057.07	39721.00	7336.07
3.	दादर तथा नगर हवेली	159.78	12.47	29.89	0.00	1.06	43.42	35.25	8.17
4.	दमन तथा दीव	159.78	19.41	29.89	0.00	13.29	62.59	3.91	58.68
5.	गोवा	159.78	72.13	109.78	39.03	45.81	266.75	167.54	99.21
6.	गुजरात	5492.26	1684.00	4442.72	1283.00	767.00	8176.72	7955.00	221.72
7.	हरियाणा	3231.21	317.83	3552.27	1428.96	584.18	5883.24	5850.20	33.04
8.	कर्नाटक	11018.18	4809.00	5608.22	1870.00	478.00	12765.22	13329.00	(-) 563.78
9.	केरल	4943.82	1537.63	4042.52	1347.49	750.32	7677.96	7994.85	(-) 316.89
10.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	24227.59	4181.78	19464.79	6220.61	4507.74	34374.92	35536.57	(-) 1161.65
11.	महाराष्ट्र	21780.24	4017.58	18896.92	6024.08	2577.91	31516.49	31873.33	(-) 356.84
12.	उड़ीसा	16688.96	2780.08	14320.79	4538.60	730.96	22370.43	23377.01	(-) 1006.58
13.	पंजाब	1570.33	353.00	1444.84	590.00	435.00	2822.84	2856.00	(-) 33.16
14.	राजस्थान	8366.49	4244.01	7920.22	2640.07	527.92	15332.22	14945.34	386.88
15.	तमिलनाडू	12901.53	1620.97	14338.82	4699.10	3974.67	24633.56	24260.32	373.24
16.	उत्तर प्रदेश	51095.35	16001.62	27391.40	8966.27	1957.18	54316.47	45598.86	8717.61
17.	प. बंगाल	18546.45	11167.21	4031.10	1388.03	1798.39	18384.73	10194.04	8190.69
जोड़		242730.70	71831.72	160446.10	55420.24	21767.43	309465.49	286381.22	23084.27
(ख) विशेष श्रेणी वाले राज्य									
1.	अरुणाचल प्रदेश	578.41	512.86	297.74	97.23	22.48	930.31	773.48	156.83
2.	आसाम	15029.40	4690.05	6390.84	492.21	80.64	11653.74	9570.34	2083.40
3.	हिमाचल प्रदेश	1360.89	726.00	1008.06	313.00	215.00	2262.06	2203.00	59.06
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1684.16	466.48	949.73	494.36	165.43	2076.00	1755.91	320.09
5.	मणीपुर	1007.55	164.74	157.06	17.80	152.35	491.95	359.69	132.26
6.	मेघालय	1128.84	305.63	238.79	87.03	0.00	631.45	303.90	327.55

2003 का प्रतिवेदन सं.3

क्रमांक	राज्य	केन्द्रीय आवंटन	1.4.1999 को अथशेष	केन्द्रीय सहायता	राज्य सहायता	अन्य/ विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	31.3.2002 को अव्ययित राशि
7.	मिजोरम	261.22	9.98	184.88	62.81	4.26	261.93	253.51	8.42
8.	नागालैंड	774.33	206.08	347.01	224.23	31.45	808.77	707.57	101.20
9.	पान्डेचेरी	159.78	96.74	83.82	0.00	26.23	206.79	150.56	56.23
10.	सिक्किम	289.21	36.49	287.59	122.80	38.11	484.99	478.55	6.44
11.	त्रिपुरा	1819.20	323.30	1970.64	844.97	203.84	3342.75	3195.30	147.45
जोड़		24092.99	7538.35	11916.16	2756.44	939.79	23150.74	19751.81	3398.93
कुल जोड़		266823.69	79370.07	172362.26	58176.68	22707.22	332616.23	306133.03	26483.20

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ 5.3 में उल्लेखित)

कार्यक्रम से अ-समंबद्धित अन्य योजनाओं में निधियों का विपथन/दुरुपयोग

क्रमांक	राज्य	वर्ष	राशि (लाख रु में)	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	1999-2002	1282.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1999-2000	136.87	डी आर डी ए प्रशासन
			16.75	रोजगार आश्वासन योजना
3.	आसाम	1999-2002	552.28	6 एस जी एस वाई की परख जांच से पता चला कि डी आर डी ए ने निधियों को तीन चरणों में प्रशासनिक व्यय हेतु विपथित किया, जिस की क्षतिपूर्ति नहीं हुई।
			112.73	6 एस जी एस वाई की परख जांच से पता चला कि डी आर डी ए निधियों को चार चरणों में अन्य योजनाओं में विपथित किया जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई।
4.	बिहार	1999-2002	375	रूपये 8.05 करोड़ के विपथन के विपरीत एस जी एस वाई को रूपये 4.30 करोड़ की क्षतिपूर्ति हुई।
		1999-2002	117.69	योजना के परिक्षेत्र से परे राशि का दुरुपयोगाकारों की खरीद, टेलीफोन, बिजली के बिलों के भुगतान, पी ओ एल एकाउन्ट, लंच तथा डिनर, वेतन, पेट्रोल तथा रिकार्ड के रखखाव इत्यादिपर व्यय की गई।
5.	छत्तीसगढ़	1999-2002	88.90	डी आर डी ए का प्रशासनिक व्यय
			4.00	अ-अनुमोदित मदों पर अनियमित व्यय
6.	दादरा तथा नगर हवेली	1999-2000	5.58	डी आर डी ए प्रशासन व्यय
7.	दमन तथा दीव	1999-2000	8.45	वेतन पर ओर आकस्मिकताओं पर व्यय को एस जी एस वाई के खाते में डाला
8.	गोवा	2001-2002	32.00	डी आर डी ए प्रशासन व्यय
9.	गुजरात	1999-2002	86.00	डी आर डी ए प्रशासन व्यय
			15.00	वाटर शैड - रु 14 लाख तथा जे जी एस वाई एस रु 1 लाख
10.	जम्मू और कश्मीर	1999-2002	27.50	वेतन/मजदुरी, फनीचर, टी वी, गिजर इत्यादि तथा पिछली देयतयों को चुकाने पर व्यय
11.	कर्नाटक	1999-2002	1178.00	अन्य उद्देश्य
		1999-2002	154.54	व्यय परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी तथा परामर्श सेवाओं, एम्बेसडर कार, कम्प्यूटर इत्यादिकी खरीद पर किया गया।
		1999-2002	107.75	प्रशिक्षण व्यय (रूपये 47.60 लाख) तथा महिला तथा बाल कल्याण विभाग को स्त्री शक्ति योजना (स्टेट सैक्टर स्कीम) आवर्ती निधि (रु 60.15 लाख) अनियमित राशि व्यय की
12.	मध्यप्रदेश	1999-2001	243.69	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, भ्रण तथा अग्रिमों के भुगतान, विदेश यात्राओं, वाहन की खरीद, आडिट-शुल्क इत्यादि तथा अन्य पुरानी योजनाओं पर व्यय
13.	महाराष्ट्र	1999-2002	214.01	प्रशासनिक व्यय

क्रमांक	राज्य	वर्ष	राशि (लाख रु में)	टिप्पणी
14.	मणीपुर	1999-2002	87.64	डी आर डी ए प्रशासन
15.	मिजोरम	1999-2002	69.60	एस जी एस वाई निधियों को अस्थायी रूप से एक से ग्यारह महीनों की अवधि के लिए अन्य कामों में लगा दिया गया था, जिनकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति हुई।
			9.97	एस जी एस वाई निधियों को कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्तेमाल करने के स्थान पर अन्य बन्द योजनाओं में अपसर्जित किया गया।
16.	उड़ीसा	1999-2001	391.43	8 परख-जांच किये गए जिलों में एस जी एस वाई निधियों को बी पी एल कार्ड्स के मुद्रण की लागत तथा बी पी एल परिवारों को तैयार करवाने इत्यादि में इस्तेमाल किया गया।
		1999-2000	9.46	4 परख जांच किये गए जिलों में एस जी एस वाई निधि को डी आर डी ए कम्प्यूटर एकाउन्ट में इस्तेमाल किया गया था।
		1999-2001	6.42	बी जी पी बरपिड़ा के एस बी खाता संख्या 4998 के अनुसार बैंक ने मार्च 2002 से मई 2002 के दौरान रु. 203.20 लाख की राशि सहायता वितरित की तथा उक्त खाते में डाली जिससे खाते की बकाया राशि में रु 116.44 लाख की बढ़ोतरी हो गई। चूंकि अधिक निधि के ओवर ड्राफ्ट की राशि का भुगतान बैंक को 31.8.2000 तक नहीं किया गया था, बैंक ने 18.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि वसूल की जो रु.6.42 लाख बनीं।
17.	पांडेचेरी	1999-2002	18.05	आलग्रेट तथा यानम ब्लाकों में रहने वाले शहरी गरीबों हेतु संस्वीकृत सहायता अनुदान का इस्तेमाल
18.	तमिलनाडू	1999-2002	188.47	(i) रु.594.94 लाख के अस्थायी विपथन के प्रतिकूल रु.140.95 लाख की अभी प्राप्ति की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप रु. 13.12 लाख के ब्याज की हानि हुई।
				(ii) रु. 47.52 लाख का अप्राधिकृत व्यय किया गया।
19.	पश्चिम बंगाल	1999-2002	299.52	अनुपयुक्त मदें, जैसे प्रशासनिक व्यय, जमा प्रतिभूत की वापिसी, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, अध्ययन भ्रमण, भोजन इत्यादि पर उपयोग किया गया।
जोड़			5839.30	

परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ 6 में उल्लेखित)

राज्य ए एस जी द्वारा लाभभोगियों से लिए गए साक्षात्कार के आधार पर एस जी एस वाई कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन

राज्य	ग्राम पंचायतों की संख्या	खण्डों की संख्या	साक्षात्/ चयित लाभभोगियों की संख्या	लाभभोगियों की संख्या जिनकी आय		लाभभोगी सहायता से		प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया	उपलब्ध विपणन सहायता	लाभभोगियों द्वारा दौरा		
				2000 से कम	2000 से अधिक	सन्तुष्ट	असन्तुष्ट			ग्राम पंचायत	ब्लॉक	बैंक
आन्ध्र प्रदेश		89	647 (553 व्यक्तिगत तथा 94 एस एच जी)	617 (528+89)	30 (25+5)			हं 647 (553 + 94)	94 एस एच जी और 553 व्यक्तिगत में उपलब्ध नहीं करवाई			
आसाम			150	61				अधिकांश में उपलब्ध नहीं करवाई	अधिकांश में उपलब्ध नहीं करवाई	जी पी/ ब्लॉक की तुलना में बैंकों में अधिक मुलाकाते की		
दमन एवं दीव			22	21	1	10	12	शून्य	शून्य	1-7	1-3	1-9
हिमाचल प्रदेश	38	19	190	187	3	159	31	शून्य	शून्य	1-16 बार	1-12 बार	1-100 बार
जम्मू तथा कश्मीर		08	60	उपलब्ध नहीं		52	8	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	1-6	2-14
कर्नाटक	30		149	136	13	89	79	केवल 80 को				
केरल	36	18	171 (134 व्यक्तिगत, 37 एस एच जी)	98 (70 + 28)	73 (64+9)			शून्य	शून्य			
मध्य प्रदेश	50	25	250	215	35						1-2	2-5
महाराष्ट्र			174 (151 व्यक्तिगत एवं 23 एस एच जी)					109 (89 + 20)	48 (37 + 11)			
मणीपुर			10	9	01					1-8	3-7	0-8
उड़ीसा			140	140		135	5					
पांडेचेरी			30	30								
पजांब				सभी निम्न		समग्र				2-3	2-3	5-7
राजस्थान	42	21	521	488	33							
तमिलनाडु	-	-	127 एस एच जी	126 एस एच जी	01 एस एच जी							
उत्तर प्रदेश	140		682	660	22							
पश्चिम बंगाल	56		280	280						3-12	4-12	3-5

राज्य	ग्राम पंचायतों की संख्या	खण्डों की संख्या	साक्षात्/चयित लाभभोगियों की संख्या	लाभभोगियों की संख्या जिनकी आय		लाभभोगी सहायता से		प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया	उपलब्ध विपणन सहायता	लाभभोगियों द्वारा दौरा		
				2000 से कम	2000 से अधिक	सन्तुष्ट	असन्तुष्ट			ग्राम पंचायत	ब्लाक	बैंक
जोड़			3,603 (3322 व्यक्तिगत और 281 एस एच जी)	3,068 (2825 व्यक्तिगत और 243 एस एच जी)	212 (197 व्यक्तिगत और 15 एस एच जी)	445	135	836	48	1-16	1-12	1-100

परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ 7.5 में उल्लेखित)

1999-2002 के दौरान व्यक्तिगत स्वरोजगार तथा एस एच जी को सहायता प्रदान की

क्रमांक.	राज्य	स्वरोजगारियों की कुल संख्या	व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की संख्या (प्रतिशतता)	एस एच जी के अन्तर्गत आवृत स्वरोजगारों की संख्या (प्रतिशतता)
1.	आसाम	7,297	5,616 (77)	1,681 (23)
2.	गुजरात	26,246	19,426 (74)	6,820 (26)
3.	हरियाणा	18,891	17,748 (94)	1,143 (6)
4.	हिमाचल प्रदेश	6,644	3,917 (59)	2,727 (41)
5.	केरल	50,342	30,747 (61)	19,595 (39)
6.	महाराष्ट्र	56,372	43,618 (77)	12,754 (23)
7.	पांडेचेरी	1,007	555 (55)	452 (45)
8.	राजस्थान	1,14,677	1,12,685 (98)	1,992 (2)
9.	सिक्किम	6,118	4,417 (72)	1,701 (28)
जोड़		2,87,594	2,38,729 (83)	48,865 (17)

परिशिष्ट -VI

(पैराग्राफ 7.5 में उल्लेखित)

एस एच जी का मूल्यांकन

क्रमांक	राज्य	एस एच जी द्वारा रचित (ग्रुप निर्माण अवस्था)	निकासी अवस्था-I	निकासी अवस्था-II	आय सृजन की तीसरी अवस्था पार की (प्रतिशत)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,27,948	2,68,598	1,58,794	2,46,098 (57.51)
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	0(0)
3.	आसाम	3,748	1,976	1,066	706 (18.84)
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	छत्तीसगढ़	10,229	2,921	448	297 (2.90)
6.	दादर एवं नागर हवेली	35	0	0	0(0)
7.	दमन तथा दीव	0	0	0	0(0)
8.	गोवा	65	0	0	0(0)
9.	गुजरात	16,369	1,538	190	176 (1.08)
10.	हरियाणा	4,044	1,707	660	583 (14.42)
11.	हिमाचल प्रदेश	605	281	263	263 (43.47)
12.	जम्मू तथा कश्मीर	95	0	0	5(5.26)
13.	कर्नाटक	18,995	6,328	4,752	4,625 (24.35)
14.	केरल	19,595	7,314	1,776	695 (3.55)
15.	मध्य प्रदेश	1,21,643	17,622	4,802	3,476 (2.86)
16.	महाराष्ट्र	1,214	0	0	1,214 (100)
17.	मणीपुर	31	0	0	0(0)
18.	मेघालय	339	51	56	56 (16.52)
19.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	नागालैण्ड	208	0	0	0(0)
21.	उड़ीसा	27,461	7,993	2,818	1,485 (5.41)
22.	पांडेचेरी	542	278	0	0(0)
23.	पंजाब	1,445	359	729	357 (24.71)
24.	राजस्थान	17,901	3,909	332	207 (1.16)
25.	सिक्किम	235 (5 डी डब्ल्यू सी आर ए कार्यक्रम से)	87	132	16 (6.81)
26.	तमिलनाडू	1,182	857	269	उपलब्ध नहीं
27.	त्रिपुरा	429	0	0	0(0)
28.	उत्तर प्रदेश	1,18,457	32,960	5,744	3,087 (2.61)
29.	पश्चिम बंगाल	24,888	6,499	153	4 (0.02)
	जोड़	8,17,717	3,61,278	1,82,984	2,63,350 (32.21)

परिशिष्ट -VII
(पैराग्राफ 7.6.2 में उल्लेखित)

ऋण / आर्थिक सहायता में वित्तीय अभाव

क्रमांक	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़	1999-02 के दौरान 9 ब्लकों की परख जांच किये गये जिलों में 205 स्वरोजगार योजनाओं में अनुमोदित परियोजना लागत रु 82.22 लाख के विपरीत रु.43.60 लाख की आर्थिक सहायता वितरित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप रु.38.62 लाख का अधो-वित्तप्रबन्ध हुआ।
2.	कर्नाटक	19 परख जांच की गई एस.एच.जी. में यद्यपि (3/2000 से 3/2002) के दौरान रु 23.50 लाख की आर्थिक सहायता जारी की गई थी परन्तु बैंक द्वारा क्रय की राशि निर्मुक्त नहीं की गई थी। तालुका पंचायत बैंक के साथ मामला उठाने पर सहमत थी।
3.	मध्य प्रदेश	1) दो जिलों में रु.333.14 लाख की राशि के स्थान पर, (दुधारू पशुओं हेतु अनुमोदित परियोजना लागत), बैंक ने रु.245.77 लाख स्वीकृत किये, जिसके परिणाम स्वरूप रु.87.37 लाख का अधो-वित्तप्रबन्ध हुआ।
		2) सात जिलों में 2,993 स्वरोजगारों तथा 12 एस.एच.जी. (1999-02) के लिए श्रण और आर्थिक सहायता के लिए रु. 1,514.45 लाख संस्वीकृत किये गये थे, केवल रु.945 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया गया जबकि रु.569.45 लाख की शेष बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
		3) यह बताया गया था कि 1999-02 के दौरान, तीन जिलों (साहादोल, छिन्दावाड़ा तथा ग्वालियर) में बैंक ने 176 स्वरोजगारों हेतु रु.27.55 लाख की आर्थिक सहायता राशि को समायोजित करते हुए रु.79.65 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया था। जिला / जनपद पंचायत के रिकार्ड की वास्तविक जांच (अप्रैल 2002, से पता चला कि ऋण और आर्थिक सहायता की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
		4) जिला पंचायत मंडल में, बैंक ने अपनी विवरणी में 68 स्वरोजगारों की प्रत्येक इकाई हेतु 3 दुधारू पशु खरीदने के लिए रु.32.20 लाख का भुगतान दिखाया था। जबकि बैंक ने वास्तव में प्रत्येक इकाई हेतु दो पशुओं के लिए श्रण का भुगतान किया था तथा फर्जी सूचना के आधार पर विभाग से रु.5.90 लाख की आर्थिक सहायता के भुगतान का दावा किया।
4.	मणीपुर	15 बी.पी.एल. सदस्यों से गठित एक एस.एच.जी. की परियोजना लागत रु.2.55 लाख के विपरीत केवल श्रण का एक भाग रु 1 लाख ही उपलब्ध करवाया गया था।

क्रमांक	राज्य का नाम	टिप्पणी
5.	पांडेचेरी	1) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार डेयरी फार्मीग के स्वरोजगारियों को रु.12000 प्रति की लागत से 3 पशुओं के लिए प्रथम पशु से चार महीने के अन्तराल पर उपलब्ध करवाई जाती थी। 5 एस.एच.जी. / 46 लाभभोग्यों के मामले में 5 से 10 महीने गुजरने के पश्चात भी (3/2002) दूसरे पशु के लिए ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसी प्रकार 3 एस एच जी / 34 लाभभोग्यों को तीसरी किश्त जारी नहीं की गई थी यद्यपि पिछली किश्त जनवरी 2001 में जारी की गई थी।
		2) 20 एस.एच.जी. (253 सदस्यों) हेतु रु.18.10 लाख की आर्थिक सहायता अनुमोदित परियोजना लागत रु.36000 के स्थान पर रु.24,000 प्रति योजना उपलब्ध करवाई गई थी।
6.	पश्चिम बंगाल	परख जांच किये गए जिलों में ग्रुप वित्त प्रबन्ध की स्थिति थी कि 1999-01 के दौरान न तो कोई ऋण / आर्थिक सहायता संस्वीकृत हुई न ही जारी हुई जबकि 2001-02 के दौरान ग्रुप वित्त प्रबन्धन से संबन्धित ऋण और आर्थिक सहायता के रु.4.34 लाख एवं रु 4.19 लाख के स्थान पर रु.4.00 लाख एवं रु.3.75 लाख का भुगतान किया गया था।

परिशिष्ट -VIII

(पैराग्राफ 7.6.2 में उल्लेखित)

ऋण / आर्थिक सहायता का अधो-वित्त प्रबन्धन / आंशिक वित्त प्रबन्धन

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	अन्तर्गत राशि	अवधि	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़	38.62	1999-02	205 स्वरोजगारी के सन्दर्भ में कुल परियोजना लागत रु.82.22 लाख के स्थान पर रु.38.62 लाख का अधोवित्त प्रबन्ध था। 4 जिलों के 9 ब्लाकों में केवल रु. 43.60 लाख निर्मुक्त किये गये थे।
2.	कर्नाटक	638.60	1999-02	परियोजनाओं की कुल लागत रु. 934.47 लाख के स्थान पर, 11 टी.पी. हेतु आर्थिक सहायता सहित रु. 295.85 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी।
3.	मध्य प्रदेश	297.82	1999-02	चार जिलों में (मुरैना, शितेर, भोपाल तथा खड़गांव) 2,943 स्वरोजगारियों हेतु रु.1,027.30 लाख के ऋण के स्थान पर केवल रु.297.82 लाख की आर्थिक सहायता बैंक द्वारा ऋण के भुगतान की तिथि अथवा तदन्तर कुछ महीनों पश्चात समायोजित की गई। इस प्रकार घटी हुई परियोजना लागत ने परियोजना के उद्देश्य को विफल कर दिया था।
		1.12	1999-02	योजना के अन्तर्गत 38 स्वरोजगारियों को ग्राह्य आर्थिक सहायता से कम का भुगतान किया गया।
		29.75	1999-01	183 स्वरोजगारों हेतु संस्वीकृत रु.84 लाख के कुल ऋण के स्थान पर रु.54.25 लाख का भुगतान किया गया था।
		5.47	1999-01	उपरोक्त मामले में रु.9.94 लाख की ग्राह्य आर्थिक सहायता तथा भुगतान ऋण रु.54.25 लाख का था तथा रु. 5.47 लाख की बकाया सहायता राशि बैंक के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।
4.	मणीपुर	15.38	2000-01	बैंक से कोई उधार राशि लिये बिना 441 स्वरोजगारियों हेतु रु.15.38 लाख की आर्थिक सहायता वितरित की गई थी।
5.	मिजोरम	2.80	2000-02	एक ब्लाक में, डी आर डी ए द्वारा रु. 2.80 लाख की राशि बैंक द्वारा वितरित न करते हुए अथवा बिना किसी बैंक की सहायता के सीधे स्वरोजगारों को निर्मुक्त कर दी थी।
6.	नागालैण्ड	251.68	1999-02	ग्रामीण विकास विभाग ने 7,037 लाभिभोगियों को रु.332.80 लाख की आर्थिक सहायता जारी की जबकि एस.वी.आई (आर.ओ.) दीमापुर ने दिसम्बर

क्रमांक	राज्य का नाम	अन्तर्गत राशि	अवधि	टिप्पणी
				2001 तक बिना किसी बकाया भुगतान को दिखाते हुए 3119 लाभिभोग्यों से संबंधित रु. 81.12 लाख की राशि निर्मुक्त की। बैंक भुगतान की जिला / बैंक अनुसार स्थिति प्रस्तुत नहीं कर सका।
		45.92	1999-02	बैंक से एकत्र अध्ययन सामग्री से ज्ञात हुआ कि रु. 45.92 लाख की आर्थिक सहायता अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि बैंक केवल आर्थिक सहायता का भाग ही जारी कर रहे थे तथा कुछ मामलों में ऋण दिये जा रहे थे तथा आर्थिक सहायता को प्रतिभूत के रूप में रखा जा रहा था।
7.	उड़ीसा	15.43	10/2000-6/2001	संस्वीकृत ऋण रु. 51.45 लाख के स्थान पर 231 स्वरोजगारों हेतु रु. 36.02 लाख वितरित किये गये थे।
		46.32	1999-02	8 ब्लाकों में 438 स्वरोजगारों से संबंधित रु 46.32 लाख की ऋण राशि को एफ.डी.आर. / एस.टी.डी.आर. खातों तथा स्वरोजगारों के अथवा उनके रिश्तेदारों के बैंक बचत खातों में जमा करवा दिया था ताकि बाद में धोखे से इसे ऋण के रूप में समायोजित किया जा सके। 64 मामलों में स्वरोजगारियों को अपने बचत बैंक खाते/ऋण खाते से राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी गई।
8.	तमिलनाडू	173.82	1999-02	195 एस.एच.जी. के लिए, बैंक ने केवल परियोजना लागत रु. 345.09 लाख (आर्थिक सहायता रु. 157.22 लाख, ऋण रु. 187.87 लाख) के स्थान पर केवल रु 171.27 लाख (आर्थिक सहायता रु. 136.16 लाख व ऋण रु 35.11 लाख) निर्मुक्त किये।
9.	त्रिपुरा	1026.00	1999-02	नवम्बर 2001 में धलाई जिले के सभी वी.डी.ओ. ने सूचित किया कि बैंकों ने कभी भी ऋण और आर्थिक सहायता राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 5134 स्वरोजगारों हेतु रु. 10.26 करोड़ (रु. 5.99 करोड़ ऋण तथा रु. 4.27 करोड़ आर्थिक सहायता) की उपयोगिता संदिग्ध थी।
10.	पश्चिम बंगाल	5.52	2001-02	दो ब्लाकों में रु. 8.86 लाख के ऋण के विपरीत केवल रु. 3.34 लाख वितरित किये गये थे तथा शेष रु. 5.52 लाख को जमा / बचत बैंक के रूप में रखा गया था।
	जोड़	2594.25		

परिशिष्ट -IX
(पैराग्राफ 7.6.2 में उल्लेखित)

ऋण / आर्थिक सहायता का दुरुपयोग

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	राशि	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़	12.87	10 ब्लकों में सामान्य वर्ग के 155 स्वरोजगारों को 30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित किये बिना रु. 12.87 लाख की सहायता राशि का भुगतान किया गया था।
2.	दमन एवं दीव	0.20	लेखा परीक्षा द्वारा 22 मामलों में की गई प्रत्यक्ष जांच से प्रकट हुआ कि दो मामलों में दुधारु पशु खरीदने के लिए प्रत्येक को रु. 25000 की सहायता दी गई थी। तथापि दुधारु पशु नहीं खरीदे गये थे तथा रु. 15000 का ऋण तीन महीनों के पश्चात लोटा दिया गया था तथा प्रत्येक को रु. 10000 की आर्थिक सहायता दी गई थी।
3.	गुजरात	200.00	एस सी / एस टी के अतिरिक्त स्वरोजगार मामलों में रु. 15.78 करोड़ की ग्राह्य आर्थिक सहायता के विपरीत राज्य में आर्थिक सहायता पर रु. 17.78 करोड़ की राशि का वास्तविक व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप रु. 2 करोड़ की अधिक आर्थिक सहायता का भुगतान हुआ। परख जांच किये गये जिलों में अधिक भुगतान की मात्रा रु. 0.03 करोड़ (डी आर डी ए गान्धीनगर) से रु. 0.18 करोड़ (डी आर डी ए हिम्मतनगर) के मध्य थी।
4.	हिमाचल प्रदेश	41.86	i) रु 41.86 लाख की सहायता 123 गैर बी पी एल परिवारों को दी गई थी जिनके नाम बी पी एल परिवारों की अनुमोदित सूची में नहीं थे।
		15.10	ii) गैर एस सी /एस टी से सम्बन्धित 215 स्वरोजगारों को ग्राह्यता से अधिक रु. 15.10 लाख की आर्थिक सहायता निर्मुक्त की गई थी।
		1.25	iii) गैर बी पी एल परिवार को (5 सदस्यों का ग्रुप) रु. 3.10 लाख के मूल्य की एक प्राइवेट कार खरीदने के लिए रु. 1.25 लाख की आर्थिक सहायता (जनवरी 2000) निर्मुक्त की गई थी। ऋण की समस्त राशि ब्याज सहित लाभभोगी द्वारा अगस्त 2000 में जमा करवा दी गई तथा इसी दिन उन्हें रु. 1.25 लाख की आर्थिक सहायता निर्मुक्त की गई। स्वरोजगारी इस लाभ के पात्र नहीं थे चूंकि ऋण का भुगतान 3 वर्ष की न्यूनतम निर्धारित सीमा से पहले किया गया था।
5.	कर्नाटक	18.03	236 लाभभोगियों को रु. 18.03 लाख की आर्थिक सहायता निर्मुक्त की गई थी जिनके नाम ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बी पी एल की सूची में नहीं थे।

क्रमांक	राज्य का नाम	राशि	टिप्पणी
		9.30	10 तलुका पंचायतों में 185 निजी स्वरोजगारों तथा 18 एस एच जी को अधिक आर्थिक सहायता निर्मुक्त की गई।
		8.04	बीमा प्रीमियम का अधिक भुगतान।
6.	मध्य प्रदेश	10.47	आठ जिलों में सामान्य श्रेणी के 253 स्वरोजगारों को 30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित किये बिना रु. 10.47 लाख की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया।
		14.73	आर्थिक सहायता केवल एक या दो घटकों को निर्मुक्त की गई थी, जिससे एक पूर्ण परियोजना की संरचना नहीं हुई।
		1.80	10 मामलों में बैंकों को रु. 1.80 लाख के एकल ऋण का दो बार भुगतान किया गया।
		201.88	सी इ ओ, जिला पंचायत साडौल ने एस जी एस वाई के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए 64 लघु सिंचाई कार्यों को एक ठेकेदार से निष्पादित करवाया।
		4.70	सी इ ओ, जिला पंचायत मांडला तथा जिन्दवाड़ा ने बैंकों को स्वरोजगारों द्वारा बिना किसी उपयोगी ऋण के भुगतान जोखिम-निधि हेतु रु. 1.46 लाख (1999-2000) तथा रु. 3.24 लाख (2000-01) का भुगतान किया।
7.	महाराष्ट्र	17.00	i) 9 में से 6 परख जांच किये गये जिलों में रु. 17 लाख (1276 मामले) की आर्थिक सहायता का भुगतान विहित सीमा से अधिक हुआ। परियोजना निदेशकों ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा वसूली हेतु सहमत हुए।
		0.32	ii) एक ब्लाक में परिवेधित कुंए की परियोजना लागत रु. 0.82 लाख अनुमानित की गई थी। तथापि परियोजना की लागत रु. 1.99 लाख मानते हुए रु. 0.57 लाख की आर्थिक सहायता अनुमोदित की गई। इसके परिणाम स्वरूप रु. 0.32 लाख का अधिक भुगतान हुआ।
	जोड़	557.55	

परिशिष्ट -X

(पैराग्राफ 7.6.2 में उल्लेखित)

अनियमित ऋण / आर्थिक सहायता निर्मुक्त के मामले

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	राशि	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	77.78	एक जिले में मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए 69 ग्रुपों को जिनमें एक से अधिक परिवार थे, रु. 52.51 लाख की अनुदान राशि निर्मुक्त की गई तथा 40 ग्रुपों को जिनके एक ग्रुप में 10 से कम सदस्य थे रु. 25.27 लाख की आर्थिक सहायता निर्मुक्त की गई थी।
2.	बिहार	331.32	44 एस एच जी तथा 464 व्यक्तिगत स्वरोजगारों को जो बी पी एल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बी पी एल परिवारों के रूप में पहचाने नहीं गए थे, रु. 331.32 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।
		110.05	121 एस एच जी को अनुदान सहायता पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना उपलब्ध करवाई गई (रु. 59.53 लाख ऋण तथा रु. 50.52 लाख आर्थिक सहायता)।
3.	मध्य प्रदेश	27.88	26 एस एच जी को जिनके 10 से कम सदस्य थे रु. 27.88 लाख (1999-01) की आर्थिक सहायता दी गई (लघु सिंचाई तथा विकलांग व्यक्तियों के अतिरिक्त)।
4.	महाराष्ट्र	5.75	8 एस एच जी को सिंचाई क्रिया-कलाप मानते हुए 'समुदायिक खेती हेतु अधिक आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया। इन एस एच जी को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत सहायता का भुगतान रु. 1.25 लाख तक सीमित किये बिना निर्मुक्त किया गया था।
5.	तमिलनाडू	124.33	370 एस एच जी को रु. 124.33 लाख की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया यद्यपि इनके द्वारा किये गए कार्यों को ग्रुप-क्रियाकला नहीं कहा जा सकता।
		11.25	दो जिलों में (कंचीपुरम तथा धामपुरी) 16 एस एच जी को (8 + 8 एस एच जी) रु. 11.25 लाख की आर्थिक सहायता दी गई जो 7 एस एच जी में परिवर्तित (2 + 5 एस एच जी) हो सकती थी। प्रत्येक ग्रुप के अन्तर्गत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु 10 अथवा कम सदस्य बनाये थे। इन्हे ग्रुप सिंचाई परियोजनाओं / सामुहिक रूप में कार्यरत नहीं माना जा सकता।
	जोड़	688.36	

परिशिष्ट -XI

(पैराग्राफ 7.7.1 में उल्लेखित)

संरचनात्मक विकास निधि से हुये अनियमित व्यय को प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	अवधि/ वर्ष	राशि	टिप्पणी
1	आन्ध्र प्रदेश	1999-02	9.43	डी आर डी ए चितुर ने एयर कन्डीशनर जीप, टाटा सूमो, साइकिल इत्यादि खरीद पर राशि व्यय की।
2	अरुणाचल प्रदेश	1999-02	43.41	4 डी आर डी ए द्वारा वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाये बिना अवसंरचनात्मक ढांचों के निर्माण, जैसे मार्किट रोड, पारगम्य गोदामों इत्यादि के निर्माण पर राशि व्यय की। इनके निर्माण / समाप्ति की तारीख तथा वर्तमान स्थिति रिकार्ड में नहीं थी।
3	आसाम	1999-01	15.64	डी आर डी ए करीमगंज ने स्वरोजगारों को किराये पर देने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 5 ट्रैक्टर खरीदे। ट्रैक्टरों का इस्तेमाल ड्राइवरो के आभाव में (4/ 2002) नहीं किया जा सका।
		1999-02	518.53	5 डी आर डी ए ने रु. 492.09 लाख की लागत से विभिन्न कृषि उपकरण, मत्स्यपालन, बुनाई सैट, सिलाई मशीने आदि खरीदी। इसमें से रु. 370.98 लाख मूल्य की वस्तुयें एम. एल. ए/जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा अथवा प्राप्त व्यक्तिगत आवेदनों के आधार पर निशुल्क बांट दी। रु. 121.11 लाख की शेष सामग्री अप्रैल 2002 तक स्टॉक में थी। रु. 15.96 लाख की राशि समितियों के अवसंरचनात्मक/परिसम्पतियों के सृजन पर बिना ऋण/आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये व्यय की गई। समितियों के सदस्य न तो बी पी एल से थे न ही ये अवसंरचनात्मक स्वरोजगारों के लाभ हेतु थे। इसी प्रकार रु. 10.48 लाख की राशि सुअर शेडों/बुनाई शेडों के निर्माण पर गैर-स्वरोजगारों हेतु व्यय की गई थी।

4.	बिहार	1999-02	472.64	रु 115.00 लाख के अग्रिम बिना प्रशासनिक अनुमति/तकनीकी संस्वीकृति के परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध न होते हुये भी सी ओ एम पी एफ डी को मुहैया करवाये गये। रु 79.64 लाख की राशि गैर बी पी एल परिवार से संबंधित सदस्यों की सोसाइटी को अग्रिम दी गई। रु. 278.00 लाख की राशि भवन पर व्यय की गई जो स्वरोजगारों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही थी।
5.	छत्तीसगढ़	2000-02	171.08	निधियों का इस्तेमाल योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के विपरीत फल वृक्षों की पौध ट्यूब वैलों की खुदाई, पक्के-प्लेटफार्मों के निर्माण, वनस्पतियों की लघु किटों के वितरण (रु. 32.32 लाख) इत्यादि पर, पशुओं के इलाज तथा बैलों के बधिकरण (रु 5.00 लाख) को मछली तालाबों के निर्माण, पशु औषधालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों (रु 126.87 लाख) तथा फल-वृक्षों के पौधारोपण हेतु (रु 6.89 लाख) उपयोग किया गया।
6.	गुजरात	2000-01	145.00	नये अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु परियोजना लागत रु 238 लाख के विपरीत एक एन जी ओ को मार्च 2000 में, आवर्ती वस्तुओं की लागत, प्रशासनिक / प्रबन्धन व्यय, मोबाइल वैनों तथा प्रलेखनों इत्यादि सहित रु 145 लाख का भुगतान किया गया।
		1999-02	605.00	केन्द्रीय प्रायोजित / राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध रु 9060 लाख की राशि 8 डी आर डी ए द्वारा आवसंरचनात्मक निर्माण जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण, मौजूदा स्थिति की समीक्षा किये बिना दवाइयों की खरीद तथा अव-संरचनात्मक निर्माण उनके सम्भावित प्रयोग की आवश्यकताओं की छान बीन किये बगैर किया गया।
		1999-02	1998.00	राज्य सरकार के पास विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य प्लान योजनाओं से 1999-02 के दौरान रु 71.18 करोड़ से लेकर रु 237.37 करोड़ तक

				अव्ययित राशि शेष थी, इसके बावजूद भी रु 1,998 लाख एस जी एस वाई निधियों से योजना के अन्तर्गत बनाये गये प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यय किये गये थे।
7.	हरियाणा	1999-02	131.72	चार डी आर डी ए (पानीपत भिवानी, सिरसा तथा कैथल) में निधियों को फर्नीचर, वाहन, भवन निर्माण वेतन व्यय तथा स्टाफ क्वार्टरों इत्यादि पर खर्च किया गया था।
		1999-01	19.69	डी आर डी ए कैथल और गुड़गांव में अवसंरचनात्मक निधियों को कम्प्यूटरों की खरीद पर व्यय किया गया था।
8.	हिमाचल प्रदेश	1999-02	37.74	व्यय कांगड़ा में पशु पालन विभाग के लिए 14 पशु-चिकित्सा केन्द्र तथा 50 क्राईओकन की खरीद तथा उना में जिला प शिक्षण केन्द्र (भवन) के निर्माण हेतु किया गया था।
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1999-01	22.10	निधियों का उपयोग 5 पशु भवनों के निर्माण, 2 भेड़ विस्तार केन्द्रों, बीज भण्डार सहित 7 रेफ्रीजरेटरों, माइक्रोस्कोप तथा कुछ प्रयोगशाला उपकरणों हेतु किया गया जिनका लाभभोगी क्रिया कलापों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था।
10.	कर्नाटक	1999-02	106.00	6 जिलों में निधियों को 106 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (एम पी सी एस) तथा 3 अन्य समितियों को यह सुनिश्चित किये बिना कि 50 प्रतिशत सदस्य एस जी एस वाई स्वरोजगार होने चाहिए निमुक्त किये गये।
		1999-02	142.50	व्यय बलथानगढ़ी तथा पुतुर तथा जैड पी तुमकुर की टी पी में 39 प्राथमिक पशु चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण पर किया गया था।
		2000-01	1575.38	मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त ने छह संस्थानों को एस जी एस वाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवसंरचनात्मक के सृजन हेतु रु 1957.75 लाख संस्वीकृत किये तथा 2000-01 के दौरान रु. 1575.38 लाख की राशि निर्मुक्त की गई। जुलाई 2001 में एक संस्थान के अतिरिक्त कार्य प्रारम्भिक अवस्था

				में था। यह निर्णय लिया गया कि 5 संस्थानों से ब्याज सहित अव्ययित शेष रु 1100.79 की राशि वापिस ले ली जाए। अक्टूबर 2001 के दौरान, 3 संस्थानों द्वारा केवल रु 197.67 लाख वापिस किये गए तथा इसे राज्य स्तर पर बैंक बचत खाते में रखा गया और एस जी एस वाई को हस्तांतरित नहीं किया गया था। छह संस्थानों में से किसी में भी स्वरोजगारों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
		1999-02	211.00	जैड पी वेलगाम में बनाये गये 110 शापिंग कम्प्लेक्स को नीलामी के आधार पर स्वरोजगारों के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से किराये पर दिया गया।
11.	केरल	1999-02	37.67	सृजित संरचनात्मक निर्माण किया जो एस जी एस वाई के अन्तर्गत आवृत नहीं था।
12.	मध्य प्रदेश		601.90	11 जिलों में प्रशासनिक संरचना हेतु निधियों को अवसंरचनात्मक निधियों से (रु 226.15 लाख) सामान्य प कृति की परिसम्पतियों के सृजन (रु 218.07 लाख) पशुओं हेतु उपकरण और औषधियों की खरीद (रु 103.47 लाख), अभिग्रहित नर्सरीओं के रखरखाव (रु 54.21 लाख) पर व्यय किये गये जो न तो बी पी एल के लाभ हेतु थी न ही परियोजना रिपोर्टों में अभिनिर्धारित थी।
13.	मणीपुर	2000-01	9.24	निधियों को रेस्ट हाउस, सामुदायिक हाल के निर्माण तथा क्वार्टरों, कार्यालय की मरम्मत इत्यादि पर व्यय किया गया था।
14.	मिजोरम	2000-01	13.53	डी आर डी ए, अजबल ने विद्यमान भवन के होते हुए भी, दो माकिट शेडों के निर्माण पर राशि व्यय की। लघु-व्यापार के क्रिया कलापों हेतु केवल एक स्वरोजगार ग्रुप था। रु 4.53 लाख पावर टिलर तथा शुगर केन क्रैशर पर मुख्य क्रियाकलापों की उपयोगिता का अनुमान लगाये बगैर व्यय किया गए।
		1999-00	0.94	निधियों को मिजोरम किसान युनियन के कार्यालय के निर्माण हेतु व्यय किया गया। व्यय योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं था।

15.	नागालैण्ड	1999-02	72.48	व्यय मुख्य रूप से माकिटिंग शैडों, पहुंचमागों विश्राम शैडों तथा वाटर टैंकों के निर्माण पर किया गया। माकिटिंग शैड के निर्माण का कार्य कृषि विभाग द्वारा पहले ही ले लिया गया था। विद्यमान शैडों को उत्पादों की बिक्री हेतु इस्तेमाल किया जा सकता था।
16.	उड़ीसा	1999-02	206.63	डी आर डी ए खुर्दा में व्यय 12 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना डी आर डी एस मयुरभंज तथा बालासौर में प शिक्षण केन्द्र तथा गोदाम के निर्माण, डी आर डी ए बालसौर द्वारा 6 कम्प्यूटरों की खरीद तथा अन्य चयित मुख्य क्रिया कलापों के स्थान पर अवसंरचनात्मक निर्माण हेतु किया गया।
		1999-02	41.56	करनजिया और रायरगंपुर में नवम्बर 2001 तक द्रुतशीतन संयन्त्रों की अवसंरचना पर व्यय किया गया। दुग्ध द्रुतशीतन संयन्त्र संचालित नहीं थे तथा इनकी स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। प्राप्त परिसम्पत्ति सत्यापित / प्रमाणित नहीं की जा सकी थी (मार्च 2002)।
17	पंजाब	1999-01	36.00	संगरूर जिले में निधियों को प्रचालन शैडों के निर्माण हेतु विभिन्नि अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया था। चूंकि कोई भी एस एच जी तीसरी अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकी थी तथा कोई भी ऋण आधिक सहायता/वित्तिय सहायता के रूप में नहीं दिया गया था। किया गया व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।
18.	राजस्थान	1999-01	17.80	निधियों को पश्चिम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर द्वारा विद्यमान द्रुतशीतन संयन्त्रों की मरम्मत/ नवीनीकरण पर व्यय किया तथा इसे डी आर डी ए नागौर के लेखों में इसके लाभों को स्वरोजगारों को दिये बिना समायोजित किया।
		2000-01	10.78	डी आर डी ए उदयपुर द्वारा पशु पालान विभाग को उपलब्ध रु 34.70 लाख में से रु 10.78 लाख सीनोग्राफी तथा एक्सरे मशीनों सहित अन्य उपकरणों की खरीद पर व्यय किये गये। सभी उपकरण नये पशु

				चिकित्सालय/ उप केन्द्रों के न खुलने तथा डाक्टरों के रिक्त पदों के कारण व्यर्थ पड़े थे।
		2000-01	7.67	रु 10.70 लाख में से, रु 6.00 लाख बीकानेर के शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण हाल की स्थापना पर व्यय किये गए जबकि मार्च 2001 के पश्चात कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। कम्प्यूटर तथा अन्य मदों पर रु 1.67 लाख का व्यय किया जो स्टोर में बिना किसी इस्तेमाल के पड़े थे। व्यय विद्यमान अवसंरचनात्मक का मूल्यांकन किये बिना किया गया था। शेष रु 3.03 लाख की राशि लौटा दी गई थी।
		1999-00	48.50	डी आर डी ए बारन ने एक दुग्ध युनियन को दुग्ध द्रुतशीतन संयंत्र की स्थापना हेतु रु 48.50 लाख की राशि निर्मुक्त की। युनियन द्वारा रु 17.85 लाख की परिसम्पत्ति जो स्थापित नहीं हुई सहित रु 36.64 लाख व्यय किये तथा रु 1.84 लाख किराये, वाहन, सुरक्षा गार्ड इत्यादि पर व्यय किये। शेष राशि युनियन के पास पड़ी थी। दुग्ध युनियन बी पी एल स्वरोजगार के अन्तर्गत 2001 तक तादात्मयित नहीं हुई।
		2000-02	121.46	6 डी आर डी ए ने दुग्ध युनियनों द्वारा खर्च की गई रु 121.46 की राशि अपने खातों में समायोजित की जिसमें बी पी एल परिवारों की संख्या 50 प्रतिशत से कम थी।
		1999-01	62.34	इसके लाभों को प्रत्यक्षतः बी पी एल स्वरोजगारों को दिये बिना 27 पथरी सड़कों अस्थायी कार्य तथा एक डब्ल्यू बी एम सड़क के निर्माण पर व्यय किया गया।
		2000-01	15.30	राज्य सरकार ने एस जी एस वाई निधियों से रु 15.30 लाख की लागत की 153 दुकानों को सामान्य जनता में नीलामी करने हेतु अनुमति दे दी थी। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा (6/2002) 119 दुकानों की लागत का मूल्य (रु 11.9 लाख) एस जी एस वाई निधि में जमा नहीं करवाया था।

		1999-02	52.05	सहकारी समितियों को सहायता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना था कि अवसंरचनात्मक विकास हेतु कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य एस जी एस वाई स्वरोजगारों में से हैं। इसका गलत अर्थ लिया गया क्योंकि 5 डी आर डी ए परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत कर दी थी जबकि अन्य चार डी आर डी ए ने परियोजना लागत की 100 प्रतिशत राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की जिसमें रु 52.05 लाभ की अधिक राशि अर्न्तग्रस्त थी।
19	सिक्किम	1999-02	11.82	रु 10.95 लाख विद्यमान अवसंरचनात्मक की मरम्मत और नवीणीकरण पर व्यय किये गए तथा रु 0.87 लाख प्रिंटिंग प्रभारों, पी ओ एल इत्यादि पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए व्यय किये गये।
20.	तमिलनाडू	1999-02	414.40	चुने गये जिलों में निधियों को एस जी एस वाई निधियों से पशु चिकित्सालयों, केन्द्रों, ए सी संयंत्रों के सृजन पर व्यय किया गया।
		1999-02	10.00	निधियों को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना संशोधित परियोजना जिसकी लागत रु 40.70 लाख थी "विशेष परियोजना हेतु अवसंरचनात्मक निधियों से विपथित किया गया तथा परियोजना की बढ़ी हुई लागत को अवसंरचनात्मक निधियों से पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया था कि अधिक व्यय को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक राज्य योजना नामाकू नेम थिहम (एन एन टी) से पूरा किया जाए।
21.	त्रिपुरा	1999-02	225.00	चार डी आर डी ए ने विभिन्न विभागों को वास्तविक आवश्यकता को अनुमानित किये बिना अवसंरचनात्मक निर्माण हेतु रु 352 लाख का भुगतान किया। रु 352 लाख में से रु 225 लाख अविद्यमान परिसम्पत्ति के निर्माण से संबंधित थे। डी आर डी ए के पास इनके समापन एवं व्यय की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

22.	उत्तर प्रदेश		1125.38	भारतीय कृषि उद्योग संस्थान (बी ए आई एफ) को (रु 235.25 लाख) आवृत्ति प्रकार के व्ययों हेतु दिये गए। रु 833.58 लाख पशु पालन विभाग, सहकारी दुग्ध संघ तथा अन्य विभागों को उनकी आवृत्ति किस्म की सामान्य क्रिया कलापों हेतु उपलब्ध करवाये गये। डी आर डी ए, गोरखपुर द्वारा रु 56.55 लाख सड़कों के निर्माण पर खर्च किये गये।
23.	पश्चिम बंगाल	1999-02	327.76	5 डी आर डी ए द्वारा व्ययित किये गए रु 614.28 लाख में से रु 327.76 लाख भवन, कोल्ड स्टोरेज, कार्यालय भवन के निर्माण इत्यादि पर व्यय किये गये थे।
जोड़			9695.07	


परिशिष्ट -XII
(पैराग्राफ 8 में उल्लेखित)

राज्यों के नमूना जांच जिलों से एस जी एस वाई की विशो परियोजनाओं पर निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों की स्थिति

(रुपये लाखों में)


क्रमांक	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति का मास	कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अवधि	अनुमोदित राशि	निर्मुक्त तथा उपलब्ध निधियां				उपयोग की गई राशि	उपयोग की प्रतिशतता
						केन्द्र	राज्य	विविध	जोड़		
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	मार्च 1999 से मार्च 2000 तक	2 वर्ष	5,742.00	4,098.40	1,640.00	176.00	5,914.40	1,580.00	26.71
2.	आसाम	5	अप्रैल 1999 से मार्च 2001 तक	2 से 3 वर्ष	2,942.88	2,022.38	442.45	0.00	2,464.83	1,221.63	49.56
3.	छत्तीसगढ़	1	मार्च 2000	उपलब्ध नहीं	750.00	281.25	0.00	0.00	281.25	66.62	23.69
4.	गुजरात	3	मार्च 2000 से मार्च 2001 तक	2 वर्ष	2,508.00	1,031.00	313.67	2.72	1,347.39	267.00	19.82
5.	हिमाचल प्रदेश	6	मार्च 2000 से मार्च 2002 तक	2 से 5 वर्ष	4,903.94	1,525.40	410.00	0.00	1,935.40	246.00	12.71
6.	मध्य प्रदेश	9	अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक	उपलब्ध नहीं	9,153.49	3,437.59	0.00	0.00	3,437.59	1,553.82	45.20
7.	मणीपुर	2	अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक	उपलब्ध नहीं	700.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	2	मार्च 2001 से मार्च 2002 तक	2 वर्ष	1,883.00	638.63	100.60	20.91	760.14	15.02	1.98
9.	पजाब	5	अप्रैल 2000 से मार्च 2002 तक	उपलब्ध नहीं	2,223.15	787.44	209.66	9.56	1,006.66	286.04	28.41
10.	राजस्थान	9	अप्रैल 2000 से मार्च 2002 तक	2 वर्ष	6,842.92	2,223.34	434.11	0.00	2,657.45	477.47	17.97
11.	तमिलनाडू	1	मार्च 2000	2 वर्ष	1,464.00	549.00	183.00	0.00	732.00	166.75	22.78

क्रमांक	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति का मास	कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अवधि	अनुमोदित राशि	निर्मुक्त तथा उपलब्ध निधियां				उपयोग की गई राशि	उपयोग की प्रतिशतता
						केन्द्र	राज्य	विविध	जोड़		
12.	उत्तर प्रदेश	2	अप्रैल 1999 से मार्च 2000 तक	2 वर्ष	2,100.00	787.50	262.50	0.00	1,050.00	70.49	6.71
जोड़		49	अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक	2 से 5 वर्ष	41,213.38	17,516.93	3,995.99	209.19	21,722.11	5,950.84	27.39



ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण आवास



अध्याय - III : ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास योजनाएं, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, आश्रयहीनता को समाप्त करने के उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। मार्च 2002 तक 109.53 लाख आवास यूनिटों का निर्माण करने का लक्ष्य था, किन्तु 50.34 लाख आवास यूनिटों का ही निर्माण/पुनः निर्माण किया जा सका। बहुयोजनाओं में संबद्धता न होने से उद्देश्यों में परस्पर व्यावतता की स्थिति उत्पन्न हुई तथा लागत लाभों और स्वस्थ ग्रामीण आवास मुहैया कराने के लिए विभिन्न अर्न्तनिहित क्रियाकलापों के अभिविन्दुता के प्रति सुनिश्चितता नहीं थी। लक्ष्यों के भटकाव के फलस्वरूप 58.56 करोड़ रुपये अयोग्य लाभार्थियों पर व्यय किए गए। लाभार्थियों को 7.38 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के मामले भी थे जिससे योग्य लाभार्थी, इन लाभों से वंचित रहे। 10 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों से कम दर पर किए गए भुगतान के कारण 42.11 करोड़ रुपये का कम भुगतान हुआ। दिशानिर्देशों के विपरीत ठेकेदारों के माध्यम से 198.55 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी निर्माण कार्य में शामिल होने से वंचित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ हैबीटेशन को बढ़ावा देने के लिए धुआँरहित चूल्हों और सेनेटरी शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं लगभग 50 प्रतिशत आवासों में मुहैया नहीं कराई गई थी। कार्यक्रम के लिए जारी की गई 1162 करोड़ रुपये की राशि व्यय नहीं की गई। कमज़ोर फंड प्रबन्धन के कारण एक बड़ी राशि का विपथन हुआ या जमा पड़े रहे, निधि का दुरुपयोग और अनुमोदित मापदंडों से अधिक व्यय किया गया। मंत्रालय और राज्य, दोनों स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी अपर्याप्त और अप्रभावी थी जिससे नौवीं योजना अवधि के अन्त तक आश्रयहीनता को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने की संबंधित एंजेंसियों की कार्य करने की इच्छा और प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

मुख्य बातें :

राष्ट्रीय आवास योजना का 'सभी के लिए आवास' और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आश्रयहीनता को पूरी तरह समाप्त करने का उद्देश्य अधिकांश रूप से असफल रहा। विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत मार्च 2002 तक 109.53 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य था किन्तु 50.34 लाख आवासों का ही निर्माण हुआ था।

विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के परस्पर व्यापक उद्देश्यों ने किफायती लागत, स्वास्थ्यकर ग्रामीण आवास मुहैया कराने के फोकस को अस्पष्ट कर दिया। इच्छित

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विभिन्न योजनाओं के क्रियाकलापों की अभिविदुता के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में लाभार्थियों की चयनप्रक्रिया गलत दिशा में जाने के फलस्वरूप 34,542 अयोग्य लाभार्थियों का चयन हुआ जिन पर 58.56 करोड़ रुपये की सीमा तक व्यय हुआ। सात राज्यों में लाभार्थियों को, लोकसभा सदस्यों/विधानसभा सदस्यों/जिला प्राधिकारियों, सरपंचों, आदि की सिफारिशों के आधार पर आवास अबंटित किए गए।

लाभार्थियों को दिए जाने वाले फंड की हस्तांतरण प्रणाली में एकरूपता नहीं थी। 10 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में, 7.38 करोड़ रुपये, निर्धारित मापदंडों से अधिक दिए गए जबकि 10 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 42.11 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

16 राज्यों में ठेकेदारों के माध्यम से आवासों के निर्माण पर 198.55 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिससे किफायती लागत और गुणवत्ता के उद्देश्य हेतु लाभार्थियों को निर्माण कार्य में शामिल करने का उद्देश्य असफल रहा।

21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 171.56 करोड़ रुपये उन क्रियाकलापों और योजनाओं पर व्यय किए गए जो योजना के क्षेत्र से बाहर थे। 20 राज्यों में 682.97 करोड़ रुपये निकालकर सरकारी खाते से बाहर, सिविल डिपोजिट, मियादी जमा और ट्रेजरी में रखे गए। 222.81 करोड़ रुपये का अग्रिम, समायोजन के लिए लंबित था। पांच राज्यों में 1.83 करोड़ रुपये का सम्भावित दुर्विनियोग था और 4.04 करोड़ रुपये अनुमोदित कार्यों पर खर्च नहीं हुआ। इस वजह से प्रोग्राम पर होने वाले वास्तविक व्यय 31.55 प्रतिशत कम होने के अलावा क्रियान्वयन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में धुआँरहित चूल्हा और सेनेटरी शौचालय क्रमशः केवल 50 प्रतिशत और 57 प्रतिशत निर्माणित आवासों में ही उपलब्ध कराये गये जिससे लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग स्वच्छ, प्रदूषणरहित पर्यावरण और स्वच्छ हैबिटेसन से वंचित रहा।

17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 37.75 प्रतिशत आवासों का आवंटन पुरुष सदस्यों के नाम किया गया जिससे ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने का उद्देश्य असफल रहा।

26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माणित/पुनःनिर्माणित आवासों की सूची नहीं बनाई थी जिसकी अनुपस्थिति में आवासों के वास्तविक निर्माण का सत्यापन और लक्षित ग्रुप को हुए लाभ की सीमा का पता करना मुश्किल था।

कार्यक्रम के निष्पादन और कार्यान्वयन की निगरानी, केन्द्र और राज्य स्तर पर अपर्याप्त और अप्रभावी थी।

कार्यक्रम प्रभाव का मूल्यांकन लगभग सभी राज्यों में नहीं किया गया।

1. प्रस्तावना

मानव जीवन के लिए भारत की समाज-राजनीति अर्थव्यवस्था के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं, आवास उनमें से एक मूलभूत चुनौती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष उपरान्त भी करोड़ों लोग आश्रय से वंचित हैं। सरकार ने योजना के आरंभ के 25 वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आकलन समिति (पांचवी लोकसभा) ने अपनी 37वीं रिपोर्ट (1972-73) में ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे आवासों की असंतोषजनक स्थिति और सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की। इस मूल्यांकन के जवाब में चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास स्थल सहित निर्माण सहायता योजना की एक केन्द्रीय योजना लागू की। योजना को अप्रैल 1974 में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। 1980 से आरम्भ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और 1983 में आरम्भ ग्रामीण भूमिहार रोजगार कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) में आवास निर्माण, एक मुख्य गतिविधि थी। तथापि, राज्यों में ग्रामीण आवास के संदर्भ में कोई समरूप नीति नहीं थी। जून 1985 में प्रथम बार, आर.एल.ई.जी.पी. के एक विशिष्ट भाग को, अनुसूचित जाति (एस सी) अनुसूचित जनजाति (एस टी) और बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण हेतु, निर्धारित किया गया। इंदिरा आवास योजना का यह उद्गम था जोकि जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) की एक उपयोजना के रूप में जारी रही।

जनवरी 1996 में जे आर वाई के पुनर्गठन के उपरान्त ई आ यो ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय मुहैया कराने के लिए एक स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनी। ई आ यो के प्रयासों के समर्थन में और ग्रामीण आवास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए अप्रैल 1999 में पांच नयी केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं नामतः समग्र आवास योजना (एस ए वाई), ऋण-सह-सब्सिडी योजना (सी सी एस एस), ग्रामीण विकास केन्द्र (आर बी सी), इनोवेटिव स्टीम फार हैवीटेड डिवलपमेंट (आई एस आर एच एच डी) और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण आवास (पी एम जी वाई - जी ए) लागू की गईं, जिन्हें 1 अप्रैल 2000 से राज्य आयोजन से वित्तपोषित किया गया।

1991 की जनसंख्या के अनुसार 137.20 लाख यूनिटों की ग्रामीण आवास कमी अनुमानित की गई थी। इसमें से 103.10 लाख परिवार बेकार कच्चे आवासों में रह रहे थे और 34.10 लाख परिवार बिना आश्रय के रह रहे थे। यह अनुमान लगाया कि 1991 से 2002 तक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के कारण 107.50 लाख आवासों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 244.70 लाख आवासों की कुल आवश्यकता अनुमानित की गई तथापि, 1991 से 1997 के दौरान, इंदिरा आवास योजना (ई आ यो) राज्य सरकारों, हुडको और सेल्फहेल्प सिस्टम के द्वारा केवल 57 लाख आवासों का ही निर्माण किया जा सका। तथापि, 1997-2002 के दौरान 187.70 लाख की अनुमानित वास्तविक कमी में से 84.60 लाख नये आवासों का निर्माण किया जाना था और 103.10 लाख कच्चे/बेकार आवासों का पुनःनिर्माण किया जाना था।

2. राष्ट्रीय आवास नीति/ग्रामीण आवास नीति

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवम्बर 1988 में विश्वव्यापी आश्रय नीति अपनाने पर सभी सरकारों को राष्ट्रीय आवास नीति घोषित करने का आह्वान किया गया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति पर तैयार किया गया एक प्रारूप 1988 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जिससे ग्रामीण जनता के समग्र विकास में ग्रामीण आवास की महत्ता को मान्यता मिली। इसे, आगे 1994 में विस्तृत और नया रूप दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) बनने के साथ, राष्ट्रीय आवास नीति को एक बार फिर सुस्पष्ट किया गया। जिसमें निजी क्षेत्र, समुदायिकता, स्वैच्छिक क्षेत्र और सहकारी सोसाइटियों को लागत में भागीदारी पर साझेदारी में विशेष जोर दिया गया। इस क्षेत्र की बढ़ती हुई मान्यता और बढ़ती हुई जरूरतों की संवेदनशीलता तथा आश्रय में हैवीटेट को शामिल किए जाने पर्याप्त स्थल और सेवाओं के प्रावधान, ऊर्जा के स्थानीय स्रोत और समग्र और स्वस्थ पर्यावरण को मध्य नजर रखते हुए राष्ट्रीय आवास और हैवीटेट नीति को 1998 में अपनाया गया। इसके लक्ष्य थे :

- ग्रामीण आवास के लिए सब्सिडी आधारित आवास योजना से लागत भागेदारी या लागत वसूली-कम-सब्सिडी योजनाओं की ओर प्रगामी हस्तांतरण।
- ग्रामीण आवास नीति को लक्ष्य दिगविन्यास से मांग ड्राइवन एप्रोच की ओर प्रगामी हस्तांतरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ आवास संख्या में वृद्धि करने के लिए उधार देने हेतु पंचायतराज संगठनों और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आवासीय क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए दक्षता, उत्पादकता, ऊर्जा दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- आवासीय और हैवीटेट के प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों के मध्य सुदृढ़ साझेदारी को जारी रखना।
- आवासीय नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण और क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करना।
- इस तरह से ग्रामों का विकास करना जिसमें एक स्वस्थ पर्यावरण, आधुनिक साधनों का अधिकतम उपयोग और प्रदूषणरहित वातावरण के साथ वेस्ट के निपटान की ठोस व्यवस्था हो।

3. लक्ष्य

नई आवासीय योजना में 'सभी को आवास' मुहैया कराने के लक्ष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेसहारा लोगों पर जोर देते हुए, प्रतिवर्ष (1997-1998 को आधारवर्ष मानते हुए) 12.3 लाख यूनिटों के विद्यमान लक्ष्य के अतिरिक्त 13 लाख यूनिटों के अतिरिक्त निर्माण करने का प्रस्ताव था। ग्रामीण आवास के लिए विशेष कार्ययोजना के

तहत यह अनुमान लगाया गया था कि ई आ यो और अन्य योजनाओं के अंतर्गत नौवीं योजना के अन्त तक कुल परियोजित 187.70 लाख यूनिटों की कमी में से 109.53 लाख आवासीय यूनिटों का निर्माण/पुनःनिर्माण कर लिया जाएगा। 78.17 लाख बेकार/कच्चे यूनिटों के शेष अन्तर का दसवीं योजना के अन्तर्गत पुनःनिर्माण किया जाएगा। यह भी निर्धारित किया गया था कि दसवीं योजना के दौरान, जनसंख्या वृद्धि के कारण आगे होने वाली कमी को भी ध्यान में रखा जाएगा तथापि, नौवीं योजना अवधि के अन्त तक लक्ष्य प्राप्ति में काफी कमी थी। 1997-2002 के दौरान ई आ यो और केन्द्रीय अंशदान से क्रियान्वित होने वाली अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 109.53 लाख यूनिटों के स्थान पर केवल 50.34 लाख यूनिटों का ही निर्माण किया जा सका।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2002) कि कुल ग्रामीण आवासीय कमी को पूरा करने के लिए 25,700 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान किया गया था, जिसमें से केवल 8,103.75 करोड़ रुपये ही नौवीं योजना अवधि के दौरान मुहैया कराए गए। यह नीति निर्धारण और स्रोत आबंटन में द्विभागीकरण से दर्शाया है।

4. समीक्षा का क्षेत्र और उद्देश्य

लेखापरीक्षा समीक्षा का लक्ष्य, ई आ यो पर विशेष जोर देते हुए, ग्रामीण आवासीय योजनाओं के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन की प्रभावकारिता की जांच करना और बेसहारा लोगों की समस्या तथा सभी बेकार कच्चे आवासों के पुनःनिर्माण को देखना था। नवम्बर 2001 और जुलाई 2002 के दौरान मंत्रालय और 28 राज्यों और 3 राज्य संघ क्षेत्रों के 171 जिलों में दस्तावेजों की नमूना जांच के आधार पर, 1997-98 से 2001-2002 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

5. नमूना साइज

कवर किए गए क्षेत्रों/खण्डों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

जिलों की कुल संख्या		कवरेज प्रतिशतता	कुल खण्डों की संख्या		कवरेज प्रतिशतता	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)		कवरेज प्रतिशतता
कार्यक्रम कवर किए गए	नमूना जांच किए गए		कार्यक्रम में कवर किए गए	नमूना जांच किए गए		कार्यक्रम में कवर किए गए	नमूना जांच किए गए	
575	171	29.74	1,756	541	30.81	9,927.62	3,685.67	37.13

नोट : नमूना साइज रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या/ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुपात, व्यय की मात्रा, भौगोलिक प्रतिनिधित्व, बजट आबंटन आदि पर आधारित था। नमूना जांच किए गए जिलों का ब्योरा अनुलग्नक- I में निहित है।

6. संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति निर्धारण, आयोजन, वित्त प्रबन्ध, समग्र दिशानिर्देश, निगरानी और कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए, उत्तरदायी था।

राज्य स्तर पर, समग्र दिशानिर्देश, निगरानी और कार्यक्रम के मूल्यांकन की जिम्मेदारी राज्य स्तर समन्वय समिति (एस एल सी सी) को सौंपी गई थी।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (जि ग्रा वि ए) और जिला परिषदों (जी प) को जिला स्तर पर, कार्यान्वयन, समन्वयन, समीक्षा, निरीक्षण, निगरानी और कार्यक्रम के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खण्ड विकास अधिकारी और पंचायत समितियों को खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें लाभार्थियों के चयन के लिए उत्तरदायी थीं।

7. कार्यक्रम घटक

7.1 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों (बी पी एल) को मुफ्त आवासीय यूनिट मुहैया कराने के लिए **इंदिरा आवास योजना** नाम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की गई। योजना में मुख्यतः एस सी/एस टी से संबंधित बी पी एल परिवारों, बंधुआ मजदूरों और गैर एस सी/एस टी के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणियों के परिवार लक्षित थे। एक वित्तीय वर्ष में ई आ यो के फंड में से 60 प्रतिशत एस सी/एस टी और बंधुआ मजदूरों के लिए और 3 प्रतिशत शारीरिक विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवासीय ईकाइयों के निर्माण/पुनःनिर्माण पर उपयोग किए जा सकते थे। आवासीय ईकाइयों के निर्माण के लिए जिसमें धुआंरहित चूल्हा, स्वच्छ शौचालय और अन्य सामूहिक सुविधाएं सम्मिलित थी के लिए मैदानी इलाकों में 20,000 रुपये एवं पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रुपये की अधिकतम राशि मुहैया करायी जानी थी। कार्यक्रम के व्यय को केन्द्र और राज्यों में बीच, 80:20 (75:25 1 अप्रैल 1999 से) के अनुपात में बांटा जाना था। ई आ यो फंड का आवंटन देश में कुल गरीबों की तुलना में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर बांटा जाना था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल एस सी/एस टी जनसंख्या की तुलना में जिलों की एस सी/एस टी जनसंख्या की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने थे। अप्रैल 1999 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटन आधार समग्र आवासीय कमी और गरीबी के अनुपात पर समान रूप से आधारित था। अप्रैल 1999 से कुल आवंटन का 20 प्रतिशत 10,000 रुपये प्रति यूनिट लागत पर, बेकार कच्चे आवासों को पक्के या अर्धपक्के आवासों में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित किए गए थे।

7.2 **ऋण-सह-सब्सिडी योजना**, 1 अप्रैल 1999 से सभी ग्रामीण परिवारों (गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर रहने वाले दोनों) के लिए जिनकी वार्षिक आय केवल 32,000 रुपये तक थी और जो ई आ यो के अन्तर्गत नहीं आते थे के लिए आरम्भ की गई थी। 50 प्रतिशत सहायता ऋण के रूप में और 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मुहैया करायी जानी थी जिसे केन्द्र और राज्यों के मध्य बांटा जाना था। कुल सब्सिडी की सीमा 10,000 रुपये और ऋण उपलब्धता की अधिकता सीमा 40,000 रुपये प्रति परिवार निर्धारित की गई थी। योजना की भूमिका, सरकार को 'फंडदाता' से 'सुसाध्यदाता'

के रूप में एक उद्धारक के रूप में दर्शाना था। जैसे की राष्ट्रीय आवासीय और हैबिटेट नीति 1998 में कहा गया था।

7.3 ग्रामीण आवासीय और हैबिटेट विकास के लिए इनोवेटिव स्ट्रीम 1 अप्रैल 1999 में आरंभ की गई जिसमें किफायती लागत, स्वच्छ पर्यावरण, वैज्ञानिक प्रमाणित और पर्याप्त देशी और आधुनिक डिजाइन, प्रौद्योगिकी और सामग्री के उपयोग पर जोर दिया था जोकि ग्रामीण आवास की उत्तम गुणवत्ता और किफायती लागत के लिए मूलभूत आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य ई आ यो लाभार्थियों को उत्कर्ष आधारभूत सहयोगी सुविधाएँ उपलब्ध करना था जिसके लिए 20 लाख रुपये की परियोजना आधारित सहायता के आधार पर गैर सरकारी संगठनों को और 50 लाख की सहायता शिक्षण/अनुसंधान संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध करानी थी।

7.4 समग्र आवास योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई, जोकि सेनीटेशन और जल आपूर्ति योजनाओं, विद्यमान ग्रामीण आवासीय क्षेत्र की कवरेज को सरल बनाने तथा जन-भागीदारी के साथ प्राप्त और समग्र ग्रामीण मानवीय समाधान को आश्वत करने के लिए थी। भारत सरकार ने प्रत्येक खण्ड के लिए 25 लाख रुपये की विशेष सहायता मुहैया कराई (5 लाख रुपये सूचना शिक्षा और संचार (आई ई सी) और 20 लाख रुपये हैबिटेट के विकास के लिए)। फंड, जि ग्रा वि ए के माध्यम से कार्यान्वयनकर्ता एंजेसी को जारी किए गए थे। प्रथम चरण में, योजना को 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों में प्रति जिला खंड की दर से पायलट आधार पर लागू किया गया और पायलट परियोजना के मूल्यांकन के उपरान्त इसे पूरे देश में लागू करना था।

7.5 ग्रामीण भवन केन्द्रों (आर बी सी) की स्थापना के लिए एक योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिक हस्तांतरण, सूचना प्रचार, प्रशिक्षण द्वारा कौशल उन्नयन, किफायती आवास, लागत और पर्यावरण अनुकूल पदार्थों आदि को बनाने के लिए थी। आर बी सी, ग्रामीण जनसंख्या की पहुंच के अन्तर्गत स्थापित किए जाने थे। केन्द्र सरकार ने कार्यान्वयनकर्ता एंजेसियो को, नामतः सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संगठन, जिन्होंने भवन केन्द्रों की स्थापना करनी थी, को देने के लिए आवासीय और शहरी विकास निगम (हुडको) को प्रत्येक आर बी सी की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये का अनुदान दिया। योजना, पायलट आधार पर 17 राज्यों के 60 जिलों में लागू की गई।

7.6 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसके विभिन्न घटकों में से एक घटक **ग्रामीण आवास** था, एक विद्यमान योजना के बदले में 2000-01 में लागू की गई जिसके लिए राज्य योजनाओं के अन्तर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) मुहैया कराई गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय था। फंड वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी सिफारिश के आधार पर जारी किये जाने थे। राज्यों में फंड का हस्तांतरण 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत

ऋण के रूप में किया जाना था। जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य शामिल नहीं थे, ये राज्य 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में फंड प्राप्ति के हकदार थे।

सरकार की उपर्युक्त कार्यनीति, आवासीय क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए और पृथक-2 योजनाओं के तहत ग्रामीण आवास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना था। कार्यनीति, ई आ यो के जटिल पहलुओं के सुधार के स्थान पर उन्हीं घटकों के साथ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने के लिए चिह्नित की गई थी। शहरी और ग्रामीण विभाग की स्थायी समिति ने अपनी तेहरवीं रिपोर्ट (1999-2000) में कहा था कि वे केन्द्रीय प्रायोजित नई परियोजनाओं नामतः एस ए वाई और सी सी एस को लागू करने का औचित्य समझने में असफल रहे जबकि उन्हीं कारणों के लिए ई आ यो जैसे एक व्यापक योजना पहले से ही विद्यमान थी। आगे, 2001 में समिति ने अपनी 25वीं रिपोर्ट में कहा कि यद्यपि प्रभावी कार्यान्वयन और उल्लेखनीय प्रभाव के लिए विभिन्न योजनाओं के यौक्तिकीकरण और अभिविन्दूकरण की जरूरत को मान्यता थी, फिर भी मंत्रालय ने अक्टूबर 2000 में पी एम जी वाई-ग्रामीण आवास नाम की एक और योजना लागू की। समिति ने सरकार की आयोजना पर नाराजगी प्रकट की और विभिन्न आवासीय योजनाओं के अभिविन्दूकरण पर जोर दिया। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (2001) के दसवें योजना कार्यदल ने भी विद्यमान ग्रामीण आवासीय कार्यक्रमों को एक करके, देश में एकरूपता के आधार पर एक एकीकृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कहा। मंत्रालय द्वारा स्थायी समिति और कार्यदल की सिफारिशों पर अभी कार्य किया जाना बाकी है।

8. वित्तीय प्रबंध

1997-2002 के दौरान 9,734.67 करोड़ रुपये ई आ यो को आबंटित किए गए तथा अप्रैल 1999 से आरंभ की गई अन्य केन्द्रीय प्रायोजित आवास योजनाओं के लिए 1,165.85 करोड़ रुपये आबंटित किए गए, इस प्रकार ग्रामीण आवास के लिए कुल 10,900.52 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) इंदिरा आवास योजना

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन			जारी किए गए फंड			व्यय
	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	
1997-98	1153.00	287.85	1440.85	1117.11	278.88	1395.99	1591.48
1998-99	1484.00	370.62	1854.62	1477.94	369.25	1847.19	1803.88
1999-2000	1599.99	532.35	2132.34	1438.39	479.23	1917.62	1907.64
2000-2001	1613.69	536.91	2150.60	1521.94	506.72	2028.66	2185.81
2001-2002	1618.00	538.26	2156.26	1869.74	622.38	2492.12	2149.56
कुल	7468.68	2265.99	9734.67	7425.12	2256.46	9681.58	9638.37

नोट : ई आ यो के अन्तर्गत 1997-2002 के दौरान जारी फंड और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक -II में निहित है।

(ख) अन्य केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

(रुपये करोड़ में)

योजनाएं	1999-2000			2000-2001			2001-2002			जोड़		
	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई
सी सी एस	133.33	80.91	20.19	200.00	35.99	38.51	50.67	10.80	18.51	384.00	127.71	77.21
पी एम जी वाई	375.00	291.93	68.14	406.85	291.51	141.40	781.85	583.44	209.54
एस ए वाई	..	2.67	2.18	..	1.35	0.32	..	3.05	7.07	2.50
आई एम आर एच एच डी	..	2.41	8.65	9.64	20.70	..
आर बी सी	..	0.54	1.62	0.78	2.94	..
कुल	133.33	86.53	22.37	575.00	339.54	106.97	457.52	315.78	159.91	1165.85	741.86	289.25

ए- आबंटन


आर- निर्मोचन

ई- व्यय

ई आ यो के अन्तर्गत 1997-2002 के दौरान जारी फंड का 99 प्रतिशत उपयोग किया गया था जबकि 1999-2002 के दौरान अन्य ग्रामीण आवासीय योजनाओं में केवल 39 प्रतिशत फंड का उपयोग किया जा सका। तथापि, इस अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग कम था। लेखा परीक्षा की नमूना जांच में यह पाया गया था कि उपलब्ध फंड का एक बड़ा भाग का या तो विपथन या दुरुपयोग किया गया था और इसे त्रुटि से वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया गया था। नीचे दिया गया आरेखी प्रदर्शन यह दर्शाता है कि नमूना जांच किए गए व्यय का कम से कम 31.55 प्रतिशत कार्यक्रम पर खर्च नहीं किया गया।

वित्त विपर्यय वृक्ष

(रुपये करोड़ों में)



8.1 केन्द्रीय/राज्य के भाग को कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी ना करना/कम जारी करना

8 राज्यों में
707.41 करोड़
रु जारी नहीं किए
गए या कम जारी
किए गए।

1997-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में, दस्तावेजों की नमूना जांच में यह पाया गया कि आंध्र प्रदेश (20.25 करोड़ रुपये), असम (117.64 करोड़ रुपये), गोआ (0.08 करोड़ रुपये), गुजरात (8.43 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (53.77 करोड़ रुपये), मेघालय (0.42 करोड़ रुपये), नागालैंड (1.95 करोड़ रुपये) और उड़ीसा (504.87 करोड़ रुपये) में, 707.41 करोड़ रुपये कम जारी किए गए या जारी ही नहीं किए गए। संबंधित ब्यौरा अनुलग्नक-III में निहित है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन, फंड जारी ना होने के कारण या आंशिक रूप से जारी किए जाने के कारण, बुरी तरह प्रभावित हुआ।

17 राज्यों में
फंड जारी
करने में 29
माह तक का
विलंब था।

8.2 फंड का विलंब से जारी करना

राज्य के विभागों/जि ग्रा वि ए ने कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को 1997-98 से 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में, 772.58 करोड़ रुपये, 29 माह तक के विलंब से दिए गए थे। (अनुलग्नक IV)

854.53 करोड़
रुपये अन्य
योजनाओं पर
लगाए गये या
जमा खातों में
रखे गए।

8.3 फंड का विपथन

1997-2002 के दौरान राज्यों में दस्तावेजों की नमूना जांच में ऐसे मामले सामने आए जिनमें 854.53 करोड़ रुपये के फंड को व्यक्तिगत लेजर खाता, व्यक्तिगत जमा चालू खाते, आदि में रखने के साथ-साथ फंड का ऐसी क्रियाकलापों में विपथन किया गया था जोकि कार्यक्रम में शामिल नहीं थे।

(i) कार्यक्रम से असंबंधित क्रियाकलापों पर व्यय

21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 171.56 करोड़ रुपये का व्यय, वाहन, टाइपराईटर, स्टेशनरी, फर्नीचर, सोलरकूकर मच्छरदानी, चाय कैंटली, पानी के बर्तनों की खरीद, कार्यालय क्रियाकलापों, चबूतरों, समुदाय भवन, आंगनवाडियों के निर्माण पर खर्च किया गया था तथा फंड का विपथन अन्य योजनाओं जैसे रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), राज्य सैक्टर योजना, आदि योजनाओं पर किया गया (अनुलग्नक - V क)

(ii) फंड की पार्किंग

20 राज्यों में 682.97 करोड़ रु. का फंड, व्यक्तिगत लेजर खातों, सिविल जमा, मियादी जमा, ब्याज रहित चालू खातों, खजाना खातों आदि में रखा गया। (अनुलग्नक - V ख)

222.81 करोड़
रुपये का
समायोजन बाकी
था, इन्हें अन्तिम
व्यय मान लिया
गया जबकि ये
वास्तविक रूप में
व्यय नहीं हुए थे।

8.4 असमायोजित खातों को अन्तिम व्यय मानना

नौ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र (असम, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडेचरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) में कुल मिलाकर 222.81 करोड़ रुपये की निधि को अन्तिम व्यय माना गया यद्यपि ना तो यह वास्तविक रूप में किया था और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। संबंधित ब्यौरा अनुलग्नक VI में निहित है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति की बढी हुई गलत रिपोर्टिंग हुई।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2002) कि संबंधित जि ग्रा वि ए/जिला परिषदों से कहा गया था कि उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ-साथ आय और व्यय खाते में, एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए उपयोग आकड़ों को ही व्यय के रूप में दिखाया जाये।

8.5 अतिरेक व्यय रिपोर्टिंग

17 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में 79.46 करोड़ रुपये की अतिरेक व्यय की रिपोर्टिंग की गई जिसका विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक VII में निहित है।

8.6 निधि का दुर्विनियोग/दुरुपयोग

दोषपूर्ण नियंत्रण के कारण 1.83 करोड़ रुपये का दुर्विनियोग/दुरुपयोग किया गया।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में यह पाया गया कि प्रभावी नियंत्रण के अभाव में 1.83 करोड़ रुपये की निधि का दुर्विनियोग/दुरुपयोग किया गया। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश (i) चित्तूर जिले में, 2 उप अधिशासी अभियन्ताओं, 9 सहायक अभियन्ताओं और 11 कार्यनिरीक्षकों ने 934 ई आ यो के आवासों के निर्माण में 44.33 लाख रुपये का दुर्विनियोग किया। पहले से ही निर्माणित आवासों को ई आ यो के अन्तर्गत नया निर्माण दिखाया गया। अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कराया गया। 2 अन्य सहायक अभियन्ताओं एवं 3 कार्यनिरीक्षकों के विरुद्ध अभियोजन का आदेश दिया गया।

(ii) खम्मम जिले के भद्राचलम में विभागीय स्तर पर 1999-2000 के दौरान 7 आदि जनजातीय ग्रुप आवासीय कॉलोनी को चुना गया। जुलाई 2001 में निरीक्षण के दौरान, आई.टी.डी.ए. भद्राचलम के परियोजना अधिकारी ने यह पाया कि 182 आवासों के संदर्भ में वास्तविक परियोजक लागत से सामग्री अवयव पर 11.85 लाख रुपये की अधिक सब्सिडी दी गई थी, हालांकि आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। दोषी कर्मचारियों को अगस्त 2001 में निलंबित किया गया तथा उनके खिलाफ दर्ज किया गया अपराधिक मामला फरवरी 2002 तक लंबित था।

मणिपुर- उखरल और चंदेल जिले में 4 खंड विकास अधिकारियों (बी डी ओ) ने वर्ष 1999-2002 के दौरान 55.16 लाख रुपये प्राप्त किए किन्तु रोकड़ बहियों में सिर्फ 16.42 लाख रुपये दर्शाए गए। शेष 38.74 लाख रुपये के वितरण का कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।

मिजोरम (i) ऐजवल जिले में बी डी ओ थिंगडवल ने मार्च 1999 के दौरान आवासों के निर्माण/पुर्ननिर्माण के लिए 32 लाभार्थियों को सहायता प्रदान के लिए 4.79 लाख रुपये का एक चैक प्राप्त किया। यह राशि ना तो लाभार्थियों को वितरित की गई और न ही रोकड बही में अव्ययित राशि के रूप में दर्शाई गई।

(ii) जि ग्रा वि ए सेहा के खजांची ने ई आ यो फंड के रूप में मिले 19.81 लाख रुपये अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करा कर निधि का दुर्विनियोग किया। सरकारी प्रदर्शन हेतु उसने गलत पासबुक प्रस्तुत की। उपायुक्त ने अगस्त 2000 में खजांची को निलंबित किया।

पश्चिम बंगाल (i) उत्तर दीनाजपुर जिला परिषद के अन्तर्गत मरानाई ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ने अक्टूबर 2000 में यह सूचित किया कि बैंक से ग्राम पंचायत कार्यालय आते हुए उससे 2.80 लाख रुपये छीन लिए गए। यह मामला न तो स्थानीय पुलिस को और न ही जिला परिषद/राज्य सरकार को सूचित किया गया। इसी प्रकार 24 परगना, जिला परिषद के अन्तर्गत दक्षिण लक्ष्मीकांतपुर ग्राम पंचायत कार्यालय से दिसम्बर 2001 में 0.34 लाख रुपये चुरा लिए गए थे जिसके लिए राशि की वसूली हेतु एवं उत्तरदायित्व निर्धारण कोई जांच नहीं बिठाई गई।

(ii) मिदनापुर जिला परिषद के अन्तर्गत केशपुर पंचायत समिति द्वारा 1996-2000 के दौरान स्वयं के नाम लिखे चैक के माध्यम से बैंक से 57.52 लाख रुपये निकाले गए किन्तु इस राशि के उपयोग/वितरण संबंधित कोई भी दस्तावेज लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए।

कर्नाटक : कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा एवं गौरीबिदनानुर ताल्लुका को 1993-2002 के दौरान 16 आवासों के निर्माण के लिए 2.60 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2001-2002 में ग्राम सचिवों ने सत्यापन के दौरान यह पाया कि ये आवास नहीं बने हुए थे।

6 राज्यों में वर्ष के अन्तिम सत्र में 77 प्रतिशत तक का भारी व्यय था।

8.7 भारी व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार विशेषतः वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में भारी व्यय करना वित्तीय नियम के विरुद्ध है जिससे बचा जाना चाहिए। तथापि यह पाया गया कि 6 राज्यों में अन्तिम तिमाही में 623.94 करोड़ रुपये (कुल व्यय का 24 से 77 प्रतिशत) व्यय किए गए जिसमें से 382.45 करोड़ रुपये मार्च माह में व्यय किए गए।

मंत्रालय ने यह कहा (नवम्बर 2002) कि राज्य सरकारों को योजना पर नियमानुसार व्यय करने के निर्देश जारी कर दिये थे।

8.8 अनुमोदित लागत से अधिक व्यय

सक्षम प्राधिकारी
के अनुमोदन
के बिना 4.04
करोड़ रुपये
व्यय किए गए।

असम (1.36 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (0.97 करोड़ रुपये), गुजरात (0.70 करोड़ रुपये), हिमाचल प्रदेश (0.18 करोड़ रुपये), उड़ीसा (0.23 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (0.19 करोड़ रुपये), त्रिपुरा (0.22 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (0.19 करोड़ रुपये) राज्यों में कुल 4.04 करोड़ रुपये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आवासों के निर्माण/पुनःनिर्माण पर व्यय किए। नये आवासों के निर्माण/कच्चे आवासों के पुनःनिर्माण हेतु निर्धारित प्रतिमानों से अधिक व्यय, सामग्री घटक पर अधिक सब्सिडी/कीमती सामग्री की खरीद/व व्यय उन कार्यों पर किया जा रहा था जो अनुमोदित परियोजना में शामिल नहीं थे।

9. फिजीकल प्रगति

मंत्रालय की विशेष
कार्ययोजना के तहत
नौवीं पंचवर्षीय योजना
के अन्त तक
आश्रयहीनता को
समाप्त करने का
उद्देश्य बुरी तरह
असफल रहा क्योंकि
50.34 लाख यूनिटों
का ही निर्माण/
पुनःनिर्माण किया जा
सका जबकि लक्ष्य
109.53 लाख यूनिटों
के निर्माण/पुनःनिर्माण
का था

मंत्रालय की विशेष कार्य योजना के अनुसार राज्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए नौवीं योजना के दौरान 109.53 लाख आवासीय यूनिटों के निर्माण/पुनःनिर्माण की योजना थी। नौवीं योजना के पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में निर्माण किए गए जाने वाले कुल आवासों की एक संयुक्त तस्वीर नीचे दर्शाई गई है :

(लाखों में)

वर्ष	निर्माण किए जाने वाले आवास			कुल आवासों के निर्माण का लक्ष्य
	ई आ यो	केन्द्रीय सहायता से चालू अन्य योजनाएं *	बी एम एस सहित राज्य सरकार आवासीय योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवासों का निर्माण	
1997-1998	7.00	-	5.30	12-30
1998-1999	10.87	2.41	7.50	20-78
1999-2000	12.99	4.84	7.50	25-33
2000-2001	12.62	5.44	7.50	25-56
2000-2002	12.62	5.44	7.50	25-56
कुल योग	56.10	18.13	35.30	109-53

*सी सी एस, आई एस आर एच एच डी और हुडको

उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्ति के लिए मंत्रालय द्वारा, इंदिरा आवास योजना एवं अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए उपलब्धि 1997-2002 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रगति का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	ई आ यो		सी सी एस		पी एम जी वाई	
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1997-1998	718326	770936	-	-	-	-
1998-1999	987466	835770	-	-	-	-
1999-2000	1271619	925679	133333	23242		
2000-2001	1244320	1170926	109333	45346	61277	14914
2001-2002	1293753	1171081	50667	16455	178691	59644
कुल	5515484	4874392	293333	85043	239968	74558

ई आ यो के अन्तर्गत 55.15 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 48.74 लाख आवासों (88.38 प्रतिशत) का निर्माण हुआ। 1999-2002 के दौरान सी सी एस और पी एम जी वाई के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिशतता महज 17 से 41 प्रतिशत (सी सी एस) और 24 प्रतिशत से 33 प्रतिशत (पी एम जी वाई.) तक रही। अन्य केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, नामतः एस ए वाई, आर बी सी एवं आई एस आर एच एच डी परियोजना आधारित थी और इन योजनाओं हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। इन योजनाओं द्वारा अवधि 1999-2002 के दौरान प्राप्त उपलब्धि भी अपर्याप्त थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

विभिन्न योजनाएं, सहयोगी क्रियाकलापों जैसे कि ग्रामीण आवास सेनिटेशन आदि की, अभिविन्दुता के बिना लागू की गई थी जिनका इच्छित प्रभाव नहीं हुआ।

योजना	आरम्भ की गई परियोजनाएं	कुल राज्य	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	टिप्पणी
एस ए वाई	30	20	707.00	1999-2002 के दौरान 250 लाख रुपये व्यय किये गये लेकिन मंत्रालय के पास किसी भी परियोजना के पूरा हाने का सबूत नहीं था। योजना के विस्तार के लिए पायलट परियोजनाओं का निर्धारित मूल्यांकन पूरे देश में नहीं हुआ था।
आई एस आर एच एच डी	88	19	20.70	1999-2002 के दौरान आरम्भ की गई 88 परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यान्वयनकर्ता एंजिसियों द्वारा 32 और 39 परियोजनाओं की द्वितीय किस्त के भुगतान की मांग नहीं की थी जोकि वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 से संबंधित थी जोकि परियोजना की धीमी प्रगति को दर्शाता है।
आर बी सी	60	17	294.00	कार्यान्वयनकर्ता एंजिसियो को 288 लाख रुपये की प्रथम वित्तीय किस्त जारी की गई किन्तु इसके बाद एक परियोजना को छोड़कर (6 लाख रुपये) अन्य किसी को भी कोई और किस्त जारी नहीं हुई, जोकि योजना की धीमी प्रगति को दर्शाता है।

मंत्रालय के पास, ग्रामीण आवास के लिए कार्य योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाता हौ मुल्यांकन करने के लिए सभी केन्द्रीय/राजकीय योजनाओं के अनतर्गत आवासों की कुल संख्या के आंकडे नहीं थे और उसके पास सभी वर्षों में किया गया

निर्माण और कच्चे/बेकार आवासों के निर्माण और पुनःनिर्माण का अलग से कोई ब्यौरा नहीं था कार्यक्रम के फिजीकल निष्पादन की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

9.1 कार्य प्रगति की गलत रिपोर्टिंग

निर्माणित/पुनःनिर्माणित आवासों की संख्या की जानकारी देने की प्रणाली असंतोषजनक तथा अविश्वसनीय थी क्योंकि आवास निर्माण का कार्य आरम्भ ही नहीं किया गया था तथा जिन आवासों का निर्माण आरम्भ किया गया था वे अधूरे थे किन्तु उन्हें निर्माणित दिखाया गया था। नमूना जाँच से पता चला है कि गलत रिपोर्टिंग के कारण असम (766), बिहार (2393), हरियाणा (253), केरल (42), नागालैंड (2444), उड़ीसा (7628), त्रिपुरा (669), उत्तरांचल (1834), और पश्चिम बंगाल (7798) में गलत रिपोर्टिंग के कारण 23827 आवासों का अधिक निर्माण दिखाया गया था।

9.2 लाभार्थियों का चयन

योजना के अनुसार, जि. ग्रा. वि. ए./ जिला परिषद, आबंटन और निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर यह तय करेंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंचायतवार कितने आवासों का निर्माण/पुनःनिर्माण करेंगे तथा तदनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों, को सूचित करेंगे। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, उपलब्ध बी पी एल परिवारों की सूची में से लाभार्थियों का चयन करेंगी। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने जुलाई 1999 में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया कि 13 राज्यों में लाभार्थियों के चयन में सरकारी एजेंसियों का हाथ था। योजना आयोग ने नौवीं योजना (2000-2001) के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में यह बताया कि मंत्रालय द्वारा मार्च 1998 में जारी दिशानिर्देशों के बावजूद लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभाएँ सक्रिय नहीं थी।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत, असम, हरियाणा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण नहीं कराए गए थे। आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड और पंजाब में योग्य लाभार्थियों की सूची या तो नहीं बनाई गई थी या उन्हें अद्यतन नहीं किया गया था। इस कारण से योग्य लाभार्थियों के चयन की उचितता पर संदेह होता है। लाभार्थियों के चयन में विभिन्न कमियाँ पाई गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में दिशाभ्रमित लक्ष्यों के कारण 58.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अयोग्य लाभार्थियों को मुहैया कराई गई।

- 19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 34,542 चुने गये अयोग्य लाभार्थियों को 58.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी।
- गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, नागालैंड और पंजाब में मंत्रियों/लोकसभा सदस्यों/ विधानसभा सदस्यों, जिला अधिकारियों, सरपंचों, आदि की सिफारिश पर 2169 लाभार्थियों को, जिन्हें 400.54 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी को आवास अंबंटित किए गए। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश और असम में ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की

पाँच राज्यों में लोक सभा/विधान सभा सदस्यो जिला प्राधिकारयो आदि की सिफारिश पर 4.01 करोड़ रुपये 2,169 लाभार्थियों को मुहैया कराए गए।

सिफारिश पर, 1284 लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता मुहैया कराई गई थी जिसका व्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं था। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला परिषद् में लाभार्थियों का चयन, ग्राम सभा से ना कराके एक लाभार्थी समिति द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त, कूच बिहार (9271), उत्तर दीनाजपुर (3585), हुगली (62), वर्धवान (609) और उत्तर 24 परगना (149) में 13676 लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से नहीं हुआ था। पुर्लियां में, लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा ना होकर पंचायत समिति स्तर पर हुआ था।

- पंजाब के 3 जिलों में जिला परिषदों द्वारा बी डी पी ओ को लाभार्थी चयन के पूर्व 295 लाख रुपये दिए गए। हरियाणा में लाभार्थियों का चयन, निधि जारी करने के उपरान्त किया गया।
- पांडेचरी के अरियांकुप्पम खंड में योजना के अन्तर्गत उन 4 लाभार्थियों का चयन किया गया या सहायता मुहैया कराई गई जिनके पास पहले से भूमि थी जिसकी कीमत 26,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच थी।
- राजस्थान में लाभार्थियों का चयन उनकी योग्यता के प्रति आश्वस्त हुए बिना किया गया।
- मिजोरम में जि ग्रा वि ए ने बी पी एल परिवारों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को नजर अंदाज करते हुए, महज प्रार्थनापत्रों के आधार पर, लाभार्थियों को सहायता मुहैया कराई।

9.3 लाभार्थियों को भुगतान

लाभार्थियों को राज्य सरकार या जिला स्तर पर मापी गई कार्य प्रगति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भुगतान किया जाना था। मैदानी इलाके में 20,000 रुपये तथा पहाड़ी/ दुर्गम क्षेत्रों में 22000 रुपये की सहायता प्रदान की जानी थी जिसमें मूलभूत और सामूहिक सुविधाओं की लागत हेतु 2500 रुपये की राशि भी शामिल थी जोकि योजना के अनुसार उन लाभार्थियों को देनी थी जिनके आवास समूहों या माइक्रो हैबीटेट में नहीं बने थे। सहायता वितरण में कुछ कमियां पाई गई जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है :

10 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में लाभार्थियों को 7.38 करोड़ रुपये का, मापदंडों से अधिक, भुगतान किया गया।

- (क) असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पांडेचरी और पश्चिम बंगाल में योजना को कार्यान्वित करने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों ने लाभार्थियों को, निर्माण/पुनःनिर्माण कार्य हेतु 7.38 करोड़ रुपये की राशि (नगद एवं सामग्री दोनों रूप में) प्रदान की जोकि निर्धारित मापदंडों से अधिक थी। जहाँ आवासों का निर्माण समूहों या माइक्रो हैबीटेट के बीच हुआ था वहाँ मूलभूत और सामूहिक सुविधाओं की एवज में निर्धारित कटौती नहीं की गई थी।

10 राज्यों ओर एक संघ राज्य क्षेत्र में लाभार्थियों को निर्धारित मापदंडों से कम भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप 42.11 करोड़ रुपये का कम भुगतान हुआ

- (ख) असम, दादर और नागर हवेली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों ने लाभार्थियों को 42.11 करोड़ रुपये की कम सहायता मुहैया कराई जिससे प्रतीत होता है कि भुगतान निर्धारित दरों से कम दर पर किया गया था तथा मूलभूत/आवश्यक सुविधाओं आदि को मुहैया ना कराये जाने पर सहायता में से भी कटौती की जा रही थी।
- (ग) लाभार्थियों को निर्माण कार्य में शामिल करना था जिसमें सामग्री को प्राप्त किये जाने का कार्य भी शामिल था। तथापि, हरियाणा (2,880.15 लाख रुपये) के 5 जिलों और कर्नाटक (1174.78 लाख रुपये) के 5 जिलों की एक जिला परिषद और 15 ताल्लुको में, लाभार्थियों की सलाह बिना ही सामग्री का क्रय किया गया या लाभार्थियों द्वारा इस संदर्भ में की गई किसी माँग का कोई सबूत नहीं था। पंजाब में तीन जिला परिषदों ने 700 लाख रुपये बी डी पी ओ को ना देकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दिए गए। इसी प्रकार तमिलनाडू के जि ग्रा वि ए कडलोर ने 365 लाख रुपये ग्राम पंचायतों को ना देकर 13 पंचायत यूनियनों को दिए। महाराष्ट्र के 3 जिलों में 1998-2002 के दौरान 173 लाभार्थियों को आवासों का निर्माण कार्य समाप्त होने के उपरान्त 43.13 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2002) कि लाभार्थियों को भुगतान के दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए, जि ग्रा वि ए/ जिला परिषद कार्यालयों के उपयोग के लिए, निर्देश जारी किए जा रहे थे।

9.4 सामग्री क्रय

सामग्री के क्रय और प्रवन्ध में, जिस पर 14.29 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थी :

वित्तीय औचित्य और नियमों का पालन न करते हुए 14.29 करोड़ रुपये की सामग्री क्रय की गई।

- असम में 374.47 लाख रुपये लागत की सामग्री या तो आवश्यकता से अधिक खरीदी गई या अनुमोदित अनुमानों में इसका प्रावधान ही नहीं था, अनुपयोगी पड़ी रही।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा में, ऊँची दर पर सामग्री खरीदी गई थी जिस पर 237.04 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ जिसमें आपूर्तिकर्ता को उत्पाद शुल्क के रूप में अधिक भुगतान एवं परिवहन शुल्क सम्मिलित था।
- नागालैंड में 620.46 लाख रुपये की सामग्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से न क्रय करके स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ऊँची दर पर क्रय की गई।
- असम में 71.19 लाख रुपये की घटिया स्तर की सामग्री खरीदी गई।
- असम और नागालैंड में 118.37 लाख रुपये की सामग्री कम प्राप्त हुई।

- उड़ीसा में 7.29 लाख रुपये के सीमेंट का ढेला हो जाने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका।

10. आवासों का स्थान निर्धारण

दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय यूनिटों का निर्माण सामान्यतः ग्राम के मुख्य हैबिटेसन में व्यक्तिगत प्लॉटों में किया जाना था। आवासों का निर्माण हैबिटेसन में अन्तर्गत एक समूह में भी किया जा सकता था जिससे अन्य सामूहिक सुविधाओं के विकास में सुविधा हो। अरुणाचल प्रदेश, असम, दमन व दीव, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम (3 जिले), उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, और उत्तरांचल में समूह दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। समूह दृष्टिकोण को नहीं अपनाए जाने के कारण, इन सुविधाओं को लाभार्थियों को मुहैया कराने का योजना का उद्देश्य पूरा पूरा नहीं हुआ।

11. आवासों का निर्माण

11.1 सर्वेक्षण का ना होना

अरुणाचल प्रदेश, दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा में निर्माण/पुनःनिर्माण हेतु आवासों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए फील्ड सर्वेक्षण नहीं कराए गए।

11.2 लाभार्थियों को शामिल करना

लाभार्थियों को आवासों के निर्माण कार्य में शामिल किया जाना था तथा कुशल मजदूरों को लगाने एवं निर्माण सामग्री के क्रय में उन्हें स्वयं प्रबन्ध करना था ताकि कार्य की गुणवत्ता और किफायती लागत के प्रति आश्वास्त हुआ जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासों के निर्माण में ठेकेदारों या बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाना था तथापि आंध्र प्रदेश (0.06 करोड़ रुपये), असम (85.39 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (6.15 करोड़ रुपये), गुजरात (13.07 करोड़ रुपये), हरियाणा (0.52 करोड़ रुपये), कर्नाटक (16.31 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (70.19 करोड़ रुपये), झारखंड (0.11 करोड़ रुपये), मेघालय (0.38 करोड़ रुपये), मिजोरम (0.24 करोड़ रुपये), उड़ीसा (0.19 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (1.73 करोड़ रुपये), पंजाब (0.19 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (0.29 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (0.40 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (3.33 करोड़ रुपये) राज्यों में ठेकेदारों से या विभागीय स्तर, पर 198.55 करोड़ रुपये की लागत के आवासों का निर्माण कराया गया।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2002) कि ई आ यो आवासों के निर्माण में ठेकेदारों और विभागों के शामिल होने के मामले पाये गए थे, राज्य सरकारों को, उन्हें शामिल ना करने की सलाह, पुनः दी जाएगी क्योंकि यह योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत था।

16 राज्यों में 198.55 करोड़ रुपये का आवास निर्माण लाभार्थियों को शामिल ना करके, ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया।

11.3 अर्पण आवास

13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया 22.78 करोड़ रुपये का व्यय अलाभदायकारी गया क्योंकि आवासों का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया था या पूरा नहीं हुआ था।

आन्ध्र प्रदेश, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झाखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में 1,11,284 आवासों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था जोकि या तो 1 से 12 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पूरे नहीं हुए थे या लाभार्थियों द्वारा सहायता की एक या दो किस्त प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य मध्य में ही छोड़ दिये गये थे। ऐसे भी मामले थे जहां निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था जिसके मुख्य कारण किस्तों का जारी ना करना, भूमि संबंधित विवाद, आदि थे। फलरूपरूप इन मामलों में किया गया 22.78 करोड़ रुपये का कुल व्यय निष्फल नहीं तो अलाभदायकारी रहा।

12. डिजाइन में कमियाँ

ई आ यो आवासीय यूनिटों का अभिन्यास, डिजाइन साइज और प्रकार, स्थानीय परिस्थितियां, लाभार्थियों के इच्छित झुकाव, पर्यावरण स्थिति, धुआरहित चूल्हों, आदि पर निर्भर करता था। कुछ कमियां पाई गई थी जिन्हें दर्शाया दिया गया:

(क) अपर्याप्त स्थान

असम (2 जिले), दमन एवं दीव, मेघालय (2 खंड), उड़ीसा, राजस्थान (6 पंचायत समिति) और पश्चिम बंगाल (1 जि प और 5 जिला परिषदों की 227 गाम पंचायतें) में 20 वर्ग मीटर से भी कम स्थान में आवासों का निर्माण किया गया, इतना स्थान लाभार्थियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था क्योंकि इतने स्थान में उचित रसोई तथा सेनेटरी सुविधाओं का मुहैया कराना सम्भव नहीं था।

(ख) धुआँरहित चूल्हों का संस्थापन

20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 1997-2002 के दौरान निर्माणांत 28,96,347 आवासों में से केवल 14,57,066 आवासों (50 प्रतिशत) में ही हुआ था। अरुणाचल प्रदेश असम, दमन एवं दीव, त्रिपुरा (शून्य प्रतिशत), दादर और नागर हवेली, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम में धुआँरहित चूल्हों का प्रावधान अपर्याप्त था जोकि शून्य से 25 प्रतिशत के बीच था। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच था। उड़ीसा में 43 खण्डों में 1021 आवासों में हल्के चूल्हे मुहैया कराए गए जोकि धुआँरहित नहीं थे।

(ग) सेनेटरी शौचालयों का निर्माण

इंदिरा आवास योजना की आवासीय इकाइयों में सेनेटरी शौचालयों का निर्माण, इसका एक अभिन्न अंग था। 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 1997-2002 के दौरान निर्माणांत 28,96,347 आवासों में से केवल 16,51,773 (57 प्रतिशत) आवासों में ही सेनेटरी शौचालय मुहैया कराए गए।

20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में धुआँरहित चूल्हों और सेनेटरी शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं लगभग 50 प्रतिशत आवासों में मुहैया नहीं कराई गई।

13. आवासों का आबंटन

परिवारों की महिला सदस्यों की स्थिति सुदृढ़ करने का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त किया।

दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय यूनिटों को लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य या फिर पति और पत्नी दोनों के नाम पर आबंटित किया जाना था। तथ्यपि, 17 राज्यों ओर 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 1997-2002 के दौरान निर्माणित 25,02,826 आवासों में से 9,44,788 (37.75 प्रतिशत) आवासों को परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम पर आबंटित किया गया। इस प्रकार परिवार की महिला सदस्यों की स्थिति सुदृढ़ करने का लक्ष्य आंशिक रूप से ही प्राप्त हुआ।

14. आवासों की सूची

कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों ने कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणित/पुनःनिर्माणित आवासों की एक पूर्ण सूची तैयार करनी थी जिसमें, आवासीय ईकाई के निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, उस ग्राम और खण्ड का नाम जहाँ आवासों का निर्माण हो रहा था, लाभार्थियों का पेशा और श्रेणी, दिखाया जाना था। सूचियाँ का रखरखाव, कार्यक्रम की सफलता एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। शहरी और ग्रामीण विकास की स्थायी समिति (12वीं लोकसभा) ने अपनी 5वीं रिपोर्ट (1998-99) में बताया कि सरकार ने 1997-98 तक निर्माणित बताए गए आवासों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया था। समिति ने कम से कम नमूना जाँच के आधार पर यह कार्य करने की सिफारिश की थी तथापि यह नहीं किया गया।

लगभग सभी राज्यों में आवासों की सूची नहीं बनाई गई।

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में, नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि आवासों की सूची तैयार नहीं की गई थी। आवासों की सूची के अभाव में यह सत्यापित करना कठिन है, कि आवासों का वास्तव में निर्माण हुआ था तथा योजना के अन्तर्गत योग्य लाभार्थी ही लाभान्वित हुए थे।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2002) कि आवासों की सूची के रखरखाव व इसके रजिस्ट्रों के अद्यतन के मामलों के संदर्भ में सभी राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि प्रत्यक्ष सत्यापन सुचारू रूप में हो सके।

14.1 ई आ यो बोर्ड और चिन्ह का प्रदर्शन

संबंधित जि ग्रा वि ए को आवासीय यूनिटों के पूर्ण होने पर, यह आश्वस्त करना था कि लाभार्थी का नाम, निर्माण वर्ष, भारत सरकार का ग्रामीण आवास चिन्ह, आदि को दर्शाता हुआ एक चिन्ह बोर्ड लगा हुआ था। बिहार, हरियाणा (5 जिले), हिमाचल प्रदेश (19 खण्ड), कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा (41 खण्ड), पांडेचरी, पंजाब,

सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में यह कार्य नहीं किया गया था।

15. निगरानी

केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति निगरानी, नियंत्रण निरीक्षण और समीक्षा प्रणाली अपर्याप्त थी।

मंत्रालय कार्यक्रम के (सामग्र निष्पादन की निगरानी), योजना, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्था एवं के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रम की सफलता की निगरानी, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा, आबंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ कि कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा था में बहुतायत मात्रा में किए गए फील्ड दौरों के माध्यम से करना था। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/जि ग्रा वि ए के आवधिक फिजीकल और वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। मंत्रालय बी पी एल परिवारों की कवरेज की प्रगति की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी था।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य स्तर समन्वय समिति (एस एल सी सी) उत्तरदायी थी। समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय का एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से बुलाया जाना था। इस कार्य के लिए, राज्य से खण्ड स्तर तक प्रत्येक निरीक्षण दल के लिए एस एल सी सी द्वारा अनुमोदित एक निरीक्षण शिड्यूल तैयार करना था। इसी प्रकार जिला, उप-प्रखण्ड, और खण्ड स्तर के अधिकारियों से कार्य स्थलों के दौरों के माध्यम से, कार्यक्रम के सभी पहलुओं का नजदीकी से निगरानी करना, आपेक्षित था।

जबकि कार्यक्रम में कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक सक्षम मशीनरी के होने पर जोर दिया गया था फिर भी केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अपर्याप्त निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी के मामले पाए गए। मंत्रालय, राज्य सरकारों/ जि ग्रा वि ए द्वारा भेजी जा रही प्रगति रिपोर्टों से फिजीकल और वित्तीय आकड़ों का संकलन कर रहा था किन्तु इन रिपोर्टों में इंगित की गई अनियमितताओं/कमियों पर लिए गए किसी तरह की अनुवर्ती कार्रवाई का कोई सबूत नहीं था। 1997-2002 के दौरान क्षेत्र अधिकारियों द्वारा किए गए फील्ड दौरे/निरीक्षण अपर्याप्त थे क्योंकि सभी क्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में आबंटित राज्यों का दौरा नहीं किया था। शहरी और ग्रामीण विकास की स्थायी समिति (12 वी. लोकसभा) की पांचवी रिपोर्ट (1998-99) ने चिंता जाहिर करते हुए पाया कि सरकार, क्षेत्र अधिकारी योजना के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही। जिसके कारण कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में गंभीर कमियाँ हुई तथा निधि का कम उपयोग हुआ।

झारखंड और नागालैंड में एस एल सी सी नहीं बनाई गई हरियाणा, महाराष्ट्र और सिक्किम में 1997-2002 के दौरान एस एल सी सी की केवल एक या दो बार बैठक हुई। उड़ीसा में, 1997-2002 के दौरान केवल तीन बैठक हुई। राजस्थान और त्रिपुरा में कोई बैठक नहीं हुई थी या हुई बैठकों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर कोई समिति नहीं बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम की निगरानी एस एल सी सी द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि कार्यक्रम का

क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश आवास निगम के माध्यम हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल (3 जिले) में निरीक्षण शिड्यूल नहीं बनाए गए थे या निरीक्षण ही नहीं किया गया था। असम और मध्य प्रदेश में किए गए निरीक्षण कार्य संबंधित दस्तावेज नहीं बनाए गए थे या प्रस्तुत नहीं किए गए। दादर और नागर हवेली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निर्धारित फिजीकल और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थी या अनियमित रूप से प्रस्तुत की गई थी। किन्तु मिजोरम में, रिपोर्टों तथा रिटर्नों के संकलन और इकट्ठा करने के लिए निगरानी हेतु कोई विस्तृत प्रभावी प्रणाली नहीं की गई थी।

16. मूल्यांकन/मूल्यांकन प्रभाव

असम को छोड़कर सभी राज्यों में समग्र मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए थे।

मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा यह पता लगाने के लिए कि ग्रामीण आवास समस्या को कम करने में कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहा है तथा लक्ष्य प्राप्ति निवेश के अनुरूप थी, समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन करवाने थे तथापि असम के अलावा जहाँ कि योजना और विकास विभाग ने समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन कराए तथा विभिन्न कमियों को इंगित किया, अन्य किसी भी राज्य में मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया। ग्रामीण विकास विभाग ने 1998-99 के दौरान सभी राज्यों में इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य अनुसंधान संगठनों को सौंपा, जिसकी रिपोर्ट मंत्रालय को वर्ष 2000 में प्रस्तुत की। इस मूल्यांकन से लाभार्थियों की चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा सदस्यों/विधानसभा के सदस्यों का शामिल होना, निर्माण कार्य में ठेकेदारों ओर विभागीय एंजेसियों के माध्यम से होना, धुआँरहित चुल्हे और सेनेटरी शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान न होना, निर्माण लागत का संस्वीकृत लागत से अधिक होने के मामले, पुरुष सदस्यों के नाम आबंटन आदि मामले उजागर हुए।

17. उपसंहार

ग्रामीण आवास योजनाएँ, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आश्रयहीनता को समाप्त करने के उद्देश्य को इच्छित स्तर तक प्राप्त करने में, उपरोक्त चर्चित पैरो में बताई गई कमियों के कारण, अधिकांश रूप से असफल रही।

संक्षेप में :

- विभिन्न आवासीय योजनाओं को, उचित संबद्धता के बिना लागू करने के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तथा घटिया समन्वय रहा। किसी एक व्यापक योजना के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य नहीं किया गया।

- योजना के लक्ष्यों में सुधार अपेक्षित था। क्योंकि 58.56 करोड़ रुपये अयोग्य लाभार्थियों पर व्यय किए गए।
- निर्माण कार्य में एक बड़े स्तर पर ठेकेदारों के माध्यम से आवासों को बनवाना योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत था जोकि लाभार्थियों का, क्रियाकलापों में शामिल करने के उद्देश्य को असफल बनाता है।
- क्रियान्वयन की निगरानी क्रियाविधि रूप से की गई थी जोकि सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करता।
- पहले के मूल्यांकनों में इंगित कमियां जारी थी जोकि सम्मिलित मामलों का पता लगाने वाली संबंधित एजेंसियों के कार्य करने की इच्छा और योग्यता पर प्रश्न उठाती है।


नई दिल्ली
दिनांक: 7 मार्च, 2003



(हरप्रसाद दास)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 7 मार्च, 2003



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses.

संलग्नक -I
(पैराग्राफ 5 देखें)
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	नमूना परीक्षण किए गए जिला की संख्या	नमूना परीक्षण किए गए जिलों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	6	पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कुरनूल, चित्तूर खम्माम, अदिलाबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	4	लोहित, पश्चिमी सियांग, पूर्वी सियांग, निचला सुबन्सिरी
3.	असम	23	6	बोर्गाईगांव, सोनितपूर, डिब्रूगढ़, कचर, कारबी आंगलॉंग जोरहाट
4.	बिहार	37	9	भागलपुर, भोजपूर, कटिहार, पूर्वी चंपारन, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, वैशाली, नालंदा
5.	छत्तीसगढ़	16	4	सरगूजा, बिलासपुर, कांकेर, राजनन्दगांव
6.	दादर और नागर हवेली	1	1	दादर और नागर हवेली
7.	दमन व दीव	2	1	दमन
8.	गोवा	2	2	दक्षिणी गोवा व उत्तरी गोवा
9.	गुजरात	25	7	सूरत, पंचमहल, राजकोट, वल्लड, भरुच, बनसकांथा, जामनगर
10.	हरियाणा	19	5	फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर
11.	हिमाचल प्रदेश	12	5	बिलासपुर, मंडी, सिरमोर, हमीरपुर, शिमला
12.	जम्मू और कश्मीर	14	4	जम्मू, राजौरी, पून्च, श्रीनगर
13.	झारखंड	22	6	देवगढ़, धनबाद, डुमका, पूर्वी सिंहाभूम, गुमला और रांची
14.	कर्नाटक	27	8	बेलगाम, बेल्लारी, बीजापूर, गुलबर्ग, हसन, कोलार, मैसूर, शिमोगा
15.	केरल	14	4	तिरुवनन्तपुरम, इर्नाकुलम, थ्रिसूर, पलक्कड,
16.	मध्य प्रदेश	45	11	भिंड, दिवास, गूना, होशंगाबाद, झबुआ, जबलपुर, खंडवा, रिवा, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा
17.	महाराष्ट्र	33	10	अहमदनगर, बिद, धूले, नासिक, नागपुर, पूने, शोलापुर, रायगड., थाणे, यावतमल
18.	मणिपुर	9	4	पश्चिमी इम्फाल, चन्देल, चुराचंदपुर, उखरूल
19.	मेघालय	7	2	पूर्वीखासी पहाडिया, पश्चिम गारो पहाडिया
20.	मिजोरम	8	3	आइजोल, सेहा, लुंगलेई

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	नमूना परीक्षण किए गए जिला की संख्या	नमूना परीक्षण किए गए जिलों के नाम
21.	नागालैंड	8	4	कोहिमा, फेक, दीमापुर, मोन
22.	उड़ीसा	30	9	पुरी, कटक, गंजम, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, क्योंझार, कालाहान्डी, कोरापुट
23.	पोंडिचेरी	1	1	पोंडिचेरी
24.	पंजाब	17	4	अमृतसर, रोपड़, फिरोजपुर, पटियाला
25.	राजस्थान	32	7	अलवर, बासवाड़ा, बीकानेर, कोटा, चुरू, नागौर, उदयपुर
26.	सिक्किम	4	4	पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सिक्किम
27.	तमिलनाडू	28	7	नागापट्टिनम, कुडलोर, कोयम्बतूर, सेलम, मदुराई, थेनी, विल्लूपुरम
28.	त्रिपुरा	4	4	पश्चिमी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा, ढलाइर्
29.	उत्तर प्रदेश	70	14	आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़ बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, गोंडा, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, लखीमपुर, खीरी, मेरठ, राय बरेली, सुल्तानपुर
30.	उत्तरांचल	13	4	पौड़ी, देहरादून, नैनीताल और उधमसिंह नगर
31.	पश्चिम बंगाल	17	11	बीरभूम, बर्दवान, कूच बिहार, हुगली, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, पुरुलिया, दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर
कुल जोड़		575	171	

संलग्नक -II
(पैराग्राफ 8 देखें)

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवधि 1997-2002 का वित्तीय निष्पादन

(लाखों में रुपये)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आदि शेष	आबंटन	केन्द्रीय विमोचन	राज्य विमोचन	कुल विमोचन	उपयोग
1.	अण्डमान और निकोबार	0.00	493.14	347.82	-	347.82	245.56
2.	आन्ध्र प्रदेश	6424.43	66831.22	59302.89	18174.37	77477.26	74665.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	201.74	3045.49	2110.62	685.06	2795.68	2767.64
4.	असम	366.52	69004.19	38553.92	12190.03	50743.95	38091.66
5.	बिहार	3441.83	190231.42	105975.80	32107.87	138083.67	142448.67
6.	छत्तीसगढ़	--	5416.31	3942.20	1314.07	5256.27	5971.11
7.	दादर और नागर हवेली	19.54	282.46	126.49	-	126.49	101.02
8.	दमन व दीव	8.27	101.97	34.22	-	34.22	23.05
9.	गोवा	100.59	416.48	223.16	67.67	290.83	328.30
10.	गुजरात	0.00	21222.19	24423.96	7564.02	31987.98	22021.20
11.	हरियाणा	0.00	7956.63	6785.95	2029.17	8815.12	8840.53
12.	हिमाचल प्रदेश	19.67	3371.11	2927.07	877.31	3804.38	3534.28
13.	जम्मू और कश्मीर	721.97	4367.76	2967.15	848.48	3815.63	4104.62
14.	झारखंड	--	24237.93	8055.67	2685.22	10740.89	16220.57
15.	कर्नाटक	2072.92	39294.11	25297.23	7475.94	32773.17	39776.31
16.	केरल	322.89	20797.83	14705.29	4455.15	19160.44	18671.92
17.	लक्षदीप	28.05	36.30	6.12	-	6.12	43.57
18.	मध्य प्रदेश	5536.51	62729.55	49396.05	14291.41	63687.46	69717.81
19.	महाराष्ट्र	0.00	70502.86	54695.06	16263.89	70958.95	93960.71
20.	मणिपुर	285.78	3492.36	1058.03	334.36	1392.39	963.87
21.	मेघालय	0.00	4717.29	1797.48	582.00	2379.48	1906.71
22.	मिजोरम	0.00	1163.98	863.58	276.18	1139.76	1137.88
23.	नागालैंड	344.14	3087.96	2907.36	894.95	3802.31	3014.32
24.	उड़ीसा	2373.47	58135.34	108637.46	34740.09	143377.55	98653.85
25.	पोंडिचेरी	76.29	309.06	248.17	-	248.17	404.72
26.	पंजाब	377.75	4828.39	3677.96	1106.94	4785.00	4884.92
27.	राजस्थान	2129.72	24790.05	19056.29	5592.94	24649.23	27566.43
28.	सिक्किम	0.00	805.40	602.34	188.67	791.01	938.70
29.	तमिलनाडू	1012.60	42875.87	36245.54	10658.25	46903.79	75693.35
30.	त्रिपुरा	0.00	6756.24	5605.32	1801.80	7407.12	6996.88

(लाखों में रुपये)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आदि शेष	आबंटन	केन्द्रीय विमोचन	राज्य विमोचन	कुल विमोचन	उपयोग
31.	उत्तर प्रदेश	4900.16	153726.69	119413.29	35174.70	154587.99	142240.82
32.	उत्तरांचल	--	5947.09	2792.17	930.73	3722.90	4764.55
33.	पश्चिम बंगाल	5458.65	72492.46	39730.79	12334.42	52065.21	53135.69
कुल		37223.48	973467.13	74512.45	225645.69	968158.24	963836.53

संलग्नक -III
(पैराग्राफ 8.1 देखें)

कार्यान्वित एजेन्सीओं को कम राशि जारी / राशि जारी नहीं की गई

राज्य	जिला	किसके द्वारा कम जारी की गई	योजना	वर्ष	राशि (लाख रुपये में)	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	2001-2002	2025.00	राज्य अंश कम जारी किया
असम	(i) राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	11593.56	राज्य अंश कम जारी किया। अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण निधि का आहरण नहीं किया जा सका।
	(ii) राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	170.98	512.95 लाख रु के केन्द्रीय अंश के विरुद्ध राज्य अंश जारी नहीं किया गया।
गोवा	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	2001-2002	7.67	राज्य अंश कम जारी किया।
गुजरात	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	2001-2002	843.00	राज्य अंश 2.46 करोड़ कम जारी किया और 5.97 करोड़ रु अतिरिक्त सहायता जो राज्य में धोषित की, जारी नहीं किया क्योंकि खजाने के बिलों का भुगतान नहीं हुआ।
महाराष्ट्र	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	4855.84	राज्य अंश कम जारी किया।
	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	पी एम जी वाई	मार्च 2000 और जनवरी 2002 के बीच	521.00	केन्द्रीय अनुरूपयोजी निधि का कम जारी किया।
मेघालय	जि ग्रा वि ए, पश्चिमी गारो पहाड़िया तूरा और पूर्वी खासी पहाड़िया शिलांग	राज्य सरकार	ई आ यो	2001-2002	42.04	राज्य अनुरूपयोजी अंश कम जारी किया।
नागालैंड	राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	2000-2002	194.70	राज्य अंश कम जारी किया।
उड़ीसा	(i) राज्य स्तरीय	मंत्रालय	ई आ यो	2001-2002	43411.86	केन्द्रीय निधि का कम जारी करना।
	(ii) राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	ई आ यो	2001-2002	6095.83	राज्य अंश कम जारी किया।
	(iii) राज्य स्तरीय	मंत्रालय	सी सी एस	1999-2001	734.79	केन्द्रीय निधि का कम जारी किया।
	(iv) राज्य स्तरीय	राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2001	244.93	राज्य अंश का कम जारी करना।
कुल					70741.20	

संलग्नक -IV
(पैराग्राफ 8.2 देखें)

कार्यान्वित / निष्पादन कराने वाली एजेसियों को निधि के विमोचन में विलम्ब

राज्य	किसके द्वारा विमोचन	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर, काकीनाडा और खम्माम जिले	ई आ यो	1997-1998	521.32	1 से 8	विलम्ब से केन्द्रीय निधि का जारी करना
असम	(i) राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	1661.93	1 से 21	राज्य अनुरूपयोगी अंश विलम्ब से जारी करना
	(ii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2001	1346.78	17	केन्द्रीय निधि का विलम्ब से जारी करना
गुजरात	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	2257.00	3 तक	राज्य अंश का विलम्ब से जारी करना
हरियाणा	(i) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-01	125.85	10	केन्द्रीय निधि का विलम्ब से जारी करना
	(ii) राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	1438.61	8 तक	राज्य अनुरूपयोगी अंश का विलम्ब से जारी करना
	(iii) राज्य सरकार	ई आ यो	31 मार्च 1997 को	68.61	12	जि ग्रा वि ए को विलम्ब से अतिरिक्त निधि जारी करना
	(iv) जि ग्रा वि ए फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत व यमुना नगर	ई आ यो	1997-2002	1208.29	1 से 7	कार्यान्वयन एजेन्सीज को विलम्ब से राशि देना
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	267.76	1 से 5	राज्य अनुरूपयोगी अंश विलम्ब से जारी किया।
कर्नाटक	राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2002	1313.47	4 से 7	केन्द्रीय निधि का विलम्ब से जारी करना
केरल	राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	38.38	18	राज्य अनुरूपयोगी अंश
महाराष्ट्र	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	20749.05	9 तक	राज्य अनुरूपयोगी अंश
मणिपुर	राज्य सरकार	ई आ यो	1998-2002	221.00	3 से 10	राज्य अनुरूपयोगी अंश
मेघालय	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2001	172.84	4 से 17	राज्य अनुरूपयोगी अंश
मिजोरम	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	226.71	7 तक	राज्य अनुरूपयोगी अंश

राज्य	किसके द्वारा विमोचन	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	टिप्पणी
नागालैंड	राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2002	538.83	7	केन्द्रीय निधि का विलम्ब से जारी करना
उड़ीसा	(i) जि ग्रा वि ए कटक, गंजम, जगतसिंहपुर, कलाहाडी, क्योमार, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, सुंदरगढ़	ई आ यो	1997-2002	30199.78	8 महीने तक	खंड / ब्लाक को विलम्ब से धन देना
	(ii) राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2001	3939.66	--	राज्य अंश प्रत्येक वर्ष का अगले वर्ष जारी करना
	(iii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2002	1478.25	6	केन्द्रीय निधि का विलम्ब से जारी करना
पंजाब	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	200.28	1 से 26	राज्य अनुरूपयोजी अंश
राजस्थान	(i) राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	1897.00	3	राज्य अनुरूपयोजी अंश को विलम्ब से जारी करना
	(ii) जि ग्रा वि ए अलवर, चूरू, नागौर, उदयपुर	ई आ यो	1997-2002	1034.98	12 तक	ग्राम पंचायतों को विलम्ब से धन देना
	(iii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2002	2169.00	4 तक	केन्द्रीय निधि विलम्ब से जारी की गई।
	(iv) राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	34.21	4	राज्य अनुरूपयोजी अंश
उत्तरांचल	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	342.63	1 से 9	राज्य अनुरूपयोजी अंश
पश्चिम बंगाल	(i) राज्य सरकार	ई आ यो	1997- 1999 और 2000-01	580.52	2 तक	छः जिलों को - बीरभूम, बर्दवान, हुगली, मिदनापुर, मुशीर्दाबाद और उत्तरी 24 परगना को राज्य अंश विलम्ब से देना
	(ii) जिला परिषद कूच बिहार, हुगली, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना	ई आ यो	1997-2001	3080.44	5 तक	ग्राम पंचायतों को विलम्ब से धन दिया गया।

राज्य	किसके द्वारा विमोचन	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	टिप्पणी
	(iii) राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	108.28	29 तक	चार जिला परिषदों - बर्दवान, मिदनापुर, मुशीर्दाबाद और नाड्डिया को केन्द्रीय निधि का विलम्ब से दिया गया।
	(iv) राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	36.09	28 तक	राज्य अनुरूपयोजी अंश
कुल				77257.55		

सलग्नक -V (क)

(पैराग्राफ 8.3(i) देखें)

निधि का योजना से असम्बन्धित गतिविधियों में स्थानान्तरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिले	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	(i) राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2002	2048.00	केन्द्रीय सहायिकी को जिले प्रबन्धको द्वारा राज्य प्रायोजित ग्रामीण स्थायी आवास योजना में लगाना।
	(ii) प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम	ई आ यो	1999-2002	6773.00	राज्य योजना के अंतर्गत निर्मित 1.29 लाख मकानों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित शामिल किया गया।
	(iii) आईटी डी ए रामपाधोदावरम्, पूर्वी गोदावरी जिला	ई आ यो	1998-1999	18.80	94 आगनवाडी केन्द्रों का निर्माण
	(iv) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2002	3906.00	जिला प्रबन्धकों द्वारा राज्य प्रायोजित अन्य योजना ग्रामीण स्थायी आवास योजना में राशि का पथांतरण
अरुणाचल प्रदेश	(i) जि ग्रा वि ए, जिरो	ई आ यो	1998-1999	6.33	ज रो यो के वित्तीय घाटे को पूरा किया
	(ii) जि ग्रा वि ए, पसीघाट	ई आ यो	1997-1998	2.91	अन्य जि ग्रा वि ए को धन दिया।
	(iii) ग्रामीण विकास विभाग	पी एम जी वाई	2000-2002	511.28	अन्य गतिविधियों में धन लगाया।
असम	(i) सोनितपुर	ई आ यो	2000-2001	41.78	41.78 लाख रुपये की सामग्री को अन्य योजनाओं में लगाया गया।
	(ii) पी डी, जि ग्रा वि ए सोनितपुर	ई आ यो	2000-2001	7.93	सामान खरीदा और अन्य योजना - ई एस में लगा दिया
	(iii) जि ग्रा वि ए, जोरहाट	ई आ यो	1997-2001	197.94	ज रो यो, ई ए एस व एम डब्ल्यू एस में अंतरण
	(iv) जि ग्रा वि ए, डिबरूगढ़	ई आ यो	----	0.24	ई ए एस, एम डब्ल्यू एस में लगाया।
	(v) 6 जिले	ई आ यो	1997-2002	177.91	प्रशासनिक खर्चों में धन लगाया।
	(vi) 6 जिले	सी सी एस	1999-2002	76.25	4 परियोजना निदेशकों ने योजना का धन वेतन, प्रशासनिक खर्चों और आकस्मिक खर्चों में लगाया।
बिहार	(i) जि ग्रा वि ए, पटना	ई आ यो	1997-2002	942.00	अन्य योजना बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना में धन लगाया।
	(ii) 3 जिले	ई आ यो	1997-2002	17.27	दूरभाष, वाहनों की मरम्मत व रखरखाव, मजदूरी और दफतर के खर्च किये
छत्तीसगढ़	(i) जिला परिषद अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनंदगांव	ई आ यो	1997-2000	101.25	प्रशासनिक खर्च
	(ii) जिला पचायत अम्बिकापुर	ई आ यो	1997-2001	143.00	ई ए एस, आई आर डी पी, ज रो यो में धन लगाया।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिले	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	टिप्पणी
	(iii) जिला परिषद, बस्तर	ई आ यो	2000-2001	265.50	जिला परिषद कांकेर और दांतेवारा में राशि का पंथांतरण
गुजरात	(i) 5 जि गा वि ए	ई आ यो	1997-2000	93.91	प्रशासनिक खर्च
	(ii) जि ग्रा वि ए, सूरत	ई आ यो	जुलाई 1997	1.68	जीप खरीदी
जम्मू और कश्मीर	(i) सहायक आयुक्त (विकास) जम्मू, खंड विकास अधिकारी पुरमडल अखनूर साम्बरा और बिशनाह	ई आ यो	1996-1999	29.68	शहरी क्षेत्रों में धन लगाया।
	(ii) सहायक आयुक्त (विकास) लेह, जम्मू राजौरी और 13 खंड विकास अधिकारी	ई आ यो	1997-2001	4.74	वाहनों की खरीद, आकस्मिक व्यय और प्रशासनिक खर्च।
झारखंड	(i) दुमका, गुमला और रांची जिले	ई आ यो	1997-2002	165.91	अन्य योजनाओं में निधि का पंथांतरण। मार्च 2002 को 92.36 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति शेष है।
	(ii) देवघर और धनबाद जिला	ई आ यो	1997-2002	8.90	दूरभाष बिल, वाहनों की मरम्मत/कार्यालय का रख रखाव के खर्च।
	(iii) जि ग्रा वि ए रांची	ई आ यो	1999-2002	18.60	फैनसिंग दीवार, चार दिवारी और सुरक्षा दीवारों इत्यादि का निर्माण।
	(iv) धनबाद जिला का बलियापुर खंड	ई आ यो	2000-2001	5.39	पेट्रोल, डीजल और वाहनों की मरम्मत इत्यादि।
कर्नाटक	(i) तालुका सिंदगी और सूरपुर	ई आ यो	1998-2001	67.47	अन्य योजनाएं। जुलाई 2002 को राशि असमायोजित रही।
	(ii) तालुक ननजुमगुड, पेस्थिपटना और सिंदगी	ई आ यो	1997-2001	67.97	67.97 लाख रुपये का सामान राज्य की अन्य योजनाओं पर खर्च किया। दो तालुक पंचायतों की कार्यपालक अधिकारियों को निलम्बित किया गया।
	(iii) राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम	सी सी एस	1999-2002	210.78	राज्य की ग्रामीण आवास योजनाओं पर धन लगाया गया।
केरल	(i) जि ग्रा वि ए इनाकूलम	ई आ यो	1998-1999	1.27	आई आर डी पी में धन का पंथांतरण।
	(ii) जि ग्रा वि ए, शिसूर	ई आ यो	1998-1999	4.40	प्रशासनिक खर्च जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा खर्च खचारे, बैठक और सम्मेलन इत्यादि के खर्च
	(iii) खंड विकास अधिकारी, अंकामली	ई आ यो	1999-2000	0.08	गलीचों की खरीद
	(iv) खंड विकास अधिकारी, अंकामली	ई आ यो	1998-1999 से 2000-2001	19.54	ज रो योजना, एम डब्ल्यू एस, सी आर एस पी, जिला पंचायत निधि में धन लगाया।
मध्य प्रदेश	(i) सी ई ओ, जिला पंचायत झंबुआ	ई आ यो	1998-1999 से 2000-2001	125.93	सोलर कुकर, सिंगडी, लालटेन, मच्छरवानी, पानी की टंकी को लाभार्थियों के लिए खरीदे।
	(ii) जिला पंचायत, खंडवा	ई आ यो	2000-2001	12.83	चबूतरो का निर्माण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिले	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	टिप्पणी
महाराष्ट्र	(i) जि ग्रा वि ए, नासिक, 3 प्रंचायत समिति	ई आ यो	1997-1998 से 1999-2001	94.48	ज रो या, आई आर डी पी और जे जी एस वाईमें धनराशि का पंथातरण।
	(ii) जि ग्रा वि ए, थाणे, नागपुर, अहमदनगर, पुणे	ई आ यो	1997-2002	62.29	स्थापना का खर्चा
	(iii) जि ग्रा वि ए नागपुर और यवतमल	ई आ यो	2000-2002	1.18	पंचायत समिति भवन का निर्माण
	(iv) जि ग्रा वि ए, नागपुर	ई आ यो	1998-2000	48.00	ज रो यो में धन लगाया।
मणिपुर	राज्य सरकार	ई आ यो	1997-1998	31.00	बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना में धन लगाया
	(ii) जि ग्रा वि ए, चंदेल	ई आ यो	1998-1999	1.72	ज रो यो में राशि का पंथातरण।
	(iii) जि ग्रा वि ए, चंदेल	ई आ यो	1999-2000	2.70	विभागीय कार्यों पर खर्चा किया।
मिजोरम	(i) जि ग्रा वि ए आइज़ावल और लुंगलई	ई आ यो	1997-2002	44.72	शहरी क्षेत्रों में धन लगाया।
	(ii) जि ग्रा वि ए, आइज़ावल और लुंगलई	पी एम जी वाई	2000-2002	49.83	शहरी क्षेत्रों में धन लगाया।
नागालैंड	(i) जि ग्रा वि ए, फैंक	पी एम जी वाई	2000-2002	0.50	3 विद्यालयों को सी जी आईशीट्स दी गई।
	(ii) खंड विकास अधिकारी, फैंक जिला	पी एम जी वाई	2000-2002	1.35	गैर सरकारी गंगठनों को सी जी आईशीट्स दी गई।
उड़ीसा	(i) जि ग्रा वि ए, मयूरभंज	ई आ यो	मई 1999	12.61	सुखा राहत कार्यों में धन लगाया।
	(ii) जि ग्रा वि ए, गंजम	ई आ यो	2000-2002	0.72	लेखा-सामग्री की खरीद।
पांडिचेरी	2 खंड	ई आ यो	1997-2002	251.00	शहरी क्षेत्रों में धन खर्च किया।
पंजाब	जिला परिषद अमृतसर	ई आ यो	दिसम्बर 2000 से फरवरी 2001	13.78	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में धन लगाया।
राजस्थान	जि ग्रा वि ए, बांसवाड़ा	ई आ यो	1999-2000	0.50	फनीचर की खरीद।
तमिलनाडू	(i) जि गा वि ए मदुराई, सेलम और पंचायत संघ, तिरुपराकुद्रम	ई आ यो	जून 1997 और जनवरी 2000 के बीच में	184.03	ईए एस जे वी वी टी और बी एम एस में एक से 17 महीने तक राशि का पंथातरण। 169.67 लाख रुपये की मार्च 2002 को प्रतिपूर्ति की गई।
	(ii) पंचायत संघ, तिरुवेन्नाइर्नालूर	ई आ यो	नवम्बर 2000 और मार्च 2001 के बीच में	1.95	पी एम जी वाई, जे जी एस वाई, जे वी वी टी और अन्य कार्यों में धन लगाया।
	(iii) जि ग्रा वि ए	ई आ यो	1998-2002	2.39	गोदाम का किराया, कार्यालय की जीप की

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जिले	योजना	वर्ष	राशि (लाखों में रुपये)	टिप्पणी
	कोयम्बतूर				मरम्मत और इर्धन प्रभार।
	(iv) 2 पंचायत संघ	ई आ यो	---	0.30	तकनीकी सहायकों का पर्याक्षण प्रभार।
	(v) 3 पंचायत संघ	ई आ यो	---	3.26	बीमा कम्पनी को मकानों का बीमा और प्रीमियम के लिए भुगतान किया गया।
	(vi) 3 पंचायत संघ	ई आ यो	---	0.26	विद्युत कनेक्शन की जमा राशि।
	(vii) 21 पंचायत संघ	ई आ यो	1997-2002	231.00	धनराशि का अन्य कार्यों में लगाना।
	(viii) तजावूर	आईएस आर एच एच डी	1999-2002	20.85	सम्मेलन हाल, शॉपिंग केन्द्र, सड़कों इत्यादि पर खर्च किया।
त्रिपुरा	(i) 3 खंड विकास अधिकारी	ई आ यो	1997-2002	8.31	विविध कार्यालय खर्च, कार्यालय वाहनों का किराया, टाइप राईटर और स्टेशनरी पर खर्च।
	(ii) खंड विकास अधिकारी बिशालगढ़ और डूकली	ई आ यो	1998-1999 और 2001- 2002	5.23	5.23 लाख रुपये की राशि सी जी आईशीट्स स्टालों के निर्माण व मरम्मत, समिति हाल, अस्थायी शेड्स इत्यादि पर लगाई।
पश्चिम बंगाल	(i) जिला परिषद उत्तरी 24 परगना	ई आ यो	--	3.88	विद्युत बिलों का भुगतान, कार का किराया, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी।
	(ii) जिला परिषद दक्षिणी 24 परगना	ई आ यो	--	1.78	अन्य विकास कार्य
जोड़				17156.09	

संलग्नक -V (ख)
(पैराग्राफ 8.3(ii) देखें)

पार्किंग/अखर्चित निधि

(लाखों में रुपये)

राज्य	जिला	ई आ यो	वर्ष	राशि	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	राज्यस्तरीय	ई आ यो	1998-2002	24646.00	जिला प्रबन्धक आ पु रा आ नि ने मकान बनाने की राशि को बिना ब्याज के खाते में रखा।
असम	6 जि ग्रा वि ए	सी सी एस	1999-2000	61.01	राशि जि ग्रा वि ए के बैंक खातों में मार्च 2002 को बिना उपयोग किए पड़ी रही।
बिहार	(i) खंड विकास अधिकारी मुशाहारी, मुजफ्फरपुर जिला	ई आ यो	फरवरी 2002	3.22	मुजफ्फरपुर के कोष में राशि रखी रही।
	(ii) 2 खंड विकास अधिकारी भागलपुर जिला	ई आ यो और पी एम जी वाई	2001-2002	146.27	राशि निजी सहकारी समिति के पास रखी। 60.61 लाख रुपये की मई 2002 को प्रतिपूर्ति की गई।
	(iii) खंड विकास अधिकारी और सिकिल अधिकारी, नवादा	ई आ यो	1997-2002	92.17	स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कृषि विकास बैंक नवादा के चालू खातों में राशि रखी रही।
छत्तीसगढ़	जि ग्रा वि ए बिलासपुर	ई आ यो	जुलाई 1997 और सितम्बर 1998 के बीच में	161.14	राशि को मयादी जमा खाते में रखा गया। शेष को में रोकड बडी में घटाया गया, लेकिन रोकड बही में इस राशि का कोई उल्लेख नहीं था और न ही रोकड बही में अन्तः शेष में शामिल था।
गुजरात	(i) जि ग्रा वि ए, सूस्त और गोधरा	ई आ यो	1997-98	757.00	पी एल खाते में राशि रखी गई।
	(ii) जि ग्रा वि ए, पालनपुर	ई आ यो	--	9.00	ब्याज की राशि जो मार्च 2000 तक दिखाई गई उसको जमा खाते में रखी गई।
हरियाणा	(i) 5 जिलों की 28 कार्यस्त ऐजन्सियाँ	ई आ यो	1997-2002	107.00	मार्च 2002 को बिना उपयोग की गई राशि पड़ी रही।
	(ii) राज्य स्तरीय	ई आ यो	मार्च 1997	68.61	राज्य सरकार के खाते में राशि रखी रही। मार्च 1998 में जि ग्रा वि ए को जारी की गई।
	(iii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	मार्च 2000	125.85	राज्य सरकार के खाते में राशि रखी रही। फरवरी 2002 में जि ग्रा वि ए को जारी की गई।
हिमाचल प्रदेश	विलासपुर मंडी सिरमोर हमीरपुर और शिमला जिले	ई आ यो	1997-2002	23.97	ब्याज की राशि बचत खातों में रखी गई
झारखंड	राज्य स्तरीय	सी सी एस	1999-2002	404.09	मार्च 2002 को राशि बिना उपयोग किए पड़ी रही।
कर्नाटक	गुलबर्गा जिला	ई आ यो	2001-2002	18.00	ब्याज की राशि का उपयोग नहीं किया तथा इस राशि को अलग बैंक के खाते में रखा गया।

राज्य	जिला		वर्ष	राशि	टिप्पणी
केरल	(i) इर्नाकुलम का खंड वाइपीन	ई आ यो	मार्च 2002 को	55.26	राशि को व्यक्तिगत खाता, मियादी खाता और ब्याज रहित खाता में रखा गया।
	(ii) खंड अधिकारी, वेंमानपुर तिरुवनंतपुरम,	ई आ यो	मई 1998 से फरवरी 2002	123.41	राशि को ब्याज रहित बचत खाता में दो सेवा सहकारी बैंक में रखा गया।
	(iii) खंड अधिकारी मालमपूझा, पलक्कड	ई आ यो	2001-2002	13.71	राशि को मार्च 2002 तक ब्याज रहित चालू खाते में रखा गया।
	(iv) राज्य स्तरीय	पी एम जी वाई	2000-2001	518.10	मार्च 2002 तक राशि का उपयोग राज्य ने नहीं किया।
	(v) जि ग्रा वि ए पलक्कड और तिरुवनंतपुरम	सी सी एस	1999-2000	20.00	मार्च 2002 तक राशि बिना उपयोग के पड़ी रही।
महाराष्ट्र	(i) 3 जिलों के 4 पी एस और वी पी	ई आ यो	1997-2002	17.26	जो ब्याज कमाया उसको जि ग्रा वि ए खाते में नहीं जमा किया।
	(ii) 17 पंचायत समिति 4 जिलों के	ई आ यो	1997-2000	62.76	प्रस्ताव का निरस्तीकरण होने से पंचायत समिति के पास राशि दो वर्ष से अधिक पड़ी रही, लाभभोगी बी पी एल में नहीं थे, मृत्यु इत्यादि।
	(iii) पंचायत समिति हवेली, पुणे जिला	ई आ यो	1996-1997	5.77	नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में अंतरण (सितम्बर 1997) के कारण मकान पूरे न बनने से राशि पंचायत समिति के पास पड़ी रही।
	(iv) राज स्तरीय	पी एम जी वाई	मार्च 2000 और जनवरी 2002 के बीच	1368.00	खजाने में राशि पड़ी रही। खजाने ने कोई भी बिल जो जि ग्रा वि ए ने प्रस्तुत किये उसको स्वीकार नहीं किया।
	(v) नागपुर जिले के 13 खंड	सी सी एस	सितम्बर 2000	8.95	जि ग्रा वि ए ने 13 खंड विकास अधिकारियों को 9.10 लाख रु बैंक की संस्वीकृति के बिना जारी किए। केवल 2 मामले 15000 रु की सहायिकी के संस्वीकृत किए गए। शेष राशि खंड विकास अधिकारियों के पास पड़ी रही।
	(vi) जि ग्रा वि ए, थाणे	सी सी एस	मार्च 2000 और सितम्बर 2000	50.47 (ब्याज सहित)	बाकी राशि जनवरी 2002 तक जि ग्रा वि ए के पास बिना उपयोग के पड़ी रही।
मणिपुर	(i) मणिपुर राज्य आवासीय बोर्ड	सी सी एस	दिसम्बर 2000	33.38	मार्च 2002 तक बैंक के पास राशि बिना उपयोग के पड़ी रही।
	(ii) जि ग्रा वि ए पश्चिमी इम्फाल	आईएस आर एच एच डी	2000-2002	31.25	मार्च 2002 तक बिना उपयोग के राशि पड़ी रही।
	(iii) 9 जि ग्रा वि ए	पी एम जी वाई	2001-2002	365.00	मार्च 2002 तक राशि बिना उपयोग के पड़ी रही।

राज्य	जिला		वर्ष	राशि	टिप्पणी
मिजोरम	(i) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2000-2001	606.15	606.15 लाख की राशि में से 492.15 लाख रु सिविल जमा खाते में 5 महीने तक रही और 114 लाख रु की राशि 11 महीने तक रही।
	(ii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	2001-2002	606.15	राशि सिविल जमा खाते में वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को रखी।
नागालैंड	(i) जि ग्रा वि ए, मोन	ई आ यो	जून 2001 और अक्टूबर, 2001 के बीच	133.66	मियादी खाते में 4 महीने तक राशि रही।
	(ii) राज्य सरकार	पी एम जी वाई	मार्च 2001 से जूलाई 2001 के बीच	308.45	सिविल जमा खाते में 4 महीने तक राशि रही।
उड़ीसा	(i) 15 जि ग्रा वि ए	ई आ यो	1998-1999 और 2000-2001	557.35	6 से 8 महीने तक सिविल जमा खाते में राज्य की अथोपीयू स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए राशि रखी गई।
	(ii) राज्य सरकार	ई आ यो	1997-2002	28659.95	राशि पी एल खाता में रही। 9 जि ग्रा वि ए ने भी 130.38 करोड़ रुपये पी एल खाते में रखे जिससे 72.40 लाख रु की ब्याज राशि की हानि हुई।
	(iii) 14 पंचायत समिति	ई आ यो	1997-2002	578.57	राशि व्यक्तिगत खाता, डी सी आर, व चालू खाते में रखी रही।
	(iv) 9 जि ग्रा वि ए	ई आ यो	1997-2002	143.28	मार्च 2002 तक ब्याज का राशि बिना उपयोग के रखी रही।
	(v) 18 खंड	ई आ यो	---	40.11	ब्याज की राशि जो कमाईथी उसको जि ग्रा वि ए के खाते में नहीं जमा किया।
	(vi) 2 जि ग्रा वि ए	एस.ए वाई	2000-2002	36.76	मार्च 2002 तक राशि बिना उपयोग के रही।
पंजाब	(i) खंड विकास पी ओ फज़िलका, फिरोजपुर जिला, खंड विकास पी ओ आनन्दपुर साहिब, रोपड़ जिला	ई आ यो	1997-1999	14.60	व्यक्तिगत खाते में राशि रखी रही।
	(ii) बी डी पी ओ, फिरोजपुर	ई आ यो	अप्रैल 2000 और अक्टूबर 2000	1.60	लाभार्थियों के चयन के कारण अप्रैल 2002 तक राशि असंवितरित रही।
	(iii) 4 जि ग्रा वि ए	सी सी एस ए	1999-2002	19.37	मार्च 2002 तक राशि अप्रयुक्त रही।
	(iv) 4 जिलों के 14 बी डी पी ओ	ई आ यो	1997-2001	313.30	खंड विकास और पंचायत अधिकारियों द्वारा राशि को चालू खाते में रखा गया और ई आ यो निधि के लिए अलग से कोई बैंक खाता और रोकड़ बही नहीं बनाई गई।

राज्य	जिला		वर्ष	राशि	टिप्पणी
तमिलनाडु	(i) 89 ग्राम पंचायत	ई आ यो	1997-2000	8.65	राशि बिना उपयोग के पड़ी रही व मार्च 2002 तक जि ग्रा वि ए को वापस नहीं की।
	(ii) 6 जि ग्रा वि ए	सी सी एस ए	1999-2002	55.80	मार्च 2002 तक बैंक में राशि रखी रही।
त्रिपुरा	(i) 4 जि ग्रा वि ए	ई आ यो	अप्रैल 1997 से दिसम्बर 2000	3107.00	जि ग्रा वि ए ने खजाने में सरकारी खाते में जमा कर दी।
	(ii) 4 जिलो के 11 खंड	पी एम जी वाई	2001-2002	76.00	राशि, मार्च 2002 तक खंड विकास अधिकारियों के सामान्य निधियों में बिना उपयोग के पड़ी रही।
	(iii) पश्चिमी त्रिपुरा जिला	पी एम जी वाई	2001-2002	108.00	490 मकान बनाने के लिए जिला जनजाति अधिकारियों को दी गई राशि जून 2002 तक बिना उपयोग के पड़ी रही।
	(iv) जि ग्रा वि ए उत्तरी दलाई और दक्षिणी व पश्चिमी त्रिपुरा	सी सी एस	1999-2002	45.48	परिपालन एजेन्सी के पास मार्च 2002 तक राशि बिना उपयोग के अप्रयुक्त रही।
	(v) 3 डी एम	सी सी एस	अप्रैल 2000	12.33	मई 2002 तक धनराशि बिना उपयोग के रखी रही।
उत्तरांचल	(i) जि ग्रा वि ए पौड़ी देहरादून, नैनीताल उधमसिंह नगर	ई आ यो	1997-2002	21.46	मार्च 2002 तक राशि बिना उपयोग के रखी रही।
	(ii) जि ग्रा वि ए पौड़ी और उधमसिंह नगर	पी एम जी वाई	2000-2002	65.82	व्यक्तिगत खाते में धनराशि रखी गई जो कि मई 2002 तक अप्रयुक्त के रही।
पश्चिम बंगाल	(i) 5 जिला परिषद	ई आ यो	1997-2002	1726.67	राशि बिना उपयोग के पड़ी रही।
	(ii) 4 जिला परिषद	ई आ यो	जनवरी 1996 से मई 1998 के बीच	750.01	24 से 36 महीनों तक विलम्ब से बैंक में बचत खाता खोला गया।
	(iii) राज्य सरकार	सी सी एस	1999-2000	282.09	केन्द्रीय निधि मार्च 2002 तक असंवितरित रही।
	(iv) 4 जिला परिषद	सी सी एस	----	721.88	राशि मार्च 2002 तक बिना उपयोग के रखी रही।
कुल				68297.14	

संलग्नक -VI
(पैराग्राफ 8.4 देखें)

अग्रिम असमायोजित / अप्रयुक्त / अंतिम व्यय मान लिया गया

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	आग्रिम राशि (लाखों रुपये में)	टिप्पणी
असम	जि ग्रा वि ए कारबी आग्लोग	ई आ यो	निर्माता / सपलाइर्	1998-2001	725.73	सामग्री की प्राप्ति हेतू दिया गया अग्रिम अंतिम व्यय मान लिया गया। समायोजन खाता नहीं दिया गया।
हरियाणा	फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुना नगर जिले	सी सी एस	लाभार्थी	1999-2002	34.80	348 लाभार्थियों को 36.20 लाख रुपये दिये गये जिसमें से 34.80 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र जि ग्रा वि ए को अभी तक प्राप्त नहीं हुए।
झारखंड	डी डी सी डुमका	ई आ यो	विभिन्नि खंड	1997-2002	4016.00	अग्रिम को अंतिम व्यय मान लिया गया। मार्च 2002 तक 416 लाख रुपये असमायोजित रहे।
मध्य प्रदेश	सी ई ओ जिला परिषद झबुआ और जबलपुर	ई आ यो	म य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1998-2000	164.71	फरवरी 2002 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए।
उड़ीसा	जि ग्रा वि ए गजंम काला हाडी क्योझार कोरापुट मयूरभंज, पुरी और सुंदरगढ़	ई आ यो	खंड विकास अधिकारी	1997-2001	17039.97	समायोजन किए बिना / उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अग्रिम राशि को अंतिम व्यय दिखाया गया।
पोंडिचेरी	जि ग्रा वि ए पोंडिचेरी	ई आ यो	खंड	1998-2001	71.34	अग्रिम राशि को अंतिम व्यय मान लिया गया। राशि को खर्च नहीं किया गया और न ही वापिस किया गया व विविध प्राप्ती माना गया।
राजस्थान	जि ग्रा वि ए, बांसवाड़ा	ई आ यो	पंचायत समिति, बागिडोरा	1998-2000	22.68	बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए 22.68 लाख रुपये के अग्रिम से 26.81 लाख रुपये समायोजित किये गये।
सिक्किम	जे जी एस वाईप कोष्ठ	ई आ यो	राज्य व्यापारिक निगम	2001-2002	24.07	जी सी आईशीटस की प्राप्ति हेतू अग्रिम भुगतान को अंतिम व्यय मान लिया गया था और समायोजन नहीं हुआ था और न ही सामान प्राप्त हुआ था।

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	आग्रिम राशि (लाखों रुपये में)	टिप्पणी
त्रिपुरा	(i) खंड विकास अधिकारी, विशालगढ़, मातावरी डुकली, मोहनपुर, जिरानिया, मेलाधर, काकरावन	ई आ यो	कार्यपालक अधिकारी	2001-2002	80.07	प गति रिपोर्ट के अनुसार राशि को उपयोग किया दिखाया गया यद्यपि मई 2002 को राशि असमायोजित थी।
	(ii) 11 खंड	पी एम जी वाई	कार्यपालक अधिकारी	2000-2002	99.00	मई 2002 को अग्रिम भुगतान का समायोजन नहीं हुआ।
पश्चिम बंगाल	पंचायत समिति कालना, बलरामपुर, बर्दवान और पुरुलिया जिलों के अन्तर्गत	ई आ यो	पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र, विकास निगम	मार्च 1998 और मार्च 2000 के बीच	2.73	10.22 लाख रु के अग्रिम राशि में से जुलाई 2002 को 2.73 लाख रु असमायोजित रहे।
कुल जोड़					22281.10	

संलग्नक -VII
(पैराग्राफ 8.5 देखें)

गलत / अधिक वित्तिय रिपोर्टिंग

(लाखों में रुपये)

राज्य	जिले / खंड	योजना	वर्ष	रिपोर्ट की गई अधिकता	टिप्पणियां
असम	6 जिले	ई आ यो	1997-2001	1078.14	उपयोगिकता प्रमाण पत्र के आधार पर परियोजना निदेशकों द्वारा अधिक व्यय दर्शाया गया।
बिहार	2 जिले के 7 खंड	ई आ यो	1997-2002	97.00	रोकड़ बही में अधिक व्यय दर्शाया गया।
छत्तीसगढ़	(i) जि ग्रा वि ए अम्बिकापुर बिलासपुर, कांकेर और राजनंदगांव	ई आ यो	1997-2002	348.31	कार्यवन्त एजेंसियों / लाभार्थियों को जो धन दिया गया था वह वापिस आ गया जिसको अन्य प्राप्ति दिखाया गया।
	(ii) जिला परिषद बिलासपुर	ई आ यो	--	164.95	कार्यवन्त एजेंसियों के पास धन बिना खर्च किए पड़ा रहा।
गुजरात	जि ग्रा वि ए गोधरा	ई आ यो	1999-2000	9.00	अधिक खर्च की रकम को गोधरा और लूनावाड़ा तालुका को मिलाकर भारत सरकार को बताया गया।
हरियाणा	(i) 5 जिले	ई आ यो	2001-2002	169.83	वर्ष के अन्त में खाते में 170.79 लाख रुपये बिना खर्च के थे लेकिन भारत सरकार को केवल 0.96 लाख रु ही बताये गये।
	(ii) 5 जिले	पी एम जी वार्ड	2001-2002	27.73	खाते में 27.91 लाख रुपये बकाया थे लेकिन भारतसरकार को 0.18 लाख रु की रिपोर्ट भेजी गयी।
जम्मू और कश्मीर	राज्य स्तरीय	ई आ यो	1997-2002	255.07	कार्यान्वित एजेंसीओं के पास मार्च 2002 तक राशि अत्यपित के रखी रही।
झारखंड	देवघर जिले के 3 खंड	ई आ यो	1997-2002	143.66	रोकड़ बही में अधिक राशि दर्शायी गई।
कर्नाटक	राज्य स्तरीय	ई आ यो	1997-2001	4527.51	भारत सरकार को अधिक खर्चा रिपोर्टिंग दी।
केरल	(i) इरनाकुलम जिला	सी सी एस	मार्च 2001 को	6.52	कार्यान्वित एजेंसियों के पास धन अत्यपित रहा।
	(ii) पलक्कड जिला	सी सी एस	मार्च 2002 को	9.20	11.50 लाख रुपये खर्चा दर्शाये गया जबकि केवल 2.30 लाख रुपये ही खर्च हुए थे।
मध्य प्रदेश	(i) जिला परिषद गुना	ई आ यो	1998-1999	90.00	जिला परिषद गुना ने 372.86 लाखरुपये व्यय दिखाये जिसमें 90 लाख रु का भुगतान मार्च

राज्य	जिले / खंड	योजना	वर्ष	रिपोर्ट की गई अधिकता	टिप्पणियां
	गूना				1999 में जनपद पंचायत को किया गया था। जोकि अगस्त 1999 में वापिस किए गए।
	(ii) सी ई ओ जिला परिषद जबलपुर	ई आ यो	1999-2000	72.42	वित्तीय निष्पादन को अधिक दिखाने के लिए मार्च 2000 में चैक जारी किए जिन्हे जुलाई 2000 में निरस्त कर दिया गया जिसके बदले कोई चैक जारी नहीं किया।
	(iii) जिला परिषद, झबुआ	ई आ यो	1997-2002	--	जिला परिषद को जो राशि प्राप्त हुई थी उसमें 285.26 लाख रु का विचरण था लेकिन रोकड़ बही में 22.75 लाख रु ही दर्शाए गए।
	(iv) जिला परिषद, झबुआ	ई आ यो	1997-2002	174.58	विकास आयुक्त द्वारा दर्शाए गए व्यय में विचरण था (2564.74 लाख रु), जिला परिषद की वार्षिक प्राप्ति रिपोर्ट में (2077.67 लाख रु) रोकड़ बही के मुताबिक वास्तविक खर्चा (2390.16 लाख रु)
महाराष्ट्र	जिला शोलापुर	ई आ यो	1997-2001	71.77	छः महीने तक चैक असंवितरित रहे इस राशि को 1997-01 में उपयोग दर्शाया गया।
नागालैंड	22 खंड	पी एम जी वाई	2000-2002	9.02	राशि खर्च नहीं हुई लेकिन उसे उपयोग किया हुआ दर्शाया।
पोंडिचेरी	एक जि ग्रा वि ए	ई आ यो	1998-1999	44.37	अधिक व्यय रिपोर्ट किया गया।
पंजाब	जिला परिषद अमृतसर फिरोजपुर पटियाला और रोपड़	ई आ यो	1997-2002	103.12	अधिक व्यय रिपोर्ट किया गया।
तमिलनाडू	20 पंचायत संघ जि ग्रा वि ए सलेम के अर्न्तगत	ई आ यो	मार्च 2000 को	30.00	राशि खर्च नहीं की गई लेकिन उसे खर्च किया हुआ दिखाया। 14 पंचायत संघों द्वारा बाद में 21.04 लाख रु वापिस किए गए तथा 6 पंचायत संघों द्वारा 8.96 लाख रु वापिस करने बाकी हैं।
त्रिपुरा	11 खंड अधिकारी	ई आ यो	1997-2001	63.51	खंड अधिकारियों के पास राशि बिना व्यय के 31 मार्च 2002 तक उनके सामान्य निधि में रहीं 10 खंड विकास अधिकारियों द्वारा पूर्णतः उपयोग दिखाया गया।
उत्तर प्रदेश	जिला बस्ती	ई आ यो	1997-2002	316.41	अधिक व्यय भारत सरकार को रिपोर्ट किया गया।
पश्चिम	(i) जिला परिषद	ई आ यो	1997-1998	133.82	अति व्यय दर्शाया गया।

राज्य	जिले / खंड	योजना	वर्ष	रिपोर्ट की गई अधिकता	टिप्पणियां
बंगाल	उत्तरी 24 परगना				
	(ii) 10 जिला परिषद	पी एम जी वाई	2001-2002	---	जिला परिषदों को कोई राशि जारी नहीं की गई लेकिन राज्य सरकार द्वारा 592.40 लाख रु की राशि को जारी दर्शाया।
कुल जोड़				7945.94	

